खण्ड-240, अंक-9
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(20 मार्च, 1963 ई0)

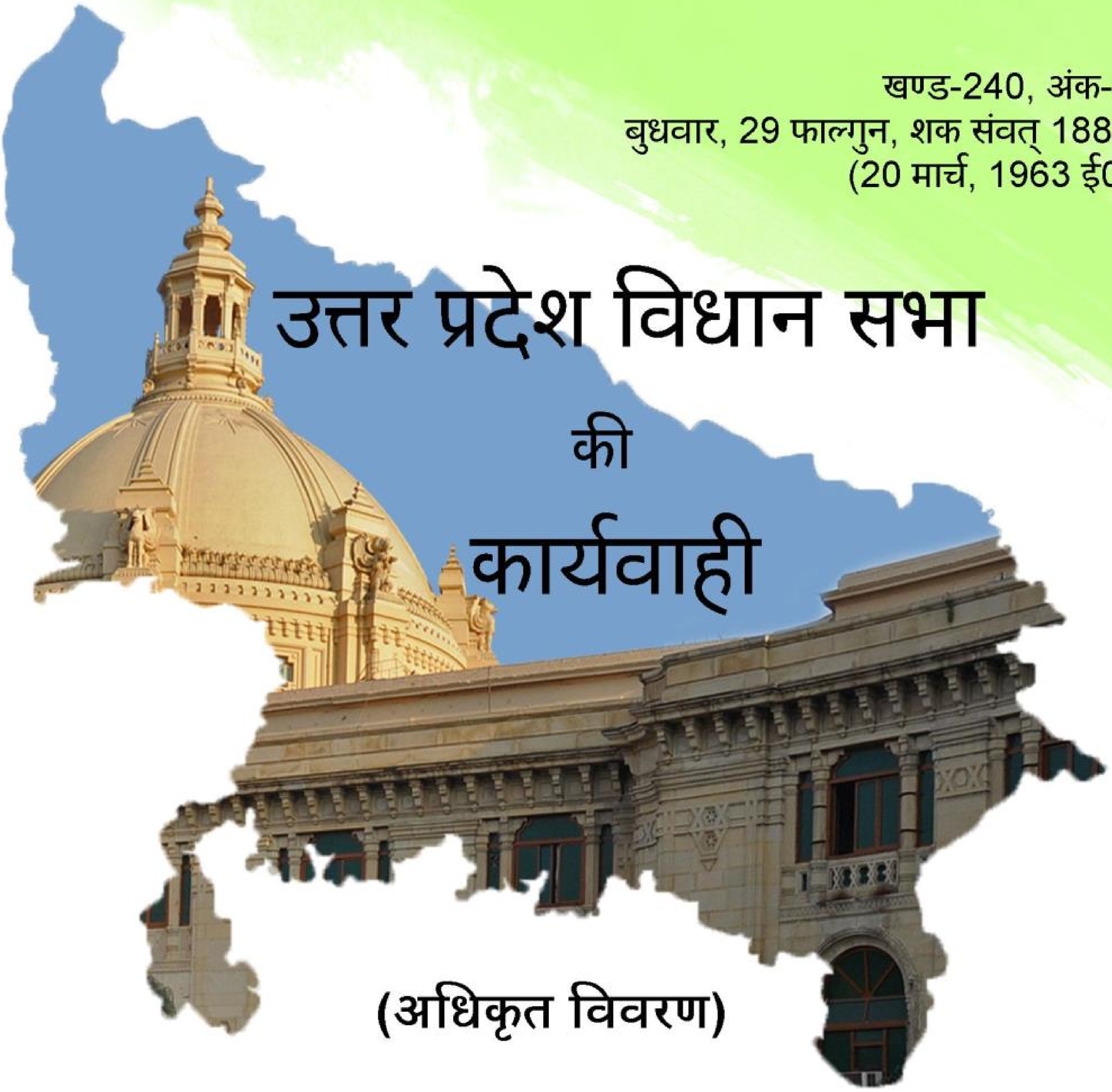

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७७३–७७७
प्रश्नोत्तर	७७७–८३३
प्रश्नों के उत्तर न मिलने के संबंध में आपत्ति	८३३–८३४
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र खुल जाने से संबंधित शिक्षा मंत्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्थगित) ..	८३४
समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता, श्री सूबेदर सिंह की हत्या के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई ।) ..	८३४
रिहन्द बांध के पावर हाउस की टरबाईन मशीन खराब होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत	८३५–८३९
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	८४०
सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना ..	८४०
कतिपय विषयों के संबंध में सूचना	८४१–८४२
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १४–पुलिस (स्वीकृत)	८४२–८८९
नत्थियां	८९०–९०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम क्रुप्पन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह [illegible], श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा प्रसाद, श्री

मुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री,
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेंदु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकतहमीद खाँ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

रामपुर में जाली फार्मेसी

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तारीख ११ जुलाई, १९६२ को डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ को कोई दरख्वास्त मिली जो पुलिस रामपुर ने तारीख १० सितम्बर, १९६२ को श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के पास जाली फारमेसी और कम्पाउन्डरी का लाइसेंस रखने के बारे में की थी ? यदि हां, तो उस जांच पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

जी हां। ७-१२-६२ को जिलाधीश रामपुर के यहां से स्वास्थ्य निदेशक को रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस पर अब फारमेसी कौंसिल नियमानुसार उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

उसमें उन्होंने लिखा है कि आवश्यक कार्यवाही के लिए फारमेसी कौंसिल के सुपुर्द कर दिया गया है क्योंकि उसे ही लाइसेंस देने का अधिकार है। एप्लीकेशन में जो तारीख उन्होंने दी है उसके हिसाब से ८ वर्ष से वे कम्पाउन्डरी करने लगे हैं लेकिन अब वह दरख्वास्त खारिज हो जायगी। पहले वाली दरख्वास्त में इस तरह का कोई जिक्र नहीं था इसलिये उनको लाइसेंस दे दिया गया। अब हमें कोई अधिकार नहीं है इसलिये उसे कौंसिल के पास भेज दिया है। वहां कार्यवाही हो जायगी और उनका नाम काट दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

कब तक यह हो जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अब भविष्य तो मैं बतला नहीं सकता, लेकिन कार्यवाही हो जायगी। कोई तसाहुली नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह का लाइसेंस ड्रग्स ऐक्ट के मुताबिक नहीं दिया जाता, तो जिन अधिकारियों ने ऐसी गलती की उनके खिलाफ कार्यवाही करने में उनको क्या दिक्कत है, और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

फार्मेसी ऐक्ट में इस संबंध में दो सेक्शन्स हैं। एक तो रूल ७८ है और एक है सेक्शन ३६ (१), (२)। सेक्शन ३६ में यह लिखा हुआ है :

"36(1) Subject to the Provisions of this section the Executive Committee may order that the name of a Registered Pharmacist shall be removed from the Register, where it is satisfied, after giving him a reasonable opportunity of being heard and after such further inquiry, if any, as it may think fit to make,

(i) that his name has been entered in the Register by error or on account of misrepresentation or supersession of a material fact".

तो इस ऐक्ट के अनुसार फार्मेसिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। वैसे उनका नाम कौंसिल ही काट सकती है, हम नहीं काट सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे इस व्यक्ति को लाइसेंस कब प्रदान किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी कोई इम्पार्टेंस नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लीकेशन दी जाती है तो किसी भले आदमी के द्वारा उसको अटेस्ट किया जाता है, तो क्या यह एप्लीकेशन जब बोगस साबित हुई तो अटेस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि किसने अटेस्ट किया और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई या नहीं।

खन्दवा हरिजन आश्रम के विरुद्ध शिकायत

*२--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--

क्या यह सही है कि जिला बलिया के अन्तर्गत खन्डवा हरिजन आश्रम के लिये अन्यान्य मदों में सरकार से एक बड़ी रकम ली गयी है और आश्रम द्वारा ली गयी रकमों के अपव्यय के संबंध में कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र भी दिया, जिसकी जांच हो रही है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य कौन-कौन से आरोप हैं और जांच में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--

चालू वित्तीय वर्ष में इस संस्था को कोई अनुदान नहीं मिला है। १९५९-६० में इसे उद्योग विभाग की ओर से १०, २५० रुपये का कर्ज तथा ६,१५० रुपये। रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ था। इस संस्था के विरुद्ध शासन को एक शिकायत मिली थी जिसपर कार्यवाही हो रही है। जाँच में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। शिकायत पत्र के मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:--

१--हरिजनों के नाम से मकान बनाने का अनुदान लेकर आश्रम के उपयोग के लिये मकान बनवा लेना,

२—कुएं का अनुदान एक ऐसे व्यक्ति के नाम स्वीकृत होना जो आश्रम पर नहीं रहता ।

३—अन्य अनुदानों का दुरुपयोग ।

४—प्रबन्ध समिति के निर्माण में अनियमिततायें ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—

यह शिकायती पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अगस्त, सन् १९६२ में।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—

जिस उद्योग के निमित्त यह कर्ज दिया गया, वह उद्योग विभाग से दिया गया और यह अनुदान जिस कार्य के लिये दिया गया उस कार्य में इसका उपयोग किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

जैसा कि मैंने निवेदन किया इसकी जांच हो रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि बलिया के जिस व्यक्ति के नाम से कुओं का अनुदान लिया गया है वह व्यक्ति आश्रम पर नहीं रहता, तो उसका नाम और सकूनत आप के कागज में क्या दर्ज है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

इस पूरे विषय की जांच हो रही है, उस व्यक्ति का नाम अवश्य है वह व्यक्ति एक गांव में रहता है और वह उस बने हुये मकान में नहीं रह रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

उसका नाम आप बता दें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

नाम तो उसका नहीं मालूम है, मालूम हो जायगा तो बताया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मंत्राणी जी ने कहा कि नाम मालूम है और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं मालूम है, तो किस की बात सही मानी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि उन्होंने कुछ पहले कहा हो लेकिन उस को करेक्ट तो इंसान कर ही सकता है, गलती से उन्होंने कह दिया होगा ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

मेरे पास इस वक्त वह नाम नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—

उद्योग विभाग के अलावा और भी कई विभागों से इस आश्रम ने बहुत रुपया लिया है जैसे कोआपरेटिव से लिया है, क्या इस संबंध में भी कोई दरख्वास्त आई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैंने अर्ज किया कि इस सारे मामले की जांच हो रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय गंगा प्रसाद सिंह के प्रश्न पर और मेरी सूचना पर हरिजन कल्याण विभाग, बलिया के विरुद्ध कोई विभागीय जांच बिठावेंगे मंत्री जी ताकि जांच हो सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---
अगर वह डेफिनिट एलीगेशंस बतायेंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---
जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि अगस्त सन् १९६२ में शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे और अब फरवरी, मार्च हो गई, कई मास बीत गये तो इस देरी का क्या कारण है कि अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---
जैसा कि मैंने निवेदन किया कि विलम्ब नहीं हो रहा है और जो दूसरे विभागों से उन्हें अनुदान मिले हैं इस सब की जांच हो रही है और जानकारी में कुछ समय लगता ही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों के प्रार्थना-पत्र कितनी बाद में आये और सरकार को कब प्राप्त हुये और किस के द्वारा इन्क्वायरी कराई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---
इसका मतलब क्या है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--
सरकार कहती है कि इंक्वायरी में देर नहीं हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह दरख्वास्त कब आई जिससे मालूम हो जाय कि देर हुई या नहीं और दरख्वास्त देने वाले कितने व्यक्ति हैं ?

श्री अध्यक्ष--
जो गड़बड़ी हुई, कितने आदमी हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--
तिथि अभी बतायी गई ।

बलिया जिले में हरिजनों को सहायता मिलने में विलम्ब

*३---श्री गंगाप्रसादसिंह---
क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के विकास खंडों के कार्यालयों में हरिजनों द्वारा कुओं एवं गृह-निर्माण के विशेष संख्या में प्रार्थना-पत्र काफी अर्से से दिये गये हैं और उन पर अभी तक उचित कार्यवाही नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--
जी हां । जिले में द्वितीय योजना काल में स्वीकृत धन से अधिक के कार्य स्वीकृत किये गए थे और उन पर कार्य के अनुसार अनुदान का आंशिक भुगतान किया गया था परन्तु धन की कमी के कारण वे कार्य अपूर्ण रह गए । इसलिये १९६२-६३ के स्वीकृत धन से इन कार्यों को पूर्ण कराया गया । नए प्रार्थना-पत्रों पर उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पुराने कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता था ।

*४---श्री गंगाप्रसादसिंह---
क्या यह सही है कि कुछ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत भी हो चुके हैं परन्तु हरिजनों को स्वीकृत धन का भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो पृथक्-पृथक् बलिया के विकास खंडों में इस प्रकार के कितने मामले हैं और कितने अर्से से पड़े हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---

जी हां। केवल ६ विकास खंडों में इस प्रकार के २७ मामले पड़े हैं जो १९६२-६३ में ही प्राप्त हुए हैं।

विकास खंड	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिनका भुगतान शेष है
१	२
१---दुबहड़	७
२---बेलहरी	८
३---गडवार	१
४---नवानगर	१
५---रतनपुरा	७
६---बांसडीह	३
कुल योग ..	२७

श्री गंगाप्रसादसिंह---

मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे प्रार्थना-पत्र कितने हैं जिन पर उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---

६ खंडों से २७ प्रार्थना-पत्र आये जिन पर विचार नहीं किया जा सका।

श्री गंगाप्रसादसिंह---

मैंने प्रश्न किया था ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र आये थे जिन पर विचार नहीं हो सका धनाभाव के कारण। और आपने जवाब दिया २७ मामले हैं, तो यह दूसरा प्रश्न है कि आधा पेमेन्ट हुआ और शेष होना बाकी है। मैं तो जानना चाहता हूं कितने प्रार्थना-पत्र आये जिन पर धनाभाव के कारण विचार नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष---

कितने प्रार्थना-पत्र आये थे, कितने स्वीकार हुए और धनाभाव के कारण कितने नहीं स्वीकार हुए ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---

इसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है, बहुत से प्रार्थना-पत्र आये हैं अलग-अलग खंडों से।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

मंत्री जी बतायेंगे जिन हरिजनो को धन स्वीकृत हो चुका है उनको भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---

जैसा मैंने कहा पिछला काम जो स्वीकृत हुआ था वह धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका। उन मकानों और कुओं में वह धन खर्च कर दिया गया इस कारण से उनको नहीं दे पाये हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जिन प्रार्थना-पत्रों पर धन का भुगतान स्वीकृत हो चुका है पर धन नहीं मिला तो क्या इस वित्तीय वर्ष में उसका भुगतान हो जायगा ? और अगर नहीं तब क्या स्थिति पैदा होगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

धन अगर काफी हुआ तो अवश्य भुगतान हो जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिन लोगों को रुपया स्वीकृत हो चुका है कुएं के लिये, और मुझे व्यक्तिगत जानकारी है और इस प्रश्न के जवाब से भी साफ है कि वह रुपया उन हरिजनों के नाम बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया और जमा हो कर पड़ा है तथा भुगतान नहीं हो रहा है पिछले एक साल से . . . . .

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ऐसी सूचना मैंने सदन को दी है और जवाब भी हो चुका है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

इस बात को देखते हुए कि यह समस्या खाली बलिया जिले की नहीं है अन्य जिलों को भी जितना धन मिलता है उससे ज्यादा कुएं सेंक्शन कर दिये जाते हैं जिससे एक भी कुआं वर्षों तक मुकम्मल नहीं हो पाता है तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितना धन हो उसी के मुताबिक कुआं सैंक्शन किये जांय ताकि कुएं मुकम्मल हो सकें ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

इस सुझाव पर विचार कर लिया जायगा ।

अल्मोड़ा में दूध में पानी मिलाने का मुकदमा

*५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६३ में जुडिशियल आफिसर, अल्मोड़ा की अदालत में दूध में पानी की मिलावट का एक केस सरकार बनाम देवसिंह का चला ? क्या यह सही है कि उक्त केस के निर्णय से पहले अभियुक्त से उसके बाप के नाम ५०१ रुपया चन्दे (एन० डी० एफ०) का जमा कराया गया और अभियुक्त मामले में बरी किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

प्रथम खंड—११ अक्टूबर से २६ नवम्बर, १९६२ के दरमियान ऐसा मुकदमा चला ।

५—द्वितीय खंड ।

जी नहीं ।

जिला अस्पताल, फतेहपुर में गड़बड़ी की जांच

*६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

प्रथम सत्र (१९६२) के गुरुवार, दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १८ व १९ के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरे ९ मई, १९६२ के पत्र में जिला अस्पताल, फतेहपुर के सिविल सर्जन व उनके शुभ-चिन्तकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संगीन जान कर उप-मंत्री महोदय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ने प्रान्तीय उच्च अधिकारी द्वारा मेरी उपस्थिति में जांच करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो फिर पहले ही डाइरेक्टर से जांच न करा कर सिविल सर्जन, फतेहपुर से जांच कराने का क्या कारण था ?

श्री धर्मसिंह--

जी हां। स्वास्थ्य सेवा निदेशक से तदनुसार कहा गया था कि मामले की जांच करके वे अपनी रपोर्ट शासन को भेजें। परन्तु निदेशक को जो पत्र भेजा गया उसमें विशेष रूप से यह नहीं कहा गया था कि जांच सिविल सर्जन के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाय। ऐसी स्थिति में निदेशक ने जांच सिविल सर्जन से ही करायी।

*७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नागरिकों, विधायकों, एम० पी०, अन्तरिम जिला परिषद् तथा नगरपालिका, फतेहपुर के अध्यक्षों द्वारा व्याप्त पक्षपात व भ्रष्टाचार की खुली जांच करने और हर दिलअजीज डा० ओ० पी० भान्ती मेडिकल अफसर प्रथम का तबादला रोकने की मांग, जुलाई, १९६२ में करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--

जिला अस्पताल, फतेहपुर में जो कुछ गड़बड़ी थी वह डा० के० सी० टन्डन तथा ओ० पी० भान्ती की वजह से थी। इसीलिये इन दोनों डाक्टरों का स्थानान्तरण जन सेवा के हित में किया गया था। इसी कारण डा० भान्ती का स्थानान्तरण रोकना उचित नहीं था। इस मामले की खुली जांच भी करा ली गई है।

*८--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरी इस सूचना को सही मान कर कि जिला अस्पताल, फतेहपुर के वर्तमान सिविल सर्जन के इल्म में उनके स्वार्थ साधक हेड क्लर्क और कुछ पुराने कम्पाउन्डरों द्वारा गरीब तथा हरिजन रोगियों के प्रति दूषित व्यवहार एवं भ्रष्टाचार जारी है और आदेश के बावजूद डाइरेक्टर ने अब तक मौके की जांच नहीं की ? तात्कालिक खुली जांच करा कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--

मामले की जांच स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के एक उच्च अधिकारी द्वारा की गई है और इस जांच के फलस्वरूप भ्रष्टाचार एवं दूषित व्यवहार के जो आरोप लगाये गये हैं सिद्ध नहीं होते।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ९-५-६२ के प्रार्थना-पत्र में जिला अस्पताल, फतेहपुर के अधिकारियों और सिविल सर्जन साहब के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, चोटों में गड़बड़ी करने के सिलसिले में शिकायतें थीं और ९-५-६२ को माननीय मंत्री जी ने यह आदेश लिखित दिया था कि इसकी जांच डायरेक्टर करें तो फिर सिविल सर्जन से जांच कराने का क्या मतलब था ?

श्री धर्मसिंह--

जांच तो पुनः कराई गयी है। जो पत्र दिया गया था सोचा यह गया कि पहले नीचे के अधिकारियों से प्रिलिमिनरी जांच करा ली जाय और आवश्यकता हुई तो बाद में दूसरी जांच करा ली जायगी तो उस समय सिविल सर्जन से जांच कराई गयी। उसके आधार पर कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे यह कहा जाता कि जो शिकायतें की गयी थीं वह सही थीं। वे सब गलत पाई गयीं और अब पुनः जांच कर ली गयी है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

जब सिविल सर्जन के विरुद्ध ही आरोप था और इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा था कि डायरेक्टर साहब उसकी जांच करेंगे तो कौन-सी ऐसी बात हो गयी जिसको देखते हुए माननीय मंत्री जी ने अपना यह इरादा छोड़ दिया और वह जांच डायरेक्टर से न करा कर सिविल सर्जन से ही कराई जिनके विरुद्ध यह आरोप था ?

श्री धर्मसिंह--

किसी भी प्रकार का कोई इरादा नहीं छोड़ा गया और शिकायत केवल अकेले सिविल सर्जन के खिलाफ नहीं थी। प्रार्थना-पत्र में बहुत-सी शिकायतें की गयी थीं। मामले में कोई गड़बड़ी करने का इरादा नहीं था और जैसा कि शुरुआत में निवेदन किया सोचा यह गया कि अगर शुरुआत में सिविल सर्जन की जांच से सरकार संतुष्ट नहीं होगी तो दोबारा जांच करा ली जायगी। इस तरह की बातों को दृष्टि में रखते हुये यह सब किया गया।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

उत्तर में कहा गया है कि सिविल सर्जन के अलावा और भी लोगों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे और आपने जांच केवल सिविल सर्जन से कराई है तो क्या सरकार पुनः उस संबंध में डायरेक्टर द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि सिविल सर्जन के खिलाफ शिकायत थी तो किसी दूसरे से जांच क्यों नहीं करायी गयी, उन्हीं से क्यों करायी गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसका जवाब केवल यह है कि यहां से जो आदेश डायरेक्टर के नाम भेजा गया उसमें यह लिखा था कि इस मामले की जांच करा ली जाय। उसमें खासतौर से यह नहीं कहा गया था कि सिविल सर्जन से न जांच करायी जाय। चूंकि और लोगों के खिलाफ शिकायत थी उन्होंने जांच करा ली। अब जो कुछ गलती या खामी थी उसको हमने पूरा कर लिया और डिप्टी डायरेक्टर से फिर जांच करा ली। १०, १५ दिन बाद ही हुई तो कोई हर्ज नहीं है। जांच की रिपोर्ट सामने है उसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पुनः डिप्टी डायरेक्टर द्वारा जांच करायी गयी तो उन शिकायतों के संबंध में किन-किन लोगों के बयान लिये गये और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सात सफे की रिपोर्ट है। जिन लोगों के बयान लिये गये सब लिखा हुआ है। अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं तो सदन का बहुत समय नष्ट होगा।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

श्रीमन्, बिल्कुल गलत बयान दिया गया है यहां। सिवाय मेरे कोई बयान नहीं लिया गया.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय। आपको मालूम होना चाहिये कि मैं जानता हूं कि किस को मुझे इजाजत देनी है। अगर आप इस तरह की बात करियेगा तो मैं समझूंगा कि आप चेयर और सदन का अपमान कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों ने शिकायत की और क्या जो शिकायतकर्त्ता थे उन सभी के बयान लिये गये ?

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर उससे कोई प्रश्न उठे तब आप पूछियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्रीजी इस सुझाव को मान कर कि अभी भी माननीय सदस्यों में इस बात का भ्रम है कि जांच सही तरीके से नहीं हो पायी है डायरेक्टर महोदय को पुनः आदेश देंगे कि वह जांच की पूरी रपट सदन की मेज पर और मंत्री जी को देने की कृपा करें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जो रिपोर्ट हमारे पास है और बयान हैं उन सबको पढ़ने के बाद अब दोबारा जांच कराने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने शिकायतकर्ता हैं क्या सब के बयान लिये गये ?

श्री धर्मसिंह--

शिकायत करने वाले तो एम० एल० ए० साहब थे । उनके खासतौर से बयान लिये गये । उनके अलावा और किस किस के बयान लिये गये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

जिन गड़बड़ियों के दोषी डाक्टर टंडन और डाक्टर ओ० पी० भन्ती को बताया गया है वे गड़बड़ियां कौन कौन सी हैं और उन गड़बड़ियों की जांच किस अधिकारी ने किस तारीख को की ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, जहांतक दो डाक्टरों की जिम्मेदारी का संबंध है एक साल पहले का किस्सा है, उनके तबादले हो गये और इस लिये हो गये कि वहां पर आपस में पार्टीबाजी थी जिसमें यह दो जिम्मेदार व्यक्ति थे । सात सफे की रिपोर्ट है डिटेल्स आये हैं, हम आपको न्योता देते हैं कि आप बात कर लें । फिर भी अगर कोई ऐसी बात देखी जायगी तो विचार कर लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब सूरत यह है कि कुछ शंकाएं हैं और इधर सरकार को यह इतमीनान है कि रिपोर्ट ठीक है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आप कृपा करके आ कर सब देख लीजिये । फिर उसके ऊपर सवाल करना चाहेंगे तो कर लीजियेगा । यह ज्यादा मुनासिब है बमुकाबले इसके कि उस मामले को परसू करें कि रिपोर्ट क्या है । सब दिक्कत की बातें हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

किसी का बयान वहां नहीं लिया गया । दस बजे से आठ बजे रात तक मेरा बयान लिया था । आठ बजे के बाद कार से चले आये । मैं फिर चैलेंज करता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह सवाल पोस्टपोन करवा दें । उसके बाद माननीय सदस्य जा कर देख लें उस की रिपोर्ट और तब सवाल आये । यह बड़ा गम्भीर विषय है । इस सदन के माननीय सदस्य ने शिकायत की और सिविल सर्जन से ही जांच करावायी गयी ।

इलाहाबाद में मेडिकल बिलों के भुगतान में गड़बड़ी

*९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में अभी हाल ही में मेडिकल बिलों के भुगतान एवं बनाने में लाखों रुपये की जालसाजी करने का सामाचार उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय अध्यक्ष जी, जरा आप प्रश्न की ओर देखें। प्रश्न सरकार के पास आपके कार्यालय से ६-२-६२ को गया है। डेढ़ महीने हो गये और उसके बाद यह उत्तर मिल रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप देखेंगे कि प्रश्न केवल इलाहाबाद के संबंध में है यह नहीं कि सारे सूबे के लिये है जिसमें ज्यादा समय की जरूरत हो।

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री, इतना विलम्ब तो नहीं होना चाहिये। एक महीने से ज्यादा हो गया है। डेढ़ महीना हो गया है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

श्रीमन्, लाखों रुपये की जालसाजी का मामला बताया गया है इस लिये देर हो गयी, कोशिश करेंगे कि आइन्दा ऐसा न हो।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आगामी सप्ताह के लिये स्थगित किया जाता है।

*१०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[माननीय अध्यक्ष के आदेश से स्थगित किया गया।]

जौनपुर में उपभोक्ता सहकारी समितियां

*११--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को पता है कि जौनपुर नगर में स्थित उपभोक्ता सहकारी समिति अ, ब, स, लगभग ४, ५ वर्षों से सरकारी नियंत्रण में ही चल रही है और अब भी जनता को सौंपी नहीं जा रही है? यदि हां, तो क्या उक्त समितियों का चुनाव करा कर सहकारी सदस्यों को सौंपने का विचार है?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)--

जौनपुर नगर में स्थित कोई भी उपभोक्ता भण्डार सरकारी नियंत्रण में नहीं चलाये जा रहे हैं। केवल एक उपभोक्ता सहकारी समिति सरकारी नियंत्रण में पहले चल रही थी उसका भी दिनांक १६-११-६२ को चुनाव कराकर पुनः उसका संचालन भार उक्त समिति के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है और तब से उसका कार्यभार उक्त समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी ही चला रहे हैं।

*१२--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

उक्त समितियों में अलग-अलग क्या सरमाया था जब सरकारी नियंत्रण में ली गयी और अब क्या है?

श्री चन्द्रसिंह रावत--

केवल उपभोक्ता सहकारी भण्डार सब एरिया (ए) के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक की नियुक्ति के समय इसकी निजी व कारोबारी पूंजी क्रमशः ३२,४०५·०० व ६६,९२८ रुपये थी और इस समय इसकी निजी व कारोबारी पूंजी ३२,४०६·०० व ३६,९९४·०० रुपये है।

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार ने उक्त समितियों का एक ही ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखा है और उसे तीनों से अलग-अलग वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक ऐडमिनिस्ट्रेटर को कितना रुपया तनख्वाह के रूप में दिया गया और किस दर से ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

सहकारी उपभोक्ता भण्डार सब-एरिया (ए) के लिये एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था लेकिन समिति से प्रशासक को वेतन नहीं दिया गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, जौनपुर नगर में जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं वह करीब-करीब सरकार के हाथों में हैं—वहां का कोआपरेटिव बैंक, डी० सी० डी० एफ० का तीन एरिया, कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी ए, बी, सी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सब-एरिया (सी) कब खुली और उसको सरकार ने कब जब्त किया और जब्ती के क्या कारण थे ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इस सोसाइटी की रजिस्ट्री हुई थी सन् १९४७ या ४८ में और २१-१२-५९ को यह रद्द की गई क्योंकि इसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सब-एरिया में जब प्रशासक नियुक्त किया गया तो उस समय उसकी पूंजी ३२,४०५ रुपये थी और कारोबार पूंजी ६६,९२८ रुपये थी लेकिन जब उनसे कारोबार ले लिया गया तो उसकी पूंजी घट कर के ३२,४०५ रु० और कारोबारी पूंजी ३६,९०४ रुपये रह गई, इसका [illegible] कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

निजी पूंजी में तो कोई कमी हुई नहीं। कारोबारी पूंजी चूंकि कारोबार कम हुआ होगा इसलिए कम हो गई होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सब एरिया 'सी' का चुनाव कब हुआ और उसे कब कार्यभार सौंपा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उसका कोई चुनाव नहीं हुआ, वह तो लिक्विडेशन में जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब-एरिया सी जब से स्थापित हुई तब से आज तक जब सरकारी नियंत्रण में है तो इतनी देर क्यों लगी उसको लिक्विडेशन में ले जाने में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह तो नहीं कह सकता। इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी कि यह बराबर सरकारी नियंत्रण में रही या नहीं लेकिन जब इसकी बाबत शिकायतें आयीं तो उसको रद्द किया गया।

श्री अध्यक्ष—

वह यह पूछ रहे हैं कि शिकायतें जब आयीं तो क्या उस समय सरकारी नियंत्रण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उसके लिये तो मैंने कहा कि नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जौनपुर में जिन समितियों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया और ऐडमिनिस्ट्रेटर जहां मुकर्रर हुआ उनमें कारोबारी पूंजी लगभग आधी कम हो गई तो इस बात को देखते हुए कि सरकारी नियंत्रण में लेने से समितियों के कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस प्रकार का निर्देश देंगे अपने अधिकारियों को कि सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रवृत्ति का त्याग करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

असल में यह कोई इस बात का सूचक नहीं है। कारोबार ज्यादा होगा, उसमें कुछ घाटे पर चल रहा होगा, सही काम नहीं चलता होगा, बिला इसकी जांच किये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासक के जमाने में कारोबारी पूंजी क्यों कम हुई, अनएकोनामिक काम बहुत से बन्द करने पड़ते हैं, शायद वैसा ही किया गया हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय सहकारी मंत्री का ध्यान अभी जो लखनऊ में सहकारिता सम्मेलन हुआ था उसकी तरफ गया है जिसमें पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात की आम शिकायत की थी कि सहकारिता का काम वहां के लोगों के द्वारा ही चलाया जाय और सरकार के द्वारा न चलाया जाय। इस मनोवृत्ति को त्यागा जा रहा है। इस प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटीज की स्थिति अच्छी हो जाय तो क्या फिर से इस काम को सहकारिता के व्यक्तियों को देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सरकार की नीति जो पहले थी वह अब भी है कि सहकारिता का कार्य जनता के द्वारा चलाया जाय लेकिन जहां पर गड़बड़ होती है और काम खराब होने को होता है तो वहां पर सरकार को जनता के हित में हस्तक्षेप करना पड़ता है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के लिये कोई ऐसी योजना है कि जिसके कारण उपभोक्ता सहकारी समिति जितनी हैं उनको समाप्त करके केवल एक उपभोक्ता सहकारी समिति नगर भर के लिये बनाई जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नई योजना के अनुसार जो ५० हजार से अधिक की आबादी के शहर हैं उनमें उपभोक्ता सहकारी समिति संगठित की जायगी और उससे छोटी आबादी के जिलों के स्थानों पर भी सोसाइटी बनाने की योजना है।

देवरिया जिले के नियोजन विभाग में परिगणित जातीय कर्मचारी

*१४--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के नियोजन विभाग में निम्नलिखित पदों पर इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें कितने परिगणित और पिछड़ी जाति के हैं ? क्या परिगणित जाति के निर्धारित संख्या के न पूरा होने पर उसकी पूर्ति के लिये कोई कदम उठायेगी :--

(क) विकास अधिकारी;
(ख) सहायक विकास अधिकारी;
(ग) ग्राम सेवक;
(घ) पंचायत सेक्रेटरी;
(ङ) क्लर्क;
(च) चपरासी ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—

देवरिया जिले के नियोजन विभाग में क्लर्कों को छोड़कर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें कितने परिगणित और पिछड़ी जाति के हैं, निम्नलिखित है :—

	कुल संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
(क) विकास अधिकारी	२९	१	२
(ख) सहायक विकास अधिकारी ..	१०१	२	९
(ग) ग्राम सेवक	२५५	१४	२२
(घ) पंचायत सेक्रेटरी	३१५	९	३९
(च) चपरासी	१४१	२६	५९

२—क्लर्कों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

३—परिगणित जाति के चपरासियों की संख्या निर्धारित संख्या के अनुकूल है। पंचायत सेक्रेटरीज की संख्या को आगामी चुनाव में पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। विकास क्षेत्र अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक के पदों पर परिगणित जाति की निर्धारित संख्या की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उक्त पदों के लिये जिलेवार संख्या निर्धारित नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां से विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी और चपरासियों की संख्या एकत्रित की गई है वहीं से क्लर्कों की संख्या एकत्रित होने की बात थी, तो फिर वह किस महकमें से या किस जरिये से अब एकत्रित की जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्लर्कों की संख्या के सम्बन्ध में वहां से जो पत्र-व्यवहार हुआ उसमें कुछ कमी रह गई थी। उसी को जानने के लिये उसको दोबारा भेजा गया है। वह उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हरिजनों की निर्धारित संख्या जो अभी तक पूरी नहीं हुई है पिछले चुनाव में, तो उसका क्या कारण था ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्रदेश के स्तर पर यह नियुक्ति जिलेवाइज नहीं होती है कि जिले की जनसंख्या को देख कर की जाय। यह तो पूरे प्रदेश की जनसंख्या को देख कर सेक्रेटरी, विलेज लेविल वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी या क्लर्क जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। जहां पर ऐसी कमी रह गई है वह आगे के चुनाव में पूरी की जायगी। पहले पंचायत सेक्रेटरियों का चुनाव १९४८ में हुआ था, जिसमें पंचायत अधिकारी, जिला बोर्ड के अध्यक्ष और जिला विद्यालय निरीक्षक, यह ३ आदमी की कमेटी थी। उस समय इस प्रकार की बातें संभवतः उनके सामने नहीं आई थीं। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में वह अनुपात पूरा कर दिया जाय।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह हरिजनों का प्रतिशत पूरा नहीं हो रहा है यह खाली एक जिले की समस्या नहीं है, इस प्रश्न के द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने उन कारणों की खोज करने के लिये कि हरिजनों का प्रतिशत क्यों नहीं पूरा हो रहा है, एक कमेटी का राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में निर्माण किया था ? और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है, एक अरसा हुआ है, उसको आये

हुए। तो क्या उनको उस रिपोर्ट को देखने का अवकाश मिला है? उसमें कुछ कारण बताये गए हैं कि क्यों नहीं प्रतिशत पूरा होता है और कुछ सिफारिशें भी की गई हैं कि इस प्रकार से प्रतिशत पूरा किया जाय। तो सरकार ने उस दिशा में क्या कदम उठाये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्रीमन्, अब उस विषय में पिछले वर्ष भी मैं निवेदन कर चुका हूं, सदन के समक्ष, कि वह सारे स्टेप्स जिनके द्वारा अधिक संख्या में लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर लिया जा सकता है, उसका प्रबन्ध किया जा रहा है कि ऐसे हरिजन विद्यार्थियों को जोकि पढ़ने-लिखने में तेज हैं, उन्हें स्कालरशिप इत्यादि देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही जिन स्थानों पर थोड़े मार्क्स से यदि कोई हरिजन विद्यार्थी किसी जगह पर नहीं आ पाता है तो यह भी इस विषय में उन व्यक्तियों को और उन संस्थाओं को कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सोचें और उनको लेने की चेष्टा करें, इस प्रकार के भी आदेश हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चेष्टा की जा रही है और अधिक शिक्षा द्वारा और अधिक संख्या में हरिजन विद्यार्थियों को उचित जगहों पर पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। वहां तक पहुंचाने के लिये यह भी किया गया है कि किसी साल में विद्यार्थी उस संख्या तक न आ सकें, जहां तक उन्हें सम्मिलित होने का अधिकार है, तो जो पिछले वर्ष के विद्यार्थी रह गए हैं, वह अधिक संख्या में नियुक्ति में रखे जायें। इस प्रकार का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर सरकार जागरूक है और उस दिशा में हरिजनों को पूरी पूरी संख्या में जहां-जहां उन्हें नियुक्तियों में जगहों को पाने का अधिकार दिया गया है, उनको देने की चेष्टा की जा रही है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमूमन हरिजनों के बारे में जब इस प्रकार के प्रश्न हाउस में आते थे, तो खास कर अब तक यह कहा जाता था कि उनके अन्दर योग्यता की कमी है? लेकिन आज पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी माननीय बंशीधर जी पांडेय ने एक नया सवाल पैदा किया कि वह ब्लाकवाइज नहीं सोचा जाता है, बल्कि सूबे के पैमाने पर सोचा जाता है कि १८ फीसदी जो उनका रिजरवेशन है, उसमें दिया जाय। तो आपके द्वारा मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात सत्य है। क्या उनकी योग्यता की बात सत्य है या पूरे सूबे के पैमाने पर १८ फीसदी वाली बात कि उतने फीसदी सीट दी जाती है, यह सत्य है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा-सा भ्रम हो गया है। बी० डी० ओ० की जो नियुक्ति होती है, वह भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही होती है और पूरे सूबे के स्तर पर ही होती है न कि जिले के स्तर पर होती है। इसी प्रकार से सहायक विकास अधिकारी की नियुक्ति भी सूबे के स्तर पर ही होती है न कि जिला स्तर पर हुआ करती है। कुछ नियुक्तियां अवश्य ऐसी हैं कि जैसे चपरासी आदि की जो कि मीनियल स्टाफ है, वह उनकी जिला स्तर पर ही होती है। इसलिये मैंने स्पष्ट कर दिया कि आपको थोड़ा-सा भ्रम हो गया है कि बड़े-बड़े अधिकारियों की भी इसी प्रकार से होती है। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर माननीय सदस्य के कहने के पहले उनकी संख्या पूरी की गई है। जिला स्तर पर उनकी संख्या को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और प्रदेशीय स्तर पर भी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को यह हिदायत देंगे कि हरिजनों के मामलों में उनको विशेष अवसर देकर रखने की चेष्टा की जाय?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको अपने उत्तर के वक्तव्य में कह दिया है।

श्री भीखालाल—

जो आश्वासन दिया गया है उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन यह करूंगा कि उस कमेटी की जो विशेष सिफारिशें हैं जिसमें यह भी है कि भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा रोजगार दफ्तर से नाम मांगे जाते हैं, तो विभाग द्वारा यह नहीं लिखा जाता कि उनको कितने हरिजनों की आवश्यकता है। इस कारण रोजगार-दफ्तर वाले उनके नाम नहीं भेजते। तो अगर यह हो जाय कि विभाग नाम मांगते समय यह भी लिख दिया करें कि कितने हरिजनों के नाम चाहिये, तो अच्छा हो, इसके लिये क्या वे आदेश देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस विषय में यदि इस प्रकार की कमी रही है जिसकी तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया है तो अधिकारीगण उस दिशा में कार्य करेंगे।

श्री श्यामलाल—

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नौकरियों में भले ही १८ फीसदी के स्थान पर १२ फीसदी स्थान इन लोगों को दें, मगर वे पूरे होने चाहियें। तो प्रश्न मेरा यह है कि जो छोटे छोटे पद चपरासी, पंचायत सेक्रेटरी आदि के जिला स्तर पर होते हैं, उन पर नियुक्ति के लिये क्या ऐसे आदेश दिये जायंगे कि वह वहां के हरिजन एम० एल० एज० की सहायता लेकर की जायं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

जहां तक इन लोगों को प्रतिशत मिलने का सम्बन्ध है, वह नियमानुसार उनको मिलती है और वे लोग उसी आधार पर भरती किये जाते हैं। उसमें १८ फीसदी का खयाल रखा जाता है।

इलाहाबाद में खाद्यान्न-मिलावट सम्बन्धी चालान

*१५—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद जिले तथा नगर में कितने आदमियों का मिलावट करने के अपराध में सन् १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में चालान किया गया ?

श्री धर्मसिंह—

Prevention of Food Adulteration Act के अन्तर्गत ५९५ आदमियों का अदालत में चालान हुआ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—

जो ५९५ आदमियों का चालान किया गया है और जिनके बारे में फैसला हो चुका है उसमें सब से ज्यादा सजा किस व्यक्ति को दी गयी है और किस प्रकार की मिलावट के संबंध में वह दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

हाइएस्ट पनिशमेंट किस को दिया गया और किस जुर्म में, वह यह जानना चाहते हैं।

श्री धर्मसिंह—

बहुत लम्बी लिस्ट है उसको देखना पड़ेगा। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि सबसे अधिक ऐडल्टरेशन किस वस्तु में हुआ जिसके केसेज अदालत को भेजे गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसकी भी लम्बी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो लिस्ट नहीं मांगते हैं। क्या कोई रिपोर्ट ऐसी है जिससे मालूम हो कि ऐडल्टरेशन किस चीज में सबसे ज्यादा हुआ है ? यह आप बता सकते हैं या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मस्टर्ड आयल का इसमें सबसे ज्यादा जान पड़ता है, लेकिन जुर्माना सबसे ज्यादा हुआ है घी के ऊपर ।

श्री अध्यक्ष--

उसकी आपके पास, इसका मतलब है, कोई सूचना नहीं है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

क्लासिफिकेशन नहीं है, लिस्ट तो है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस बात को देखते हुये कि मुकदमे ५ सौ से अधिक चलाये गये, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने मुकदमों में सजा हुई ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, ३,३५० के करीब सैम्पिल इकट्ठे किये गये जिनमें से ७८३ ऐडल्टरेटेड निकले । ५७१ पर मुकदमे चलाये गये, ७० के करीब ऐक्विटल हुआ, १३ का ट्रायल हो रहा है, ५१२ आदमियों को सजायें हुईं और ३९,२३७ रुपये के करीब जुर्माना हुआ ।

श्री उग्रसेन--

कितने मुकदमों में सजा हुई ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बता दिया उन्होंने ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

इस मिलावट के कारण जन-स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो जो मंत्री जी वर्तमान अधिकारों के अन्तर्गत उसको रोकने के लिये स्टेप ले रहे हैं उनके अतिरिक्त अन्य बातों पर भी विचार कर रहे हैं जिससे मिलावट का काम रुक सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जो कुछ इस संबंध में मुमकिन है वह सब कुछ किया जा रहा है । आदेश भेजे जा रहे हैं और अधिकारियों से कहा जा रहा है कि ज्यादा सख्ती से काम लिया जाय ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

ऐडल्टरेशन को ज्यादा देखते हुये क्या सरकार के पास कोई नयी योजना विचाराधीन है कि जन-साधारण को ही पता चल जाय कि इस चीज में इस तरह से ऐल्डटरेशन होता है और वह उन चीजों को न खरीदे ?

श्री अध्यक्ष--

इसी प्रकार का प्रश्न सत्य नारायण जी ने किया था और उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि आदेश दिया जा रहा है और सख्ती की जा रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मंत्री जी ने बताया कि जुर्माने हुये । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को कारागार की सजा हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

कारागार तो इसमें किसी को नहीं हुआ, सिर्फ जुर्माना ही हुआ है ।

श्री हिम्मतसिंह--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ३ हजार से ज्यादा केसेज पकड़े गये तो ७ सौ लोगों का ही क्यों चालान किया गया, बकिया लोगों पर क्यों नहीं किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

बकिया लोगों के जो सैम्पिल्स लिये गये वह ऐडल्टरेटेड नहीं मिले ।

श्री अध्यक्ष—

हिम्मतसिंह जी, आप तो खुद एक वकील हैं। आप जानते हैं कि सैम्पिल्स कलेक्ट किये जाते हैं और जिनमें एडल्टरेशन पाया जाता है सिर्फ उन्हीं का चालान किया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो सैम्पिल्स इकट्ठा किये गये हैं और जिनकी सूची अभी मंत्री जी ने दी है उनमें किन चीजों में मिलावट की संख्या ज्यादा है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह चुके हैं कि उसकी बड़ी लम्बी सूची है।

*१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[स्थगित किया गया।]

कोपागंज विकास क्षेत्र के प्रमुख का शिकायती पत्र

*१७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के कोपागंज विकास क्षेत्र के प्रमुख का कोई प्रार्थना-पत्र १२ जनवरी, १९६३ का भेजा हुआ विकास आयुक्त को प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ विकास अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या आरोप हैं और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

जी हां। कोपागंज विकास क्षेत्र के प्रमुख का एक प्रार्थना-पत्र विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, को १५-१-६३ को प्राप्त हुआ था जिसमें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं (सहकारिता) के विरुद्ध गुटबन्दी करने, रबी तथा खरीफ अभियान तथा रासायनिक खाद की उपयोगिता के विरुद्ध प्रचार करने आदि की शिकायतें थीं। लगाये गये आरोपों की जांच जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़, निदेशक, पंचायत राज एवं निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा कराई जा रही है।

*१८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में उपरोक्त प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और अभियोगों की गम्भीरता को देखते हुये किस अधिकारी द्वारा उसकी जांच की गयी और क्या प्रार्थी से भी उस संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र योजना मंत्री के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, अतः उस पर सरकार द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

वे रबी और खरीफ अभियान में खाद वगैरह के बटवारे में अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। होम गार्ड की योजना में भी अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वहां के बी० डी० ओ० व ब्लाक प्रमुख ने ए० डी० ओ० पंचायत के विरुद्ध विकास अधिकारी और अन्य जिला अधिकारियों को लिखा है। इतने गम्भीर चार्जेज पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

जांच हो रही है और सबके बयानात लिये जावेंगे। जैसे ही सूचना आवेगी दे दी जावेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आम तौर से जांच में शिकायत कर्त्ता से बयान नहीं लिया जाता है। तो वहां शिकायत करने वालों के बयान भी लिये जावेंगे।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

जनरलाइजेशन करने का कोई कारण नहीं है कि शिकायत करने वाले से नहीं पूछा जाता है। इस केस में भी उनसे पूछा जायगा।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में इलाज कराने वाले विधायकों पर बकाया

*१९---श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बलरामपुर हास्पिटल के स्पेशल वार्ड में प्रविष्ट उन मरीजों पर जो अब हास्पिटल छोड़ चुके हैं क्या कुछ धनराशि विभाग को अवशेष है? यदि हां, तो किन-किन पर, कितनी-कितनी तथा कब से कब तक की?

*२०---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवशेष धनराशि की प्राप्ति के निमित्त सरकार ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

*२१---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बकायादारों में कुछ पूर्व एम० एल० सी०, एम० एल० ए० तथा उनके कुटम्ब के सदस्य भी हैं? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उन पर कितना-कितना और कब का बकाया है?

श्री धर्मसिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामकिशोर वर्मा---

मेरा बिलकुल निश्चित सवाल है। एक बार स्थगित हो गया। अब मंत्रीजी से स्पष्ट कहलवा दें कि कब तक जवाब मिलेगा।

श्री धर्मसिंह---

अगले बुधवार को दे देंगे।

मोहम्मदी, पसगवां ब्लाकों में हरिजनों को अनुदान

*२२---श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के ब्लाक मोहम्मदी व ब्लाक पसगवां में वित्तीय वर्ष सन् १९६१-६२ तथा १९६२-६३ ई० में हरिजनों को किस-किस पद में अनुदान दिया गया है और कितना?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सूचना संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९० पर।)

बांदा जिले में चेचक

*२३---श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में गत अक्तूबर माह में चेचक महामारी में कितने व्यक्ति बीमार हुये हैं और उनमें से कितने व्यक्ति चेचक की बीमारी से आज तक मर चुके हैं?

श्री धर्मसिंह---

बांदा जिले में गत अक्टूबर मास में चेचक रोग के होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त---

खाली अक्टूबर का जवाब दिया है जबकि अक्तूबर से जनवरी तक का पूछा गया है। ७५ मौतें बांदा में हुई हैं, ३०० बिलवई गांव में हुई हैं?

श्री धर्मसिंह---

प्रश्न में केवल अक्तूबर का पूछा है ।

श्री अध्यक्ष---

हो सकता है कि कुछ संशोधन हो गया हो ।

गोरखपुर जिले के बाढ़ क्षेत्र में हैण्ड पाइप लगाने का ठेका

*२४---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बाढ़ एवं अतिवृष्टि पीड़ित क्षेत्रों में लगभग १।। लाख रुपये के हैन्ड पाइप लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस ठेकेदार द्वारा और वह ठेकेदार गत कितने वर्षों से इस प्रकार के कामों को करता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां, हैन्डपम्प इस जिले के सर्वश्री कृष्णा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स, मीयांबाजार, गोरखपुर, द्वारा लगवाये जा रहे हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार यह फर्म एक पुराने फर्म (सर्वश्री विभूतिराम गोमतीराम, आनन्द नगर) की एक शाखा है । मूल फर्म को २० वर्ष का अनुभव प्राप्त है । शाखा को भी स्थापित हुए एक वर्ष हो गया है ।

*२५---श्री होरीलाल यादव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और क्या टेन्डर भी मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है । नगर के मुख्य ८ फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे । प्राप्त कोटेशनों में सब से कम दर सर्व श्री कृष्णा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स, मीयां बाजार, गोरखपुर, की थी जो स्वीकृत कर ली गई ।

हलिया ब्लाक के सैनिटरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायत

*२६---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार को पता है कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत हलिया ब्लाक के सैनिटरी इंसपेक्टर, सेवकराम गुप्त, के विरुद्ध गड़बड़ी के मेले में बगैर रसीद के दूकानदारों से हजारों रुपये जबरन सुरक्षा कोष के नाम पर वसूल करने की शिकायत जिलाधीश मिर्जापुर को दी गयी लेकिन अभी तक उस सैनिटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फतेहपुर जिले में चिकित्सालय

*२७---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के प्रत्येक विकास खंड के अन्तर्गत किन-किन स्थानों में सरकार द्वारा संचालित एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा अन्य प्रकार के चिकित्सालय हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९१ पर)

नोट---तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, क्या हर विकास खंड स्तर पर उक्त किस्म के चिकित्सालय स्थापित करने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो स्थापित किये जाने वाले चिकित्सालय किस किस्म के होंगे और विकास खंड के किन-किन स्थानों में तथा कब से प्रारम्भ होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी चार खंडों अर्थात् ऐरावां, अमोली, देवभाई एवं खजुहा में नहीं खुल पाये हैं। वहां तृतीय पंच वर्षीय योजनाकाल के अन्त तक खोलने का विचार है। राज्य में कितने और कहां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय खोले जायेंगे, यह अभी निश्चय नहीं हुआ है। और इसलिये फतेहपुर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

मुरादाबाद में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि बी० डी० सी० मेम्बर, ट्रेनिंग कैम्प, रबी बाटिका, मुरादाबाद, को चलाने वाले सदस्य कौन-कौन हैं और क्या यह सही है कि उसके प्रधान श्री बृजपालसरन रस्तोगी, एम० एल० सी० ने १० माह हुये त्याग-पत्र दे दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुरादाबाद में रबी वाटिका नामक स्थान पर कोई बी० डी० सी० मेम्बर ट्रेनिंग कैम्प नहीं है बल्कि एक पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र जिला हरिजन सेवक संघ के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र के संचालन के लिये शासन द्वारा एक समिति संगठित कराई गई है जिसके निम्नांकित सदस्य हैं :—

१—अध्यक्ष जिला परिषद्, मुरादाबाद।
२—अतिरिक्त जिलाधीश (नि०) मुरादाबाद (सरकारी प्रतिनिधि)।
३—प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री कैलाशकुमार।

जिला हरिजन सेवक संघ द्वारा भी केन्द्र के दैनिक कार्यक्रमों को चलाने में सहायता देने के लिये एक समिति का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान सदस्य निम्नांकित हैं:—

१—प्रोफेसर श्री रामशरण जी, भूतपूर्व सदस्य, लोक सभा।
२—श्री सुक्खनलाल जी, एम० एल० ए०।
३—श्री जगदीशप्रसाद जी, एम० एल० ए०।
४—श्री वेदप्रकाश गुप्ता, प्रधानाचार्य।
५—साहू रमेशकुमार जी, आनरेरी मजिस्ट्रेट।
६—मास्टर श्यामसुन्दर जी।
७—श्री रूधनलाल जी सहदेव।
८—डा० खुशदिल।
९—श्री कैलाशकुमार, संचालक।

श्री बृजपालशरण रस्तोगी, एम० एल० ए० के कथित त्याग-पत्र का सम्बन्ध हरिजन सेवक संघ से हो सकता है। सरकार इसके बारे में कोई उत्तर देने में असमर्थ है।

*३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वक्त उसके सभासद कौन हैं और वहां ट्रेनिंग के अलावा खाने-पीने की सुविधा किस-किस को दी जाती है और किस पर सालाना कितना खर्च होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के सभापति नहीं होते वरन् संचालक होते हैं और इस समय इस केन्द्र के संचालक श्री कैलाश कुमार हैं।

केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आने वाले प्रशिक्षार्थियों तथा केन्द्र के कर्मचारियों को खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है।

शासन द्वारा केन्द्र को सालाना खर्चे के आधार पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता। अतएव सालाना खर्च का विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता। सरकार प्रति प्रशिक्षार्थी ४–५० रु० प्रति दिन का अनुदान केन्द्र पर प्रशिक्षण के लिये और २.८० रु० प्रति दिन प्रति प्रशिक्षार्थी सचलदल द्वारा किये गये प्रशिक्षण के लिये देती है।

*३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी को इस ट्रेनिंग सेंटर के सिलसिले में जांच कराने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां! इस केन्द्र के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच शासन द्वारा कराई गई थी और उक्त शिकायतें निराधार पाई गईं।

सहकारी उपभोक्ता भंडार

*३२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीजों के दाम पर नियन्त्रण रखते हुये उपभोक्ता भण्डारों को खोलने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो उसकी शाखाएं प्रदेश में कहां-कहां खुलेंगी तथा वे किस आधार के अन्तर्गत चीजों की कीमतों को रोकेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

वैसे तो सहकारी उपभोक्ता भंडारों को स्थापित करने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना का अंग थी। परन्तु इस संकटकाल में इस पर अधिक बल दिया जा रहा है।

उपभोक्ता को दैनिक उपभोग की वस्तुएं उचित दाम पर और बिना मिलावट के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छोटे सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से सम्बद्ध किया जायगा। थोक भण्डार मिलों और सहकारी क्रय-विक्रय तथा प्रक्रियामान समितियों से सीधे सम्पर्क स्थापित करेंगे।

१९६२–६३ के अन्त तक आठ प्रमुख नगरों (कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवम् बरेली) में एक एक थोक भंडार और बीस बीस छोटे भण्डार खोले जायेंगे। १९६३–६४ में इस योजना का प्रसार अन्य १९ बड़े शहरों में किया जायगा।

इसके अतिरिक्त १९६३–६४ में पहाड़ी और देहाती क्षेत्रों में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलने की अलग योजनाएं भी कार्यान्वित की जायेंगी।

[२० मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

[डलमऊ तहसील में सब-रजिस्ट्रार के घर से बाहर बरामद दस्तावेज

*१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील के रजिस्ट्रार के यहां १२ जून, १९५८ को घूसखोरी के आरोप में कोई छापा पड़ा था और उसी सम्बन्ध में उनके यहां से जो बैनामा आदि बरामद हुये थे क्या रजिस्ट्रार महोदय के ऊपर चलने वाले मुकदमें के समाप्त हो जाने पर वापस कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील में सब-रजिस्ट्रार के यहां १२ जून, १९५८ को घूसखोरी के आरोप में छापा पड़ा था। इस सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज आदि बरामद हुए थे जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया। सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध मुकदमा समाप्त होने पर यह दस्तावेज वापस आ गये हैं पर इनको सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाया नहीं जा सका क्योंकि इन दस्तावेजों की रजिस्ट्री की कार्यवाही अपूर्ण रह गई थी।

*२—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बैनामा वापस करवाने के लिये कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रायबरेली को अनुदेश दिया गया है कि इन दस्तावेजों की रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण कर के इनको सम्बन्धित व्यक्तियों को शीघ्र ही वापस कर दिया जाये।

जालौन जिले में कुओं के लिये तकावी

*३—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या विकास मन्त्री जालौन जिले में सिंचाई के साधनों से रहित स्थानों पर कुओं के लिये रुपया देकर अल्पसिंचाई योजना को प्रोत्साहित करने पर विचार करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जालौन जिले में सिंचाई के साधनों से रहित स्थानों में पहले से ही पक्के कुओं के लिये तकावी दिये जाने की व्यवस्था है।

तुलसीपुर चीनी मिल

*४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, जिला गोंडा, के चीनी मिल के लगभग ५०० मजदूरों को जो ऊनी जर्सी इस वर्ष जाड़े में प्रबन्धक से मिलती थी अब तक नहीं दी गई हैं जबकि जाड़ा समाप्त हो रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६२-६३ के सीजन में ४२५ श्रमिकों को ऊनी जर्सी मिलनी थी, जिनमें से १०० श्रमिकों को मिल चुकी है। १०० जर्सियों का आर० आर० आ चुका है, वह भी यूनियन को दिया जा चुका है। शेष वर्दियों का भी आर्डर दिया जा चुका है और जैसे ही आ जायेंगी, दे दी जावेंगी।

*५—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह भी सत्य है कि स्वतंत्र चीनी मिल कर्मचारी एवं दूसरी यूनियन ने एक सप्ताह के अन्दर न दिये जाने पर कार्यभार बंद करने की मांग की है और नोटिस दिया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी कोई भी नोटिस स्वतंत्र चीनी मिल कर्मचारी एवं दूसरी यूनियन से नहीं प्राप्त हुई जिनमें काम बन्द कर देने के लिये सूचित किया गया है। दोनों यूनियनों ने मांग-पत्र अवश्य दिया था, जिन पर समझौता हो चुका है, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

त्रिदलीय सम्मेलन व रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, कानपुर के निर्णय

*६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ४ दिसम्बर, १९६२ को जो त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था उसके फैसले की एक प्रति वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

४ दिसम्बर, १९६२ के त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९२ पर।)

*७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन फैसलों को कौन-कौन से उद्योग संस्थानों ने माना तथा किसने-किसने नहीं माना और जिन्होंने नहीं माना उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त सम्मेलन में सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए थे और इस बात की कोशिश की जा रही है कि सभी सम्बन्धित उद्योगपति और श्रमिकों की संस्थाएं उन निश्चयों पर अमल करें।

*८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, कानपुर ने १९६०-६१, १९६१-६२ में मजदूरों के कार्यकारिणी यूनियन सम्बन्धी कितने झगड़े सुलझाये हैं तथा उनके पास कुल कितने झगड़ों के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस अवधि में रजिस्ट्रार ने ३९ झगड़े सुलझाए। ४१ झगड़ों के सम्बन्ध में उन्हें आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

बाजपुर चीनी मिल कर्मचारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन

*९--श्री रियासत हुसैन--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को चीनी मिल कर्मचारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन, जो गम्भीर अनियमितताओं के कारण रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स द्वारा खारिज कर दिया गया था; वह ट्रेड यूनियन ऐक्ट के प्राविधान के विरुद्ध रेस्टोर कर दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यूनियन का रजिस्ट्रेशन वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक विवरण न भेजने के कारण समाप्त कर दिया गया था। बाद में यूनियन के मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण देने तथा पुनरावलोकन की प्रार्थना करने पर उसका रजिस्ट्रेशन पूर्ववत् स्थापित कर दिया गया।

*१०--श्री रियासत हुसैन--

यदि हां, तो क्या उक्त अवैधानिक रेस्टोरेशन के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार अनुशासन की कार्यवाही करेगी और उपरोक्त अवैधानिक रेस्टोरेशन को खारिज करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता।

बहजोई में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार

*११--श्री बिशनलाल यादव--

जिला मुरादाबाद में बहजोई से संभल वाली सड़क के दक्षिण के क्षेत्र में जहां लगभग २० हजार जनता के इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं है, क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभान गुप्त--

बहजोई से सम्भल वाली सड़क से दक्षिण के क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव नहीं है किन्तु उसके पश्चिम के क्षेत्र में जहां सोंधन नामक ग्राम है, चिकित्सा संबंधी सुवि-

धाओं का अवश्य अभाव है। उक्त ग्राम में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

गोंडा ट्रेजरी कार्यालय में कर्मचारी

*१२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि गोंडा ट्रेजरी के कार्यालय में अधिक कार्य होने से वहां के कर्मचारियों को साधारणतया ७, ८ बजे रात्रि तक कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को अधिक भत्ता देती है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या वह बढ़ायेगी ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

साधारणतया गोंडा ट्रेजरी के कार्यालय में कर्मचारियों को ७, ८ बजे तक कार्य नहीं करना पड़ता, परन्तु मास की २६ तारीख से आगामी मास की १० तारीख तक कार्य बढ़ जाने के कारण कार्यालय का देर तक खुला रहना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिये उन्हें अधिक भत्ता नहीं दिया जाता क्योंकि फण्डामेन्टल रूल ११ के अन्तर्गत वे पूर्ण समय सरकारी कर्मचारी हैं और भत्ता के अधिकारी नहीं हैं। उक्त ट्रेजरी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का उचित रूप से प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वहां के कार्यभार की जांच पिछले वर्ष चीफ इन्स्पेक्टर आफ गवर्नमेन्ट आफिसेज द्वारा हो चुकी है और उनकी सिफारिश पर दो लिपिक के पदों के अतिरिक्त एक और लिपिक ६ मास के लिये दिया गया था।

मुरादाबाद जिले में बीज भंडार का गेहूं

*१३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सन् १९६२ में गेहूं की फसल बोने के लिये जिला मुरादाबाद के सहकारी सीड स्टोर बुढ़नपुर और जोया सीड स्टोर द्वारा कितने मन गेहूं अलग-अलग बीज के लिये किसानों को दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६२ में मुरादाबाद जिले के बुढ़नपुर, और जोया सीड स्टोर द्वारा निम्न मात्रा में गेहूं बीज के लिये किसानों को दिया गया था:

नाम सीड स्टोर	बीज का किस्म	बीज जो वितरित किया गया		
		क्वीन्टल	कि.ग्रा.	ग्राम
१ बुढ़नपुर ..	गेहूं अ पी० वी० ५९१ ..	.. ७६५	४४	७५०
	गेहूं बी ..	.. १५३	६५	२५०
२ जोया ..	गेहूं पी० वी० ..	.. ८९५	७२	०००

*१४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बीज का गेहूं बांटने के बाद कितना शेष रहा और क्या यह ठीक है कि इस बचे हुए बीज को बाजार में बेच दिया गया ? यदि हां, तो किन आढ़तियों को यह बीज बेचा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

४८६ क्वीन्टल, ३६ किलोग्राम ५०० ग्राम, बांटने के बाद शेष रह गया था। इस बचे हुये गेहूं को बाजार में किसी आढ़तियों को नहीं बेचा गया था बल्कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति अमरोहा द्वारा बिकवाया गया था। सहकारी क्रय-विक्रय समिति अमरोहा ने इस गल्ले को मेसर्स प्यारे लाल होरी राम अमरोहा के हाथ बेचा था।

*१५---श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस बीज को बेचने के लिये सुपरवाइजर सीड स्टोर ने बोर्ड आफ डायरेक्टर से स्वीकृति ली थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उक्त दोनों बीज भंडारों के सुपरवाइजर ने संघ के अध्यक्ष से बीज बेचने की अनुमति ले ली थी जिसे संघ के संचालक मंडलों ने बाद में स्वीकृत कर दिया।

रायबरेली जिले में पंचायत मन्त्रियों का वेतन

*१६---श्री रतीपाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में पंचायत मंत्रियों को अक्तूबर एवं नवम्बर, १९६२ का वेतन अभी तक नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

रायबरेली जिले में पंचायत मंत्रियों का अक्तूबर एवं नवम्बर, १९६२ ई० के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

जिला परिषद्, वाराणसी में आडिट

*१७---श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को पता है कि अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी में सन् १९४८ का १५/१६ आडिट आपत्तियां तथा इसके बाद सैकड़ों आपत्तियां हैं उनको अब तक दूर क्यों नहीं किया गया इसका क्या कारण है और ये आपत्तियां किन-किन विषयों से सम्बन्धित हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सन् १९४८ में केवल २५ आडिट आपत्तियां हुई थीं, इनमें से केवल एक आडिट आपत्ति तय नहीं हो पाई। सन् १९४८-४९ से १९५९-६० तक ३३५ आडिट आपत्तियां हुईं और इनमें से केवल १२९ आडिट आपत्तियां तय होने से रह गई हैं। विशेष कर यह आडिट आपत्तियां शिक्षा विभाग के प्रा० फन्ड के हिसाब से सम्बन्धित हैं। इन आडिट आपत्तियों की प्रत्येक वर्ष पुनरावृत्ति हुई है। इन आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही दूर हो जायंगी।

*१८---श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में जो सन् ६२ के आखीर में दी है इसकी आलोचना की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह सही है कि सन् १९६१-६२ के वार्षिक विवरण पर वाराणसी डिवीजन के आयुक्त ने परिषद् का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था।

वृद्धावस्था पेंशनें

*१९---श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने व्यक्तियों को बुढ़ापा की पेन्शन मिलती है तथा इस पर कुल कितना रुपया व्यय होता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

३१ जनवरी, १९६३ को प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ८७८९ थी। १ अप्रैल, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक ९,३६,८९५ रुपया वृद्धावस्था पेंशन के रूप में दिया गया।

*२०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये तथा उसमें से कितने स्वीकृत हुये और जो अस्वीकृत हुये उनमें से अधिकांश क्या इस आधार पर खारिज हुये कि प्रार्थी भिखमंगे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विवरण इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१९६०–६१	२६०४	१२७५
१९६१–६२	३५०६	१८१५

अस्वीकृत हुये प्रार्थना-पत्रों में से थोड़े ही प्रार्थना-पत्र इस आधार पर अस्वीकृत हुये कि प्रार्थी पेशेवर भिखमंगे थे।

कांग्रेस सेवा दल शिविर, छिबरामऊ

*२१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस सेवा दल का एक कैम्प छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में जनवरी माह में चला था, उसमें वैतनिक सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया, सरकारी जगह पर कैम्प चला, ब्लाक का सामान प्रयोग में लाया गया, सरकारी बन्दूकें सेवा दल वालों को दी गईं, अन्तरिम जिला परिषद् के विद्यार्थी, अध्यापकों को स्कूल के समय में इस कैम्प के समारोह में बुलाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कांग्रेस सेवादल का एक कैम्प ब्लाक छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में जनवरी सन् १९६३ ई० में चला था। इसमें वैतनिक सरकारी कर्मचारियो ने भाग नहीं लिया था। कैम्प उस खाली जगह पर चला था जो हाल ही में पशु चिकित्सालय के लिये प्राप्त की गई है। इस कैम्प में विकास क्षेत्र छिबरामऊ का कोई सामान प्रयोग में नहीं लाया गया। कैम्प के आखरी दिनों में कांग्रेस सेवादल के स्वयं सेवकों ने प्रान्तीय रक्षक दल में अपना नाम लिखाने के लिये लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था और राइफल ट्रेनिंग की भी इच्छा प्रगट की थी। प्रान्तीय रक्षा दल में नाम लिखने के पश्चात कांग्रेस सेवा दल के इन स्वयंसेवकों को १९ से २३ जनवरी सन् १९६३ ई० तक राइफल प्रशिक्षण दिया गया। राइफल प्रान्तीय रक्षक दल यूनिट फतेहगढ़ की प्रयोग में लायी गई। अन्तरिम जिला परिषद् के विद्यार्थी व अध्यापकों को स्कूल के समय में इस कैम्प के समारोह में नहीं बुलाया गया।

*२२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर हां, तो यह सब किसके आदेश पर हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कांग्रेस सेवा दल के कैम्प चलाने के लिये किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। जहां राइफल ट्रेनिंग का प्रश्न है वह तभी दी गयी जब सेवादल के स्वयं सेवकों को प्रान्तीय रक्षक दल में भर्ती कर लिया गया। भरती करने के आदेश क्षेत्र विकास समिति छिबरामऊ द्वारा दिये गये हैं। ट्रेनिंग के लिये राइफलों के प्रयोग की अनुमति जिलाधीश फतेहगढ़ से प्राप्त कर ली गई थी।

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोटवा धाम विद्यापीठ (बाराबंकी) के लिये कितना रुपया भवन निर्माण हेतु नियोजन विभाग द्वारा किसे और कब दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सत्यनाम विद्यापीठ, कोटवाधाम, बाराबंकी के भवन निर्माण के लिये भारत सरकार की लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स ग्रान्ट से १०,००० रुपये तथा संबंधित अन्तरिम जिला नियोजन समिति के डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट से १००० रुपया उक्त संख्या के प्रबन्ध को स्वीकृत किया गया था। १०,००० रुपये की कथित धनराशि में से २५-४-१९५६, १७-३-१९५८ तथा ३०-३-१९६२ को दी गई विभिन्न राशियों का योग ९००० रुपये है। १००० रु० का दूसरा अनुदान ३१-३-१९५५ को दे दिया गया था।

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त विषय का सभी स्वीकृत धन दे दिया गया है और कम्पलीशन रिपोर्ट भी लग गयी किन्तु अभी तक भवन अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लोकल डेवलपमेंट वर्क्स ग्रान्ट से १००० रुपये का अनुदान देना शेष है। कार्य पूरा न होने के कारण कम्पलीशन सर्टीफिकेट अभी तक दिया नहीं गया है। प्रबन्धक, सत्यनाम विद्यापीठ कोटवाधाम को कार्य ३१-३-१९६३ तक पूरा करने की नोटिस दी जा चुकी है। निर्माण-कार्य हो रहा है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार समय के भीतर उसके पूरा हो जाने की आशा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

*२५—क्या सरकार कोटवाधाम में उक्त विभाग द्वारा दिये गये विभिन्न अनुदानों की जानकारी कराने की कृपा करेगी कि जिन जिन प्रोजेक्टों में सरकार ने अनुदान दिया है वह सभी पूरे हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम कोटवाधाम में जिन निर्माण-कार्यों पर नियोजन विभाग के रुपये से अनुदान दिया गया है उनकी वांछित स्थिति संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ८९३ पर)

श्री जितेन्द्रनाथ अग्निहोत्री का नौकरी से हटना

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री सत्यनारायण पांडेय, श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), श्री श्रीराम (जिला बिजनौर), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद), श्री कोतवालसिंह भदौरिया तथा श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जितेन्द्रनाथ अग्निहोत्री जो आई० टी० आई० इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में इंस्ट्रक्टर थे ८ सितम्बर, १९६२ से नौकरी से अलहदा कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, क्योंकि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*२७—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[हटा दिया गया।]

भर्थना विकास खण्ड से खाद का वितरण

*२८—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भर्थना विकास खंड में १ अप्रैल, १९६२ से अब तक कितनी खाद किसानों में नकद, तकावी या अनुदान के द्वारा वितरित की गई तथा कितनी खाद सहकारी विकास संघ के द्वारा खंड को प्राप्त हुई थी और कितनी प्राइवेट डीलरों द्वारा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भर्थना विकास खंड में १ अप्रैल, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक १९५-३२०-९८२ मीट्रिक टन खाद नकद तथा सहकारी ऋण व तकावी द्वारा वितरित की गई। इसमें से १३०-९४०-९८२ मीट्रिक टन खाद सहकारी व कृषि बीज भंडारो एवं बिक्री केन्द्रों से बांटी गई और ६४-३८०-००० मीट्रिक टन खाद व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा बांटी गई।

बिरनों ब्लाकों में कूप अनुदान

*२९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के बिरनों ब्लाक में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में अनुदान द्वारा कितने कुंयें बनाये गये हैं और किन-किन ग्रामों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में गाजीपुर जिले के विकास खंड बिरनों में अनुदान द्वारा ५ कुएं बनाये गये हैं, जिनमें से एक-एक मरदानपुर, सरवरपुर, बिशुनपुरा, चकगई एवं तुरकाली नामक ग्रामों में स्थित है।

*३०—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिरनों ब्लाक के ग्राम धनेशपुर में २३ मार्च, १९६२ को सकल दीपराम हरिजन को अनुदान द्वारा कुआं बनाने की आज्ञा प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति ने कुआं बनवाया या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अनुदान ५०० रु० स्वीकृत किया गया परन्तु २३-३-६३ को नहीं बल्कि ३-३-६२ को। कुंआ अभी नहीं बनवाया गया।

*३१—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त व्यक्ति को अनुदान की रकम का भुगतान कर दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उक्त ग्राम सभा के कुछ सदस्यों ने शिकायत की थी कि श्री संकलदीप राम दो वर्ष पूर्व अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित कूप को ही नये कूप बताकर निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करना चाहते थे। शिकायत की जांच की जा रही है।

सिधौली ब्लाक अधिकारियों के दौरे

*३२—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१ जुलाई, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६२ तक ब्लाक अधिकारिणी, सिधौली (सीतापुर) ने किन-किन ग्रामों का दौरा किया तथा टी० ए०, डी० ए० पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संबंधित ग्रामों के नाम संलग्न सूची 'क' में दिये हुए हैं। अभी तक कोई धनराशि खर्च नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८९४-८९६ पर।)

*३३—श्री बेजूराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अवधि में जिन ग्रामों का दौरा किया गया उनकी दूरी सिधौली से कितनी है ? क्या यह भी सत्य है कि इनमें से कुछ ग्रामों का दौरा ब्लाक प्रमुख की निजी जीप पर किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे ग्रामों के नाम और उनका जो टी० ए०, डी० ए० लिया गया वह धनराशि कितनी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त अवधि में जिन ग्रामों का दौरा किया गया उनके नाम तथा उनकी सिधौली से दूरी संलग्न सूची 'क' में दी गई है। यह सत्य है कि इनमें से कुछ ग्रामों का दौरा ब्लाक प्रमुख की निजी जीप पर किया गया है। ऐसे ग्रामों के नाम संलग्न सूची 'ख' में दिये गये हैं। इस संबंध में अभी तक कोई टी० ए०, डी० ए० भुगतान नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८९४—८९६ पर।)

गोरखपुर में श्री बाईजी पर बिक्री-कर का बकाया

*३४—श्री जगदीश (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर शहर के अन्दर बाई जी नामक एक बड़ा व्यापारी रहता है जिसके पास गत नवम्बर मास में तलाम ऐसे कागजात मिले थे जिसमें पचासों हजार रुपये की सेल्स-टैक्स की चोरी का पता चल रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बाई जी नाम का कोई व्यापारी गोरखपुर शहर में नहीं है अतः उसके पास गत नवम्बर मास में ऐसे कागज़ात निकलने का जिनमें सेल्स टैक्स की चोरी का पता चलता हो, प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री जगदीश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संबंधित सेल्स-टैक्स अफसर ने उक्त मामले को नाज़ायज रूप से दबाने का प्रयास किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न नहीं उठता।

*३६—श्री जगदीश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दुकानदार का काम उसका बाजार नौतनवां, वगैरह तमाम जगहों पर होता है और उसमें बड़े स्तर पर टैक्सों की चोरी की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी।

प्रश्न नहीं उठता—

नगरपालिका, मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य अधिकारी

*३७—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

नगरपालिका, मुजफ्फरनगर में कितने दिनों से स्वास्थ्य नगर अधिकारी नहीं हैं ? यदि हां, तो उसके लिये क्या प्रबन्ध सरकार करने जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

नगरपालिका मुजफ्फरनगर में ५ सितम्बर १९६२ से स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है।

उत्तर प्रदेशीय पब्लिक हैल्थ सर्विस द्वितीय में स्वास्थ्य अधिकारियों की अत्यधिक न्यूनता के कारण मुजफ्फरनगर नगरपालिका के अलावा बहुत से स्थान खाली हैं; सरकार इन रिक्त स्थानों में स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का प्रबन्ध कर रही है।

फतेहपुर जिले में हेल्थ विजिटर मिडवाइफ सेण्टर

*३८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर किन-किन स्थानों पर हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ सेन्टर स्थापित किये गये हैं तथा स्थापित सेन्टर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३९--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त प्रकार के अन्य सेन्टर स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस किस्म के और किन-किन स्थानों में तथा कब से ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४०--श्री उग्रसेन--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मधुवन--दुवारी सड़क के बवला नाले पर पुल की आवश्यकता

*४१--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा १५ सितम्बर, १९६२ का क्रम संख्या ३६ का स्वीकृत प्रस्ताव मधुवन-दुवारी सड़क के बवला नाला पर पुल बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आया है ? यदि हां, तो उसके द्वारा कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ मेडिकल कालेज में श्रीमती पद्मावती राव के पेट में कैंची मिलनी

*४२--श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के दिनांक १७वें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ६० व ६१ के संबंध में आवश्यक जांच करने के उपरान्त वह किस निष्कर्ष पर पहुंची ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

लखनऊ मेडिकल कालज में श्रीमती पद्मावती राव के पेट के आपरेशन के समय जो कैंची पेट में से निकली थी, उसके संबंध में यह पता चला है कि वह श्रीमती राव के पेट में १३-१२-६१ को ईश्वरी मेमोरियल अस्पताल, वाराणसी में हुये आपरेशन में रह गई थी ।

*४३--श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या उस लेडी डाक्टर तथा अन्य स्टाफ के बारे में निश्चित रूप से पता लग सका जिन्होंने श्रीमती पद्मावती देवी का आपरेशन किया था और क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि किन परिस्थितियों में उन्होंने श्रीमती पद्मावती देवी के पेट में आपरेशन करने के बाद ५ इंच लम्बी कैंची छोड़कर उनके पेट को सिल दिया था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

उस लेडी डाक्टर का, जिसने उक्त आपरेशन किया था तथा जिसने आपरेशन में सहायता की थी और उस सिस्टर का जो उस समय आपरेशन कक्ष की इंचार्ज थी, पता लग गया है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य स्टाफ भी उससे संबंधित है यह जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही पता चल सकता है। पेट के अन्दर कैंची छूट जाने का कारण गल्ती होना ही प्रतीत होता है।

*४४--श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या सरकार लखनऊ मेडिकल कालेज के उस आपरेशन की रिपोर्ट सदन के समक्ष उपस्थित करेगी जिसमें यह पांच इंच लम्बी कैंची श्रीमती पद्मावती देवी के पेट से निकाली गई थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

उस आपरेशन के रिकार्ड की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

*४५-४६--श्री सहदेवसिंह--

[हटा दिये गये।]

बेली अस्पताल, मछलीशहर का नाम परिवर्तन

*४७--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेली अस्पताल, मछलीशहर, जिला जौनपुर का नाम बदल कर किसी महिला के नाम पर रखा गया है ? यदि हां, तो वह कौन है और ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। बेली अस्पताल, मछलीशहर, जिला जौनपुर का नाम अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के एक भूतपूर्व अध्यक्ष की स्वर्गीय धर्मपत्नी के नाम पर बदल कर "श्रीमती अमीना बेगम जाफरी अस्पताल" कर दिया गया है। यह अस्पताल अन्तरिम जिला परिषद् का है और परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा अस्पताल का उपरोक्त नाम परिवर्तन स्वीकार किया है।

*४८--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री बलवानसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव में कोई संशोधन भी पेश किया गया था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया।

*४९--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री बलवानसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संशोधन के पक्ष में कितने मत पड़े ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्णकारों की बेरोजगारी

*५०--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री श्यामलाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोने की खरीद व फरोख्त के बारे में भारत सरकार की मौजूदा पालिसी की वजह से यू० पी० में कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे और जो लोग इस पाबन्दी से मुतासिर होंगे उनको रोजगार मुहय्या करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसे स्वर्णकारों की संख्या, जो इस समय बेरोजगार हो गये हैं, सरकार को प्राप्त नहीं है। जिन बेरोजगार स्वर्णकारों ने सेवा नियोजन कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है

उन्हें उनकी योग्यतानुसार कार्य दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनमें से जो स्वयं अथवा उनके आश्रित संबंधी प्रशिक्षण चाहते थे और उसके योग्य थे उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में भरती कराने की भी सहूलियत दी जायेगी।

कानपुर में लेबर एक्सचेंज सम्बन्धी शिकायतों की जांच

*५१—श्री संतसिंह युसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्राणी कृपया बतायेंगी कि लेबर एक्सचेंज के संबंध में प्राप्त शिकायतों क संबंध में श्रम-मंत्राणी ने जो जांच की है उसका क्या नतीजा निकला और उन्हें क्या शिकायत प्राप्त हुयी थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कानपुर एम्पलायमेंट एक्सचेंज में प्रार्थियों के रजिस्ट्रेशन करने, उनके कार्ड बनाने तथा मांग आने पर नियोजकों के पास उनके नाम भेजने इत्यादि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। मैंने तुरन्त मौके पर जाकर पूछ-तांछ के उपरान्त एक जिम्मेदार उच्च अधिकारी को विस्तृत जांच करने की आज्ञा दी। उक्त जांच की एक रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है परन्तु कुछ बातों का स्पष्टीकरण शेष है। पूरी रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

*५२—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में जिस क्रम से नाम दर्ज किये जायं, उसी क्रम से उन नामों को भेजा जाय ताकि भ्रष्टाचार को शिकायतें दूर हो सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

साधारणतः समान योग्यता वाले पंजीकृत व्यक्तियों का उनके पंजीकरण के क्रमानुसार ही नाम भेजा जाता है।

जिला चिकित्सालय, फतेहपुर

*५३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय (राजकीय), फतेहपुर में कितने विभिन्न प्रकार के रोगियों को भरती करने की व्यवस्था है और इस समय कितने रोगी भरती हैं ? क्या जिला फतेहपुर की जन-संख्या देखते हुये भरती किये जाने वाले रोगियों की संख्या व परिचायक नौकरों की संख्या में आवश्यक वृद्धि करने की कोई व्यवस्था की जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जिला चिकित्सालय, फतेहपुर में विभिन्न प्रकार के रोगियों को भरती करने की व्यवस्था है। शय्याओं की संख्या ४८ है। इस समय वहां करीब ७० रोगी भरती हैं। इस अस्पताल में परिचायक नौकरों की संख्या में वृद्धि करने तथा १० शय्या और बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*५४—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त चिकित्सालय में गत वर्ष दवाइयों और रोगियों आदि के लिये जो खर्च की रकम दी गई थी उसमें भी इस वर्ष कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ? क्या जिला फतेहपुर की जनसंख्या व बढ़ते हुये रोगियों व बीमारियों को दृष्टि में रख कर इस व्यय कटौती को खत्म करने की ही नहीं वरन् व्यय में वृद्धि करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उक्त चिकित्सालय में गत वर्ष दवाइयों और रोगियों आदि के लिये जो खर्च की रकम दी गई थी उसमें इस वष कोई कटौती नहीं की गई। इस वर्ष तो वहां दवाइयों के लिये स्वीकृत धनराशि में ३,७०० रु० की वृद्धि की गई है।

*५५-५६--श्री रघुवीर--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कोंच तहसील में वृद्धावस्था पेंशन, कृषि डिप्लोमा, ग्राम साथी

*५७--श्री विजयसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में कोंच तहसील में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

३० व्यक्तियों को।

*५८--श्री विजयसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि ग्राम सेवक के चुनावों के कृषि डिप्लोमा प्राप्त कंडीडेट्स को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कृषि डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को ग्राम सेवक के पद हेतु चुनाव में प्राथमिकता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*५९--श्री विजयसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम साथी और पंचायत मंत्री एक ही काम के लिये क्यों रखे गये हैं? क्या सरकार इस डुप्लीकशन को हटाने के लिये या उनका कार्यक्षेत्र बांटने के लिये कोई कदम उठायेगी? यदि हां, तो वह क्या?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पंचायत मंत्री एवं ग्राम सेवक एक ही कार्य के लिये नहीं रखे गये हैं। उनके कर्त्तव्य पृथक् पृथक् हैं।

*६०-६२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बी० डी० ओ०, नवाबगंज के विरुद्ध शिकायतें

*६३--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद की आम शिकायत है कि वह जनता में व्यक्तियों को गाली देते हैं और बेतों से मारते हैं? क्या इस संबंध में जनता की शिकायतें लिखित डी० पी० ओ० को दी गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

बी०डी०ओ० नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध यह आम शिकायत नहीं है कि वह गाली देते हैं और बेतों से मारते हैं। इस संबंध में १५ जनवरी, १९६३ को श्री राजेंद्रसिंह यादव, एम०एल०ए० ने ७ व्यक्तियों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र, जिला नियोजन अधिकारी, फर्रुखाबाद को दिये हैं। इन शिकायती पत्रों की जांच की जा रही है।

कानपुर में औद्योगिक श्रमिक निवास

*६४--श्री हमीद खां (जिला कानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये कितने आवास-गृह निर्माण किये गये हैं और उनमें कितने औद्योगिक श्रमिक निवास करने लगे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कानपुर में १५,३०५ आवास गृह बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से १०,२४८ गृहों में औद्योगिक श्रमिक निवास करते हैं।

*६५--श्री हमीद खां--

क्या सरकार को यह पता है कि उक्त औद्योगिक श्रमिक गृहों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी रह रहे हैं जिन्हें उन श्रमिक गृहों में रहने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो अनाधिकृत रूप में रहने वालों की संख्या क्या होगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

४,५७४ ऐसे गृह हैं जिनमें अनाधिकृत व्यक्ति निवास करते हैं। जब कभी सरकार या श्रमायुक्त के पास ऐसी सूचना आती है कि अमुक गृह में बिना एलाटमेंट के अनाधिकृत व्यक्ति रहने लगा है तब उस पर जांच करने के बाद ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन की वैधानिक कार्यवाही की जाती है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बता सकना संभव नहीं है।

*६६--श्री हमीद खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ईदगाह, कानपुर के पास जो भवन निर्मित कराये गये हैं उनका मासिक किराया क्या निश्चित किया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) प्रथम मंजिल पर बने गृहों का किराया १८ रु० प्रति माह

(ख) द्वितीय तथा नीचे की मंजिल का किराया १९ रु० प्रतिमाह

*६७-६९--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

[२५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न-२२-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७०-७१--श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७२--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच), श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच) तथा श्री मुन्नूसिंह--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७३-७४--श्री हिम्मतसिंह--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७५-७६--श्री श्यामलाल--

[२८ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जाजमऊ की टैनरियों के श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश

*७७--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जाजमऊ, कानपुर तथा कानपुर में चमड़ा टैनरियों में कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन-क्रम को देखते हुये वह कोई वेतन बोर्ड बनाने पर विचार करेगी तथा इसके साथ पूरे प्रदेश के चमड़ा उद्योग को भी शामिल करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह प्रश्न अखिल भारतीय महत्व का है। अभी तक अन्य उद्योगों में भारत सरकार द्वारा ही अखिल भारतीय स्तर पर वेतन बोर्ड बनाये गये हैं। प्रांतीय सरकार ने किसी भी उद्योग के लिये वेतन बोर्ड नहीं बनाया है।

*७८—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि सिर्फ जाजमऊ, कानपुर की टेनरियों में ४ हजार के करीब श्रमिक कार्य करते हैं जिन्हें ६ आना से ८ आना के हिसाब से दैनिक वेतन तथा सी० ग्रेड की मंहगाई दी जाती है जब कि कूपर ऐलन में ढाई रु० महंगाई जो सूती मिलों में मिलती है वह मजदूरों को दी जाती है और १ रु० से ३ रु० तक रोजाना के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। यदि हां, तो इस अन्तर को अब तक क्यों रहने दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जाजमऊ की टैनरियों के श्रमिकों को कम से कम मूल वेतन ६ आना से ८ आना तक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें मंहगाई भत्ता एम्पलायर्स एसोसियेशन आफ नार्दर्न इंडिया के जूट मिलों के मंहगाई भत्ते के पुराने स्केल के अनुसार दिया जाता है। जनवरी माह में प्रति मजदूर को मिलने वाली मंहगाई भत्ते की राशि ४८ रु० १० आना माह थी। कूपर ऐलन में मंहगाई का भत्ता कानपुर की सूती मिलों के अनुसार मिलता है जो जूट मिलों के मंहगाई भत्ते से अधिक है। कूपर ऐलन में भी अकुशल कर्मचारी को कम से कम ८ आना रोज मिलता है परन्तु कुशल कारीगरों को अधिक वेतन मिल जाता है। इस मामले में कूपर ऐलन और जाजमऊ की टैनरियों का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्योंकि टैनरीज की अपेक्षा कूपर ऐलन एक बहुत ही बड़ा कारखाना है।

*७९—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८०-८२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में बिक्री-कर की वसूली

*८४—श्री जगदीश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में गत वर्ष कितनी बिक्री-कर की वसूली हुई तथा कितना बाकी है ?

*८५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में कितना बिक्री-कर फुटकर दुकानदारों से तथा कितना भट्ठा वालों से वसूल हुआ ?

*८६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में बांसी तहसील में गौरी राई में और धर्म सिसवां के पास ईंट के भट्ठे चल रहे हैं जो कि सेल्स टैक्स नहीं देते ? अगर देते हैं तो उन्होंने कितना दिया और कितना उन पर बाकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

रानीपुर विकास खण्ड में पंचायत मन्त्रियों का अवशेष वेतन

*८७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के रानीपुर विकास खंड के अन्तर्गत काम करने वाले किन-किन पंचायत मंत्रियों का वेतन दिनांक ६ जुलाई, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६१ तक का बकाया है और उसे प्राप्त करने के लिये खंड विकास अधिकारी के जरिये सन् ६२ और सितम्बर, सन् ६२ को जिला अधिकारियों के यहां प्रार्थना-पत्र देने पर अब तक वेतन न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आजमगढ़ जिले के रानीपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने वाले केवल एक पंचायत मंत्री श्री शिवाधार त्रिपाठी का दिनांक ६-७-६१ से ३१-८-६१ तक का वेतन नहीं दिया गया है। इस अवधि में उक्त पंचायत मंत्री का अवैतनिक अवकाश स्वीकार किया गया है। अतः वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*८८-८९--श्री ऊदल--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मौतिरा ग्राम सहकारी समिति

*९०--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मौतिरा, जिला बलिया की सहकारी समिति फर्जी बनाई गई है? यदि हां, तो रामधनी, पुत्र लगन चमार से ३०० रु० झूठ कर्ज दिखाकर ४४२ रु० वसूल क्यों किया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी नहीं।

३०० रु० कर्जा सहकारी समिति के रजिस्टरों में श्री रामधनी पुत्र लगन चमार को दिनांक २-१२-६० को देना दिखाया गया है। इसलिये उसकी वसूली मय सूद के ४४२ रु० वसूल किया जा रहा है।

पंचायत भवन, घोसी व पंचायत भवन, हाजीपुर के निर्माण सम्बन्धी धन का भुगतान

*९१--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा २२ सितम्बर, १९६२ के लिखित पत्र के साथ १७ जुलाई, १९६२ का लिखा हुआ आवेदन-पत्र कोई प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है कि पंचायत भवन, कस्बा घोसी और हाजीपुर के निर्माण कराने वाले व्यक्तियों को जो १९५६-५७ में बनवाया गया था धनराशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

प्रधान, गांव सभा, कस्बा घोसी ने पंचायत भवन निर्माण सम्बन्धी धनराशि का भुगतान कर दिया है परन्तु गांव सभा, हाजीपुर के पंचायत भवन के निर्माण सम्बन्धी धन का भुगतान धनाभाव के कारण अभी नहीं किया जा सका है।

तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*९२--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, जिला गोंडा में एक महिला चिकित्सालय खोलने की जो स्वीकृति हुई थी वह अब तक क्यों नहीं खोला गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

तुलसीपुर जिला गोंडा में महिला चिकित्सालय खोलने की कोई स्वीकृति शासन ने नहीं दी है। अतः चिकित्सालय के न खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

*९३-९४--श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी क्लर्क

*९५—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक हेल्थ की मिनिस्ट्रीरियल सेवा में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो क्लियर वेकेन्सी में गत ४, ५ तथा ६ वर्षों से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

३४।

*९६—श्री बाबूलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से ऐसे कर्मचारी कितने हैं जो कि विभागीय परीक्षा भी पास कर चुके हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

३४ में से २६ ने विभागीय परीक्षा पास की है। शेष ८ क्लर्क सरकारी सेवा से छँटनी किए हुए कर्मचारी होने के कारण विभागीय परीक्षा पास करने से मुक्त हैं।

*९७—श्री बाबूलाल—

मेरी इस जानकारी को सत्य मानकर कि जिला स्तर पर हेड आफिस में कार्य करने वाले क्लर्कों का स्थायीकरण शीघ्र हो जाता है जब कि सहायक कार्यालयों के क्लर्कों का देर में होता है, क्या सरकार मामले की जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

रिक्त पदों की जांच करने के बाद ३४ स्थायी रिक्त पदों पर अस्थायी क्लर्कों के स्थायीकरण के बारे में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*९८-१००—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में नालों पर पुल न होने से कठिनाई

*१०१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दत्तनगर व दुलहापुर, परगना व तहसील व जिला गोंडा के बीच एक ऐसा नाला है जिसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है और इस पर कोई पुल न होने के कारण यातायात में बड़ी कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले पर एक पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम दत्तनगर व दुलहापुर परगना व तहसील व जिला गोंडा के बीच डहुका नामक नाले पर पुल नहीं है। इस नाले पर पुल बनवाने का उत्तरदायित्व अन्तरिम जिला परिषद् का है।

*१०२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्राम मुरैना और जीतनगर, परगना व तहसील उतरौला (गोंडा) के बीच एक ऐसा नाला है जिसमें हर समय पानी भरा रहता है जिससे यातायात में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई पुल बनाने की कृपा करेगी और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम मैरेना और जीतनगर परगना व तहसील उतरौला के बीच सुवाद नामक नाला है जिसमें बरसात में पानी भरा रहता है और लगभग ६–७ मास यातायात में कठिनाई रहती है। इस नाले पर पुल निर्माण करने का उत्तरदायित्व अन्तरिम जिला परिषद् का है। धनाभाव के कारण जिला परिषद् पुल का निर्माण करने में असमर्थ है।

*१०३—श्री सूरजलाल गप्त वकील—

क्या सरकार को पता है कि कटरा बाजार तथा गोंडा के बीच एक ऐसा नाला है जहां पानी सदैव भरा रहता है जिससे आवागमन में बड़ी असुविधा है और एवं जनता को कष्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस नाले पर पुल बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कटरा बाजार तथा गोंडा जाने के लिए मार्ग निम्न प्रकार है :—

(१) कटरा बाजार से गोंडा वाया बालपुर के बीच टेढ़ी नदी पड़ती है इस मार्ग पर बालपुर में टेढ़ी नदी पर पक्का पुल है।

(२) कटरा से गोंडा वाया करनैलगंज के बीच कोई नाला नहीं पड़ता है यह मार्ग सदैव खुला रहता है।

(३) कटरा बाजार से गोंडा वाया कौडिया मार्ग पर रामपुर ग्राम के निकट टेढ़ी नदी पड़ती है जिसमें पानी सदैव भरा रहता है फलस्वरूप यातायात में कठिनाई अवश्य है परन्तु धनाभाव के कारण परिषद् द्वारा इस नदी पर रामपुर ग्राम के निकट पुल निर्माण की योजना नहीं बनायी जा सकी।

उल्लिखित मार्गों के अतिरिक्त एक और कच्चा मार्ग है जो गोंडा से बहराइच जाने वाली सड़क पर मिश्रोलिया रेलवे गुमटी से चन्दउरपुर घाट होते हुए कटरा बाजार जाता है। इस पर कोई नाला नहीं पड़ता बल्कि टेढ़ी नदी पड़ती है। इसी टेढ़ी नदी के चन्दउरपुर घाट पर पुल बनाने की आवश्यकता है। पुल बनाने में लगभग ५० हजार रुपया के व्यय होने का अनुमान है, परन्तु धनाभाव के कारण अन्तरिम जिला परिषद् इसके बनवाने में असमर्थ है।

बनीपारा सर्किल के कोआपरेटिव सुपरवाइजर का मुख्यावास

*१०४—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा बनीपारा ग्राम, जिला कानपुर क्यों तोड़ दी गयी है जब कि बैंक की एक मजबूत और सुन्दर इमारत वहां मौजूद है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की कोई शाखा या इमारत बनीपारा में नहीं थी। अतः उसके तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

*१०५—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर जो कि ग्राम बनीपारा (डेरापुर), जिला कानपुर में हेडक्वार्टर बना कर रहता था अब वहां न रह कर दूसरी जगह रखा गया है और वहां कोई सुपरवाइजर नहीं है, ऐसा क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बनीपारा सर्किल के सुपरवाइजर का मुख्यावास पूर्ववत बनीपारा में ही है और सुपरवाइजर वहीं रहता है।

मैनपुरी नगरपालिका के सैनिटरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायत

*१०६—श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, मैनपुरी में जुलाई, सन् १९६२ में किसी नये सेनेटरी इन्स्पेक्टर की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सैनिटरी इन्स्पेक्टर (शायद उनका नाम श्री रज्जू पांडेय है) वह डी० एम० ओ० एच० कानपुर में कल्यानपुर ब्लाक में काम करते थे ? उन्होंने अपना विनय पत्र नगरपालिका मैनपुरी को प्रापर चैनेल भेजा था या नहीं और क्या उन्होंने बहाना बनाकर कल्यानपुर से छुट्टी ली और मैनपुरी ज्वाइन किया और दो जगह से वेतन लिया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जुलाई सन् १९६२ में नगरपालिका मैनपुरी में एक नए सेनेटरी इन्सपेक्टर जिनका नाम श्री रामचन्द्र पांडेय है, नियुक्त किए गए। वह पहले जिला कानपुर के कल्याणपुर ब्लाक में डी० एम० ओ० एच० के आधीन कार्य करते थे। उन्होंने अपना विनय पत्र नगरपालिका, मैनपुरी को डी० एम० ओ० एच०, एटा द्वारा २४ मार्च, सन् १९६२ को भेजा था, क्योंकि उस समय वे डी० एम० ओ० एच०, एटा के अधीन कार्य कर रहे थे।

कल्यानपुर से श्री पांडे छुट्टी लेकर ६ जुलाई, १९६२ को चले गए। उस छुट्टी को उन्होंने बढ़ाया और २३-९-६२ को उन्होंने अपना त्यागपत्र डी० एम० ओ० एच० कानपुर को दे दिया कि वह ६ जुलाई, १९६२ से स्वीकार कर लिया जाय। इस अर्से में ६ जुलाई, १९६२ को उन्होंने सेनीटरी इन्सपेक्टर का चार्ज, नगरपालिका, मैनपुरी में ले लिया था। परन्तु श्री पांडे को ६ जुलाई, १९६२ से त्यागपत्र की तिथि तक की छुट्टी का कोई वेतन डी० एम० ओ० एच०, कानपुर द्वारा नहीं दिया गया है।

*१०७--श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायतें आयी हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इस सम्बन्ध में नगरपालिका (क) विभाग तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, के कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई है जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

*१०८--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

[१९ मार्च, १९६३ को प्रश्न ८१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१०९--श्री मंगलप्रसाद आर्य--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*११०-११२--श्री नित्यानन्द पांडेय--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण योजना

*११३--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सहकारी शिक्षा की प्रशिक्षण सचल इकाइयां कितनी बन चुकी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वाराणसी जिले में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण योजना की दो इकाइयां काशी विद्यापीठ और चोलापुर विकास क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

*११४--श्री रघुनाथसिंह--

अब तक इस शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और सहकारी क्षेत्र में इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के कार्य का रूप क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के इस प्रदेश में आरम्भ होने से जनवरी, १९६३ ई० तक कुल ३,२७,९५९ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, पंचों, सदस्यों तथा सम्मानित सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

हरिजन कल्याण बोर्ड

*११५--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हरिजन कल्याण बोर्ड विघटित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उसका गठन कब किया गया था?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी नहीं। राजाज्ञा दिनांक ८ अगस्त, १९६१ द्वारा गठित किया गया था।

*११६--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बोर्ड की बैठक कब से नहीं हुई है और क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

पिछली बैठक २ जनवरी, १९६२ को हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति देखते हुये बचत की दृष्टि से कोई बैठक नहीं की गई।

*११७--श्री मुरलीधरकुरील--

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बोर्ड के कितने और कौन-कौन सदस्य व पदाधिकारी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और उनके विवरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८९८-८९९ पर)

गोंडा जिले में गन्ना सहकारी समितियों के कर्मचारियों का भत्ता

*११८--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या व्यावसायिक अधिनियम, १९४७ के अनुसार उत्तर प्रदेश के तथा उक्त कर्मचारियों को उक्त साप्ताहिक अवकाश एवं ओवर टाइम का पैसा जो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, सरकार दिलाने की कृपा करेगी और कब तक ? साथ ही shops and commercial Act, १९४७ का जो नहीं पालन किया जा रहा क्या कदम सरकार उठाने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) प्रश्न में उल्लिखित "उक्त कर्मचारियों" का कोई विवरण न होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ख) जब तक यह स्पष्ट न हो कि अधिनियम के किन धाराओं का पालन नहीं हो रहा है तब तक सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है।

*११९--श्री ऊदल--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

न्याय पंचायत बवना का चार्ज न मिलना

*१२०--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितनी ऐसी न्याय पंचायतें हैं जिनके चार्ज अब तक नहीं मिले हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

केवल न्याय पंचायत बवना में भूतपूर्व सरपंच से नव निर्वाचित सरपंच का चार्ज अभी तक नहीं मिला है।

*१२१--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला के अन्तर्गत नवाबगंज ब्लाक में न्याय पंचायत केन्द्र बवना का चार्ज नये सरपंच को अब तक न मिलने का क्या कारण है ? क्या यह न्याय पंचायत सुचारुरूप से कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो इसमें किस अधिकारी का दोष है और इस अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चार्ज न मिलने का कारण यह है कि भूतपूर्व सरपंच आनाकानी कर रहे हैं। किसी अधिकारी का दोष नहीं है। सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी ने चार्ज दिलवाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जब भी कोई कर्मचारी भूतपूर्व सरपंच के मकान पर गये तो वह सामने नहीं आये। सम्बन्धित हाकिम परगना को धारा १७५ आई० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है और इस बारे में भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध पुलिस ने धारा ४०९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया है और उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट भी निकल चुका है। जो कानूनी कार्यवाही ऐसे मामलों में की जा सकती है वह की गई है। वर्तमान सरपंच को नये रजिस्टर खोज कर कार्य करने के लिये भी जिला पंचायत अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा चुकी है और अब इस न्याय पंचायत ने कार्य शुरू कर दिया है।

प्रधान, ग्राम पंचायत, बरतल के विरुद्ध शिकायत

*१२२--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला के अन्तर्गत नवाबगंज ब्लाक में ग्राम पंचायत बरतल के प्रधान ने करीब एक हजार रुपया जन-स्वास्थ्य का जनहित में न खर्च करके अपने निजी हित में खर्च किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*१२३-१२४--श्री इंद्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१२५--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बिक्री-कर की बकाया धनराशि को वसूल करने का आदेश

*१२६--श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कोई आदेश जिला अधिकारियों को इस बारे में भेजा है कि बिक्री कर के बकाये रुपये को वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा-पूरा वसूल करने का प्रयास किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि बिक्री-कर की बकाया धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने का भरसक प्रयत्न किया जावे।

*१२७--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष के आरम्भ में बिक्रीकर का कितना बकाया था और उसमें अब तक कितनी वसूली हो चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पहली अप्रैल, १९६२ को ९४९ लाख रु० की धनराशि बिक्री कर के बकाया के रूप में थी। पहली अप्रैल, १९६२ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६२ तक १०,२४,३१,५७२ रु० की धनराशि बिक्री कर के रूप में वसूल की गयी। इस धनराशि में पहली अप्रैल, १९६२ तक के बकाया की कितनी धनराशि सम्मिलित है, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

लेबर वेलफेयर अध्ययन

*१२८--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर लेबर वेलफेयर अध्ययन के लिये प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है, उसमें से कितने लोगों को दिया जाता है तथा उससे क्या कार्य (work) होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) लेबर वेलफेयर अध्ययन के लिये श्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*१२९--श्री हरिगैनराम--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुदान दिया जाता है वह प्रयोग हो नहीं पाता ? यदि नहीं, तो प्रयोग न होने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता ।

करहल के सिनेटरी इन्स्पेक्टर का स्थानान्तरण

*१३०--श्री रामसिंह (मैनपुरी)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी, जिला-तहसील करहल, में जो सिनेटरी इन्स्पेक्टर काम कर रहे हैं करीब ७ साल हो गया अभी तक उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सिनेटरी इन्सपेक्टर जो जिला परिषद् की सेवा में हैं, उनका स्थानान्तरण जिला परिषद् ही करती है । करहल के सिनेटरी इन्सपेक्टर का परिषद् द्वारा स्थानान्तरण बरनाहल कर दिया गया है ।

*१३१--श्री रामअधार कनौजिया--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३२-१३३--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिला परिषद् के अन्तर्गत चिकित्सालयों का प्रबन्ध

*१३४--श्री शिवनाथसिंह--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा व्यवस्थित अस्पताल औषधालय, दवाखाने कहां-कहां हैं ? उक्त चिकित्सालयों में किस किस योग्यता के डाक्टर, वैद्य, हकीम सेवा करते हैं तथा उक्त चिकित्सालयों का निरीक्षण करने का अधिकार किस-किस को प्राप्त है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिला कानपुर के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा व्यवस्थित अस्पताल, औषधालय, दवाखानों एवं उनमें कार्य करने वाले डाक्टर, वैद्यों और हकीमों की योग्यता एवं निरीक्षण का अधिकार रखने वाले पदाधिकारियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९००-९०१ पर ।)

*१३५--श्री शिवनाथसिंह--

क्या यह सही है कि परिषद् के अनुभवहीन छोटे कर्मचारियों को भी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों का निरीक्षण करने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

परिषद् के औषधालयों और मतबों का निरीक्षण करने का अधिकार छोटे कर्मचारी जैसे जिलेदार, सुपरवाइजर तथा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर को केवल फीस का हिसाब तथा अचल सम्पत्ति की रक्षा व जांच करने तक ही सीमित है ।

पयागपुर इन्टर कालेज के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१३६—श्री मंगलप्रसाद आर्य, श्री रामअधार कनौजिया, श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह, (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गयाप्रसाद कक्षा ९ इन्टर कालेज पयागपुर, जिला बहराइच ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १० नवम्बर, १९६२ को संचालक, हरिजन कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा था जिसमें कहा गया था कि मेरे छात्रवृत्ति का प्रार्थना-पत्र प्रधानाचार्य, इन्टर कालेज, पयागपुर, बहराइच, द्वारा भेजा गया, जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच, के कार्यालय से खो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां ।

वह जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया ।

*१३७—श्री मंगलप्रसाद आर्य, श्री रामअधार कनौजिया, श्री मन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विशेष रूप से आर्थिक सहायता देने की कृपा करेगी जिससे उसके पढ़ाई में बाधा न हो ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां ।

जुलाई, १९६२ से जून, १९६३ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गई है ।

*१३८-१३९—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४०—श्री शिवदानसिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अलीपुर कोआपरेटिव सोसाइटी में गबन

*१४१—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी अलीपुर टेरना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में ६ हजार रुपये के लगभग का गबन बताया जाता है और सोसाइटी के खजांची व सरपंच जो एक ही व्यक्ति है उनके खिलाफ ही यह गबन के इलजामात हैं ? यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । रु० ५०५४-४९ न० पैसों का गबन खजांची एवं सभापति द्वारा और रु० ७८३-४७ न० पैसा का गबन एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया प्रतीत होता है । गबन की सूचना पुलिस को दे दी गई और यह केस पुलिस स्टेशन, बुढ़ाना में दिनांक २७-२-६३ को धारा ४०९ के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है ।

*१४२—श्री मतोलासिंह—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में औरतों का व्यापार करने वाली संस्था

*१४३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित कतिपय समाज सेवी संस्थाओं के विरुद्ध शादी की आड़ में औरतों का व्यापार किये जाने की हाल ही में गम्भीर शिकायत उसे मिली है और कुछ ऐसे केस पकड़े भी गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी हां। यह एक संस्था के संबंध में सही है।

*१४४--श्री झारखंडेराय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे जघन्य अपराध की रोक-थाम हेतु वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

संस्था को चलाने का लाइसेंस उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३१ के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया है तथा सी० आई० डी० द्वारा इस मामले की जांच भी की जा रही है।

विकास खंडों की जीपें

*१४५--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिये विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के प्रयोगार्थ विकास खंडों की जीपों के इस्तेमाल का आदेश बी० डी० ओ० को दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेश क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिये विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के उपयोगार्थ विकास खंडों की जीपों के इस्तेमाल का कोई आदेश बी० डी० ओ० को नहीं दिया गया है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई आवश्यकता नहीं हुई।

आगरा में सरोजिनी नायडू अस्पताल की नई इमारत

*१४६--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल की नयी इमारत की ऊपरी मंजिल जो अभी तक खाली पड़ी है उसमें कब तक मरीजों के रहने का प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऊपरी मंजिल का कुछ भाग काम में लाया जा रहा है। शेष भाग में मरीज रखने का प्रबन्ध हो रहा है परन्तु एक कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

*१४७-१४८--श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

भगवन्तनगर टाउन एरिया में बिक्री-कर का विरोध

*१४९--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या वित्त मंत्री को इस बात का पता है कि उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया के सर्राफा बाजार के बड़े-बड़े दूकानदारों की अपेक्षा छोटे टुटपुंजिया दुकानदारों पर लगाया गया सेल्स टैक्स अनुपात से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार भगवन्तनगर में इन दोनों किस्म के दुकानदारों पर लगाये गये सेल्स टैक्स के परिमाण का न्यायिक सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगी ?

*१५०--क्या सरकार को इस बात का पता है कि सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण के रवैये से भगवन्तनगर के छोटे दुकानदारों में सरकार के प्रति घोर असन्तोष फैला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई न्यायिक जांच उठाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१५१--श्री रामअधार कनौजिया--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

*१५२--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इन्टर-यूनिवर्सिटी बोर्ड की सिफारिशों की ओर गया है जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष श्री नायडू ने यह सुझाव दिया है कि बी० एस-सी० प्रतिभाशाली छात्रों के लिये मेडिकल का कोर्स ५ साल से घटा कर ३ साल कर दिया जावे ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू करने की स्कीम मंत्री महोदय सोच रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*१५३--श्री काशीनाथ मिश्र--

भारत के प्रधान मंत्री और भारत सरकार की उद्घोषित नीति प्रतिभाशाली छात्र धनाभाव से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, के अनुसार शिक्षा मंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसी स्कीम चलायी है कि निर्धन अनाथ किन्तु प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभाशाली छात्र मेडिकल की शिक्षा मुफ्त पा सकें ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि मुफ्त नहीं तो स्कालरशिप लोन स्कीम के अन्दर ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च टेकनिकल शिक्षा प्राप्त कराने की योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रगति की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी नहीं, मेडिकल की शिक्षा मुफ्त देने के लिये सरकार ने कोई स्कीम नहीं चलाई है । परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष से एम०बी०बी० एस० कोर्स एवं आयुर्वेद के उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिये जिन के अभिभावकों की आय १२५ रुपया प्रति मास से अधिक नहीं है विशेष छात्र-वृत्तियां देने की स्वीकृति दी जा चुकी है । यह स्कीम अगले वित्तीय वर्ष में भी चालू रहेगी । इसके अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के मेडिकल कालेजों के एम० बी०, बी० एस० कोर्स के कम से कम २० प्रतिशत छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में नाममात्र ब्याज पर ऋण देने के लिये भी व्यवस्था की गयी है । ऋण की राशि ६००० रुपया प्रति छात्र होगी जोकि १२०० रुपये की ५ वार्षिक किस्तों में दी जायेगी । इस ऋण के लेने वालों को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम ५ वर्ष तक सरकार की सेवा करने के लिये एक इकरारनामा लिखना पड़ेगा । ऋण की राशि आसान किस्तों में, जोकि बाद में निर्धारित होगी, वापस ली जायगी । यह ऋण ऐसे छात्र, जिनके मात-पिता अथवा संरक्षकों की मासिक आय ३०० रुपये से अधिक नहीं है, को दी जायगी । ऋण लेने वालों द्वारा राज्य सरकार की सेवा न किये जाने पर उससे ऋण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित, जिसकी दर निश्चित की जायगी, तथा अतिरिक्त ब्याज जो दन्ड के रूप में लिया जायगा, एकमुश्त वापस ली जायगी ।

उत्तराखंड एवं कुमायूं मण्डलीय जन-सहयोग मूल्यांकन समितियां

*१५४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखंड एवं कुमाऊं डिवीजन के विकास कार्यों के मूल्यांकन के लिये कोई समिति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसके गठन का आधार क्या है और उसके मेम्बरों के नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिये उपलब्ध जन-सहयोग के मूल्यांकन के लिये प्रत्येक मंडल में एक मंडलीय जन-सहयोग मूल्यांकन समिति है, जिसका निर्माण प्रति फसली वर्ष के लिये किया जाता है । उत्तराखंड एवं कुमायूं मंडलों के लिये भी ऐसी समितियां हैं ।

इन समितियों में सामान्यतः तीन-तीन-गैर-सरकारी सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विकास कार्यों में पर्याप्त रचनात्मक रुचि होती है। इनके अतिरिक्त नियोजन विभाग का मंडलीय अधिकारी (जो संयुक्त उप सहायक विकास आयुक्त होता है) तथा संबंधित उप निदेशक कृषि भी इन समितियों के सदस्य होते हैं। उत्तराखंड डिवीजन की प्रसंगगत समिति का संविधान कुछ भिन्न है। उत्तराखंड एवं कुमायूं मंडल की प्रसंगगत समितियों के सदस्यों का विवरण निम्नोक्त है--

१--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, एम० एल० ए०, अध्यक्ष।

२--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन, एम० एल० ए०, सदस्य।

३--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूरी, एम० एल० ए०, सदस्य।

४--श्री खुशीराम, एम० एल० ए०, सदस्य।

५--ठाकुर किशनसिंह, एम० एल० ए०, सदस्य।

पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी के जिलाधीश अपने-अपने जिलों के लिये इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

१--श्री नारायणदत्त तिवारी, नैनीताल, अध्यक्ष।

२--श्री देवेन्द्रसिंह मेहरा, एम० एल० ए०, नैनीताल।

३--श्री प्यारेलाल गुप्त, एम० एल० सी०, लालाबाजार, अल्मोड़ा।

४--सहायक विकास आयुक्त (उत्तर क्षेत्र), नैनीताल--सदस्य-सचिव।

५--संबंधित मंडलीय उपनिदेशक कृषि।

*१५५--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि उत्तराखंड और कुमाऊं डिवीजन के मूल्यांकन समितियों में उसी डिवीजन के विधायक रखे गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तराखंड की प्रसंगगत समिति के पांच गैर-सरकारी विधायक सदस्यों में दो सदस्य अन्य डिवीजन के विधायक हैं। कुमायूं की समिति के सभी गैर-सरकारी विधायक सदस्य उसी मंडल के विधायक हैं।

नवाबगंज मुहाफिज़ दफ्तर माल में स्टाम्प की गड़बड़ी

*१५६--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या नवाबगंज, बाराबंकी के मुहाफिज दफ्तर माल में १९५९ ई० में स्टाम्प गड़बड़ी के विवरण को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया गया ? स्टाम्प में कितने मूल्य की गड़बड़ी की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नवाबगंज, बाराबंकी के मुहाफिज़ दफ्तर माल में स्टाम्प की गड़बड़ी का विवरण प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति को कोई इनाम नहीं दिया गया।

इस विषय में जो जांच इंसपेक्टर आफ स्टाम्प के द्वारा की गई थी उसके अनुसार ३६५ रुपये ७२ नये पैसे की गड़बड़ी पायी गई।

गन्ना प्रक्रियात्मक समिति, अनजान शहीद

*१५७--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना प्रक्रियात्मक समिति (गन्ना प्रोसेसिंग सोसाइटी) अनजान शहीद, जिला आजमगढ़ कितने वर्षों से स्थापित है ? इस समिति में कितने रुपये के हिस्से जनता द्वारा तथा कितने रुपये के हिस्से सरकार द्वारा लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गन्ना प्रक्रियात्मक समिति अनजानशहीद, जिला आजमगढ़ लगभग ४ वर्षों से स्थापित है। इस समिति में हिस्से के रुपये ३६,५७० जनता के द्वारा जमा किये गये हैं और ५०,००० रुपये के हिस्से उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदे हैं।

*१५८--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त समिति द्वारा संचालित गन्ना मिल में कुल कितना धन लगा हुआ है तथा उसकी वर्तमान पूंजी क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

संचालित गन्ना मिल में कुल ८९,२९३ रुपया लगा है, उसकी वर्तमान पूंजी ६१,८४६.४९ रुपये की है।

*१५९--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त गन्ना मिल कब से बन्द है, क्या मिल की बन्दी के समय भी उक्त मिल के मैनेजर अथवा अन्य कर्मचारी वेतन पाते रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उक्त गन्ना मिल १९६१-६२ से बन्द है। १९६१-६२ सहकारी वर्ष में मिल बन्दी की हालत में मैनेजर एकाउन्टेन्ट चपरासी तथा चौकीदार ही कुछ समय के लिये रखे गये।

गीता प्रेस, गोरखपुर के मजदूरों का पत्र

*१६०--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको, जब कि वे २७ दिसम्बर, १९६२ को गोरखपुर गये थे, गीता प्रेस के मजदूरों का एक खुला पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन्होंने उस पर कौन सी कार्यवाही की ? क्या श्रम मन्त्री उस पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। गीता प्रेस मजदूर सभा द्वारा की गई शिकायतों पर पूर्ण रूप से जांच की गई। अभी गत २१ फरवरी को श्रमिकों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बात भी की गई थी। श्रमिकों के प्रतिनिधियों से कुछ और सूचना मांगी गई है।

पत्र की † प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

अतारांकित प्रश्न

सिधौली विकास खण्ड में झगड़ा

१--श्री बैजूराम--

विधान सभा के वर्तमान सत्र (१९६२) के बारहवें गुरुवार के लिये माननीय शिवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त दोनों रिपोर्टों के प्राप्त होने पर जिलाधीश महोदय सीतापुर के आदेश से जिला पंचायत अधिकारी ने (नियोजन अधिकारी) अगस्त, १९६२ के महीने में मौके पर जाकर जांच की है ? यदि हां, तो जिला पंचायत अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है और उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त रिपोर्ट गोपनीय है, उसे सदन की मेज पर प्रस्तुत करना जनहित में उचित न होगा।

---

†छापी नहीं गई।

कानपुर जिले में हरिजनों को सहायता

२---श्री शिवनाथसिंह--

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत किन-किन निजी हरिजन छात्रावासों को कब से और कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

३---श्री शिवनाथसिंह--

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हरिजनों के लिए कहां-कहां मकान, कुआं तथा हैन्ड पम्प बनवाये गये और उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मकान तथा कूप सम्बन्धी † सूचना संलग्न है।

उक्त अवधि में हैण्ड पम्प के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

देवरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग में परिगणित जातीय कर्मचारी

४---श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग में नीचे लिखे पदों पर कितने व्यक्ति इस समय काम कर रहे हैं ? उन में क्रमशः कितने परिगणित और पिछड़ी जाति के हैं---

(क) हेल्थ विजिटर,
(ख) मलेरिया इन्सपेक्टर,
(ग) कम्पाउन्डर,
(घ) सुपरवाइजर, मलेरिया गैंग,
(ङ) मलेरिया डाक्टर,
(च) चपरासी,
(छ) क्लर्क,
(ज) दायी,
(झ) मिडवाइफ़,
(ञ) वैक्सीनेटर,
(ट) इन्स्पेक्टर ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

५---श्री रतीपाल--

[हटा दिया गया।]

उमारमण माध्यमिक विद्यालय का हरिजन छात्रावास के लिए पत्र

६---कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हरिजन छात्रावास के अनुदान के हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उसके प्राप्त होने की तथा वापस करने की क्या तिथि थी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

७--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह प्रार्थना-पत्र किस माध्यम से प्राप्त हुआ था तथा किस माध्यम से वापस किया गया, क्योंकि विद्यालय को वापस नहीं मिला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

८--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में जनपद सुल्तानपुर को हरिजन छात्रावास के हेतु कितना धन प्रदान करना चाहती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

आगामी वित्तीय वर्ष के लिये इस स्कीम के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

९-१०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[हटा दिये गये।]

११--श्री बैजूराम--

[हटा दिया गया।]

१२-१४--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

[१५ मार्च, १९६३ को प्रश्न १-३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बाराबंकी जिले में कर्ज न पाने वाली सहकारी समितियां, ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव के खिलाफ शिकायत

१५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लाक में विगत २ वर्षों में कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिन्हें लोन नहीं दिलाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लाक की ५८ समितियों को वर्ष १९६०-६१ में तथा ३९ समितियों को वर्ष १९६१-६२ में कर्ज नहीं मिला था।

१६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लाक की सभी सहकारी समितियां ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव द्वारा कर्जा दरख्वास्तें न बनाने से परेशान हैं जैसा कि स्थानीय पत्र मातृभूमि में भी समय-समय पर प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर कराने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ए० डी० ओ० कोआपरेटिव के विरुद्ध कर्जा न दिलाने का आरोप ब्लाक की दो समितियों के सरपंचों के शिकायती पत्रों में था, लेकिन जांच करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों सम्बन्धित समितियों पर बैंक का पुराना ऋण बकाया था इसलिये उसकी अदायगी के बाद ही पुनः नया ऋण मिल सकता था। सभी उन समितियों को जिनको ऋण देना नियमानुकूल था ऋण दिलाया गया है। स्थानीय पत्र मातृभूमि में प्रकाशित किसी शिकायत की सूचना विभाग को नहीं है।

१७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार को इस आशय की शिकायत ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव, बाराबंकी के विरुद्ध प्राप्त हुई है कि वह किसानों से दरख्वास्तें रेकमेन्ड करने हेतु हिस्सा मांगते हैं और दोबारा ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव का तबादला भी हुआ, किन्तु अभी तक वह नहीं गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ए० डी० ओ० कोआपरेटिव के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ए० डी० ओ० कोआपरेटिव का स्थानान्तरण पहले जिले के अन्तर्गत ही दूसरे ब्लाक सूरतगंज को किया गया था, लेकिन उनकी बीमारी व घरेलू अन्य कठिनाइयों के कारण स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया था। इसके बाद उप निबंधक फैजाबाद ने उनका तबादला सुल्तानपुर जिले के लिये किया था, लेकिन उप-निबंधक फैजाबाद ने ही स्वयं उसे बाद में रद्द कर दिया।

१८-१९--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

[७ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्यपाल को अभिनन्दन-पत्र

२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्यपाल महोदय के जनवरी, १९६३ के गोरखपुर आगमन पर गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने के लिए अभिनन्दन-पत्र मिला है? यदि हां, तो क्या उस अभिनन्दन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी हां। अभिनन्दन पत्र की †प्रतिलिपि संलग्न है।

२१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के इस पिछड़े क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

२२--२४--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[हटा दिये गये।]

जौनपुर जिले में सहकारी कृषि समितियां

२५--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने सहकारी कृषि फार्म चल रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जौनपुर जिले में ४ सहकारी कृषि समितियां हैं जिनमें से एक चल रही है।

२६--श्री जगन्नाथ राव--

जौनपुर जिले में प्रत्येक सहकारी कृषि फार्म में सन् १९६०-६१ व १९६२-६३ में कितना धन व्यय हुआ तथा क्या हानि या लाभ हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उक्त एक चल रही सहकारी कृषि समिति के सहकारी वर्ष १९६०-६१ के व्यय तथा लाभ व हानि का विवरण निम्न प्रकार है :--

नाम समिति	व्यय		लाभ या हानि	
	रु०	न. पै	रु०	न.पै.
१ सहकारी कृषि समिति	७,०२३	८७	२,१५५	६

सहकारी वर्ष १९६२-६३ समाप्त न होने के कारण उक्त समिति के इस वर्ष के व्यय व लाभ अथवा हानि का विवरण देना अभी सम्भव नहीं है।

†छापी नहीं गई।

२७—श्री जगन्नाथ राव—

जौनपुर जिलान्तर्गत प्रत्येक सहकारी फार्म में कितनी भूमि है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त एक समिति के फार्म की भूमि का क्षेत्रफल ८५–८६ एकड़ है।

२८–२९—श्री शिवनाथसिंह—

[१८ मार्च, १९६३ के प्रश्न २८–२९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

रानीखेत कोआपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी सम्बन्धित मुकदमा

३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १४ सितम्बर, सन् १९६१ को कोई इब्तदाई रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) रानीखेत कोआपरेटिव डेवेलपमेंट सोसाइटी के सम्बन्ध में जो जिला नैनीताल में है दाखिल की गई है? यदि हां, तो वह क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

एफ० आई० आर० की एक प्रतिलिपि† सदन की मेज पर प्रस्तुत है। रानीखेत कोआपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी अल्मोड़ा जिले में है, नैनीताल में नहीं। सोसाइटी के मन्त्री व अन्य कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध एक मुकदमा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट रानीखेत की अदालत में चल रहा है।

३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९–६० की आडिट रिपोर्ट में कितने पैसे का दुरुपयोग रानीखेत को० आप० डेवल० सोसाइटी पर बताया गया है, तथा किन लोगों पर जिम्मेदारियां बतायी गयी हैं? सरकार इस सम्बन्ध में सदन की मेज पर आडिट रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आडिट रिपोर्ट में ५०,०९१ रुपये ५ नये पैसे का दुरुपयोग बताया गया है और इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी के संचालक मंडल व मन्त्री की बताई गई है।

आडिट रिपोर्ट की एक† प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

३२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

३३–३५—श्री रघुनाथसिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

३६—श्री झिलमिटराम—

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

३७—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

३८—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

---

†छापी नहीं गई।

३९-४०--श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल--
[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

श्रम विभाग, कानपुर का पुस्तकालय

४१--श्री हरिगैनराम--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, कानपुर के पुस्तकालय में अनुसन्धान करने वाले छात्रों को क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्रम विभाग, कानपुर के पुस्तकालय में अनुसन्धान करने वाले छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्रिकायें आदि पढ़ने के लिये दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त श्रम सम्बन्धी आंकड़े और श्रम सम्बन्धी मामलों में अनुसन्धान के लिये निर्देशन भी किये जाते हैं।

४२--श्री हरिगैनराम--

क्या श्रम मन्त्री को यह पता है कि उस पुस्तकालय में रीडिंग रूम नहीं है ? यदि नहीं है, तो क्या सरकार रीडिंग रूम खोलवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पुस्तकालय में रीडिंग रूम है।

४३--श्री हरिगैनराम--

क्या श्रम मंत्री को यह भी पता है कि वहां जो रीडिंग रूम था उसमें संख्या विभाग का कार्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिस स्थान पर पहले रीडिंग रूम था उसमें इस समय संख्या प्रचार विभाग के कर्मचारी बैठते हैं। रीडिंग रूम के लिये दूसरा कमरा उपलब्ध कर दिया गया है।

ज्ञानपुर तहसील में सहकारी संस्थायें

४४--श्री हरिगैनराम--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में कुल कितनी क्षेत्रीय सहकारी समितियां, सहकारी बीजभंडार, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सहकारी संघ, साधन सहकारी समितियां तथा प्रारम्भिक सहकारी समितियां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में:--

क्षेत्रीय सहकारी समितियां	७
सहकारी बीज भंडार	६
क्रय विक्रय समिति	१
सहकारी संघ	१५
साधन सहकारी समितियां	४७ और
प्रारम्भिक सहकारी समितियां	२२३ हैं।

४५--श्री हरिगैनराम--

इन समितियों को देखते हुये तथा जनहित का ध्यान करते हुये क्या वे ज्ञानपुर में एक सहकारी बैंक की शाखा खुलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ज्ञानपुर तहसील में जिला सहकारी बैंक वाराणसी की एक शाखा खोलने का विषय विचाराधीन है, परन्तु अभी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि बैंक की यह शाखा कब तक खुल पायेगी ?

सहकारी कृषि फार्म

४६—श्री सुरेंद्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सहकारी कृषि फार्म हैं तथा छोटे से छोटा फार्म कितने एकड़ का है और सब से बड़े का क्या रकबा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश में इस समय ६५० सहकारी कृषि समितियां हैं। इन समितियों के फार्म में से सबसे छोटा ३० एकड़ तथा सबसे बड़ा ५,००० एकड़ का है।

न्यु स्टार आफ इण्डिया डेरी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

४७—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि न्यू स्टार आफ इंडिया डेरी, पुराना किला, कैन्ट रोड, लखनऊ मक्खन में ऐसे पदार्थ मिलाती है जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है ? यदि हां, तो सरकार उसकी रोकथाम का क्या उपाय कर रही है ? क्या इस संबंध में सरकार को कोई पत्र भी मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी नहीं, अब तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले लिये गये नमूने शुद्ध पाये गये। इस बिना पर रोकथाम का प्रश्न नहीं उठता। उक्त संबंध में सरकार को कोई पत्र नहीं मिला इसलिये उस पर कार्यवाही का सवाल नहीं।

४८—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

नियोजन अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध आरोप

४९—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी में वहां के जिला नियोजन अधिकारी अपना निजी मकान बनवा रहे हैं ? क्या नियोजन मंत्री को दिनांक २६ दिसम्बर, १९६२ ई० को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, बाराबंकी के जिला नियोजन अधिकारी अपना निजी मकान बाराबंकी में बनवा रहे हैं। जी हां, इस संबंध में २६ दिसम्बर, १९६२ को एक पत्र प्राप्त हुआ था और जिस पर जिलाधीश बाराबंकी द्वारा जांच कराई गई। जिलाधीश द्वारा प्राप्त रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

५०—श्री गिरजाप्रसाद—

उपरोक्त नियोजन अधिकारी द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के संबंध में जिलाधीश बाराबंकी को ३१ जनवरी, १९६३ को क्या कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, इस संबंध में जिलाधीश, बाराबंकी को एक प्रार्थना-पत्र ३१-१-६३ को प्राप्त हुआ जिसकी उन्होंने स्वयं जांच की। नियोजन मंत्री व जिलाधीश को भेजे गये पत्रों में लगाये गये आरोप एक ही हैं। इस संबंध में जिलाधीश द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

५१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

५२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

५३--श्री राधेश्याम शर्मा--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में परिवार नियोजन कार्य

५४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में परिवार नियोजन योजना का लाभ सन् १९६२ के वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक अलग-अलग विकास क्षेत्रों में कितने दम्पति पा चुके हैं और लाभ उठाने के केंद्र कहां-कहां हैं ? देवरिया के परिवार नियोजन में कितनी महिला कर्मचारी हैं और उनके सेवाकार्य की रूप-रेखा क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

देवरिया जिले के निम्नलिखित विकास क्षेत्रों के परिवार नियोजन केंद्रों में सन् १९६२ के जनवरी से दिसम्बर तक १३६६ दम्पति लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जिनका विवरण प्रत्येक क्षेत्र के सामने नीचे दिया जाता है--

विकास क्षेत्र का नाम	दम्पतियों की संख्या जिन्होंने लाभ उठाया
१--कैंपटनगंज	५३८
२--फजिलनगर	९६
३--कासिया	९
४--तमकोही	१३९
५--बरहज	
६--सलीमपुर	८५
७--हाटा	२४८
८--पडरौना	
९--सेवरहा	
१०--रुद्रपुर	
११--देवरिया (प्रापर)	२५१
योग ..	१,३६६

उपरोक्त क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में लाभ उठाने के केन्द्र हैं। देवरिया जिले के परिवार नियोजन केंद्रों में दो महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं :--

लेडी सोशल वर्करों के कार्य की रूप रेखा निम्नलिखित है।

(अ) प्रति दिन कम से कम ७ घंटे कार्य करना

(ब) प्रति दिन निम्नलिखित कार्य करना

(१) केंद्र में कार्य करना

(२) केंद्र से बाहर कार्य करना

केंद्र में कार्य का विवरण-

(१) विवाहित स्त्रियों को परिवार नियोजन में शिक्षा देना तथा इसके उद्देश्यों को समझाना।
(२) आवश्यक आंकड़े एकत्रित करना तथा उनको अधिकारियों को भेजना।
(३) परिवार नियोजन योजना के सिद्धांतों का प्रचार।

केंद्र के बाहर कार्य का विवरण:

(१) परिवार नियोजन योजना को सफल बनाने के लिये मुख्य व्यक्तियों से मिलना और उनका सहयोग प्राप्त करना।
(२) कार्यकर्त्ताओं से मिलना तथा उनके द्वारा संचालित समारोहों में भाग लेना।
(३) ब्लाक के कर्मचारियों की सभाओं में भाग लेना।
(४) जिन व्यक्तियों ने योजना को स्वीकार किया है उनसे मिलना।
(५) सभायें करना।
(६) प्रचार सामग्री द्वारा प्रचार करना।

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रावास के लिये अनुदान

५५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ में हरिजन छात्रावास के लिये कितना रुपया स्वीकृत हुआ था और उसे किन संस्थाओं को छात्रावास निर्माण हेतु कब दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

केवल १९६१-६२ में हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु १०,००० रुपया की धनराशि जौनपुर जिले को स्वीकृति की गई थी जो कि सार्वजनिक इंटर कालेज मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर को स्वीकृत की गई। इसमें से निम्नलिखित धन संस्था अब तक दी जा चुकी है:--

धनराशि		तिथि
३,००० रुपया	..	२६ मार्च, १९६२
५,००० रुपया	..	२२ मई, १९६२
१,००० रुपया	..	२४ जून, १९६२।

५६--श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

उक्त हरिजन छात्रावासों में कितने छात्र रहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

छात्रावास अभी पूर्णरूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अतः उसमें छात्रों के रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

५७--श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

सर्वोदय हरिजन छात्रावास, जौनपुर किसके मकान म है और उसके लिये कितना मासिक किराया दिया जाता है और कुर्सी, मेज नौकर तथा अन्य सुविधाओं के लिये कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

लाइन बाजार में श्रीमती मानवती देवी के मकान के एक भाग में चल रहा है। उसके लिये १०० रुपया मासिक किराया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त २५ रुपया प्रतिमास रसोइये का वेतन तथा २ रुपया प्रतिमास आकस्मिक व्यय भी स्वीकृत है। १९६१-६२ में कुर्सी मेज इत्यादि के लिये १५० रुपया अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

फूलपुर विकास क्षेत्र से खाद लेने के सम्बन्ध में शिकायत

५८--श्री दौलतलाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर (आजमगढ़) विकास क्षेत्र के अन्दर दिसम्बर, सन् १९६२ और जनवरी, १९६३ में ८२ रुपये प्रति बोरी की दर से विकास अधिकारी द्वारा खाद लेने के लिये देहात की जनता को बाध्य किया गया ? यदि हां, तो इतनी महंगी खाद और इस समय देने की क्या उपयोगिता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं, देहात की जनता को कथित रीति से बाध्य नहीं किया गया है।

देवरिया जिले में हरिजन कल्याण कार्यों पर व्यय

५९--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों को घर और कुओं के लिये देवरिया जिला हरिजन व समाज कल्याण विभाग को १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया था ? उसम कितना खर्च हुआ और कितना बाकी रहा ? यदि थोड़ा रुपया खर्च हुआ और करीब-करीब सारा बाकी रहा, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में हरिजनों के घर एवं कूप निर्माण के लिये क्रमशः १८,००० रुपया एवं ३९,५०० रुपया स्वीकृत किया गया था। इसमें से गृह निर्माण पर १२,१७५ रुपया तथा कूप निर्माण, मरम्मत तथा हाथनल पर ३६,२४२ रुपया खर्च हुआ। इस समय विभिन्न विकास क्षेत्रों में गृह निर्माण की धनराशि में से ५,८२५ रुपया तथा कूप निर्माण की धनराशि में से ३,२५८ रुपया अवशेष हैं।

६०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार देवरिया जिले में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में बने हरिजनों के मकानों व कुओं की लिस्ट विकास क्षेत्रवाइज, गांव वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? और उनकी लागत क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

देवरिया जिले में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में बने हरिजनों के मकानों, कुओं, कूप मरम्मत तथा हाथनल की † लिस्ट विकास क्षेत्रों तथा गांव के अनुसार संलग्न है। उनकी लागत निम्न प्रकार है--

	रुपये
१--भवन निर्माण	२७,५५८.७१
२--कूप निर्माण, मरम्मत तथा हाथनल	६०,४८९.२७

वाराणसी जिले में सुरक्षा कोष धन

६१--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् में सुरक्षा कोष के धन संग्रह हेतु एक कमेटी २५ अक्तूबर, १९६२ में बनी जिसने तत्काल धन संग्रह कार्य प्रारम्भ कर दिया है। करीब १२ नवम्बर तक उक्त कमेटी ने २० हजार रुपया वसूल किया। १६ जनवरी, १९६३ को १ लाख ४३ हजार ५ सौ उक्त कमेटी या अन्तरिम जिला परिषद् की ओर से सुरक्षा कोष में पहली किस्त भेजी गयी ? क्या सरकार को पता है कि लाखों रुपया १६ अक्तूबर, से १६ जनवरी तक किस के पास जमा रहा ?

---

† छापी नहीं गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(१) जी हां, अं० जि० प० वाराणसी ने अपने प्रस्ताव संख्या १ (स) दिनांक २५-१०-६२ द्वारा सुरक्षा कोष में धन संग्रह करने के निमित्त एक समिति का संगठन किया। उक्त समिति ने १२-११-६२ तक ६५१ रु० ५६ न० पै० संग्रह किये।

(२) १६-१-६३ को १,४३,००१ रु० की मुख्य मंत्री को परिषद् की ओर से सुरक्षा कोष के लिये प्रथम किस्त दी गई।

(३) जो धन २५-११-६२ तक संग्रह हुआ वह परिषद् के कैशियर के पास रहा और २६-११-६२ को १८,५०० रुपया स्टेट बैंक में जमा किया गया और तब से बराबर स्टेट बैंक में धन जमा होता रहा है।

६२--श्री गयाप्रसाद--

क्या यह सही है कि यह रुपये किसी सरकारी खजाने में या बैंक में नहीं रक्खे गये थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उपर्युक्त उत्तरों से स्पष्ट है कि चन्दे का रुपया किसी विशेष व्यक्ति के पास अवैधानिक रूप से नहीं पड़ा रहा और न देश का अहित हुआ। चन्दे का हिसाब ठीक प्रकार से रखा गया। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

६३--श्री गयाप्रसाद--

सुरक्षा कोष के वसूल किये गये रुपयों का गोलमाल या गलत ढंग से व्यक्ति विशेष के पास ३-४ माह तक पड़े रहने से देश का अहित नहीं हुआ ? क्या सरकार उपरोक्त मामले की पूर्णरूपेण जांच करा कर अपराधियों पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जैसा कि ऊपर कहा गया कि २६-११-६२ से बराबर चन्दे का रुपया स्टेट बैंक में जमा होता रहा है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

नत्थी (ख) में प्रश्न ४२ साल भर से चल रहा है और आज भी आया है तो ऐसी जगह पर आया है कि पेश नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि ३।। और ४।। के बीच में मैं अपने कक्ष में रहता हूं। और अब बजाय उसके १२ और १ के बीच में माननीय सदस्य प्रश्नों के संबंध में वहां मुझसे मिल सकते हैं। यहां यह बात नहीं उठाई जा सकती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

आपके कार्यालय से संबंध हो, तब न। लेकिन सरकार से संबंधित बात को तो यहां सुन लीजिये। नियमावली में भी व्यवस्था है कि....

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है। यह प्रश्न है कि नियमों को जिस प्रकार से हमें यहां प्रभावी करना है उन्हें ठीक तरह से बरता जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आप मेरी पूरी बात तो पहले सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नियमों में है कि आपके कार्यालय में और सदस्यों के पास उत्तर १ दिन पहले आ जावेंगे। सरकार की यह हालत है कि आज आपके कार्यालय में भेजकर हमें १० १/२ बजे उत्तर मिलते हैं। तो आप इसकी व्यवस्था करें जिससे अनुपूरक प्रश्न करने में आसानी हो।

श्री अध्यक्ष--

यही मैं कह रहा था और आपने इतना समय ले लिया। मैं यही कह रहा हूं कि नियमों का पालन यदि जिस प्रकार होना चाहिये, नहीं हो रहा है, उसका पालन कराया जाय। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये। या तो हमें यह सूचित कर दें कि इस नियम का पालन नहीं हो सकता, तो सदन उस पर विचार करे, अन्यथा स्पष्ट रूप से जब विधान है, हमारी नियमावली में है कि एक दिन पहले इन प्रश्नों का उत्तर पहुंच जाना चाहिये, तो उसे आपको भेजना चाहिये। यह गलत तरीका है कि हम नियम बनावें और सदन की जो एक बड़ी प्रतिष्ठित समिति है, कैबिनेट और गवर्नमेन्ट, उन नियमों का अगर पालन न करें तो फिर इस तरह के नियमों की कोई वकत नहीं रह जायगी। तो मैं यह चाहूंगा कि माननीय पार्लियामेन्टरी मिनिस्टर मुझसे कृपा करके मिलें और इस संबंध में मुझसे बातचीत कर लें। इस वास्ते कि मैं चाहता हूं कि नियमों का पालन उसी प्रकार हो जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र खुल जाने से सम्बन्धित शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब विशेषाधिकार के संबंध में माननीय मंत्री जी ने एक दिन की मुहलत मांगी है, तो उसे कल के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

हमारा वाला क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

आपही का तो है। माननीय चैतन्यराजसिंह जी, आपका भी है।

समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता, श्री सूबेदारसिंह की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक माननीय उग्रसेन जी का कामरोको प्रस्ताव घाटमपुर, जिला कानपुर में सोशलिस्ट पार्टी के श्री सूबेदारसिंह की हत्या होने के संबंध में है। आज पुलिस का अनुदान है और इसमें आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्ताव दिया है, उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध सरकार का नहीं ज्ञात होता है। कामरोको के लिये मौलिक नियम यह है कि कामरोको प्रस्ताव केवल उस घटना के संबंध में रखा जाता है जिस घटना का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध हो, पहले यह सिद्ध करना होता है कि सरकार द्वारा ऐसी घटना हुई है। इसके लिये हमारे पास अनेकों रुलिंग्स पहले से इस सदन की हैं, लोक सभा की हैं और दूसरी सब जगहों की हैं। फिर मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है और उसके संबंध में आपका खयाल है कि पुलिस का प्रबन्ध ठीक नहीं है, पुलिस का प्रबन्ध होना चाहिये या कोई और वहां कुचक्र चल रहा है, तो उसका जिक्र आज हो सकता है, उसके ऊपर आप आज बजट के डिस्कशन में कह सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इसी संबंध में नियम ५२ के कई प्रश्न आये हैं। तो निमय ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्री से आप एक वक्तव्य तो दिलवा दें।

रिहन्द बांध के पावर हाऊस की टरबाईन मशीन खराब होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के सम्बन्ध में कई सूचनायें मेरे पास आयी हैं। उनको मैंने विद्युत मंत्री के पास भेज दिया है। (विद्युत मंत्री जी से) आप कब वक्तव्य देंगे ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

अभी दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्री सूबेदार सिंह की हत्या के सम्बन्ध में जो नियम ५२ का प्रश्न था, उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि अधिक उपयुक्त होगा कि आदरणीय सदन के समक्ष मैं उन नियमों को पढ़ दूं। विद्वत मंडली जो इस आदरणीय सदन में बैठी हुई है, बार-बार उसके द्वारा ऐसी बातें न होनी चाहिये कि जो नियम के प्रतिकूल है। नियम ५२ में यह है कि "एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।" मैंने इस सम्बन्ध में नियम ५२ की जो दूसरी सूचना है उसको स्वीकार किया है और जब यह स्वीकार हो गई तो इसके अतिरिक्त जितनी अन्य सूचनायें हैं वह लप्स हो जायंगी। उनके बारे में अब जिक्र नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

आप की आज्ञा हो तो मुझे कुछ निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष--अभी आप बैठें, बाद में पूछ सकते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

मैं विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष श्री चन्द्रशेखर जी का जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे बध हुआ और अब श्री सूबेदार सिंह का हो गया, मैं आप का ध्यान.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जायं.....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन् मैं आप की व्यवस्था के विरुद्ध १५ मिनट के लिये अपने पूरे दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। आपने अपना नोटिस समय के बाद दिया है, ११ बजे के बाद आप देते हैं और इस तरह से आप बीच में खड़े होकर सदन को डिस्टर्ब करते हैं। आप से कह दिया था कि जो सूचना समय के बाद आयेगी वह दूसरे दिन ली जायगी, ऐसा नियम है। सचिव ने आप को बता दिया था कि यह समय के बाहर है, लेकिन फिर भी आप बार-बार खड़े होते हैं, आप बैठ जायं।

श्री बनवारीलाल विप्र--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं और निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय, मैं अब दूसरा विषय ले रहा हूं।

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत श्री दौलत लाल जी, श्री रामसुन्दर जी पांडेय, श्री काशी नाथ मिश्र और श्री राम किशोर जी त्रिपाठी का नियम ५२ के अन्तर्गत एक लोकमहत्व का प्रश्न आया है। वह यह है कि "अध्यक्ष महोदय, इस लोकमहत्व के प्रश्न द्वारा ४६ करोड़ की लागत से बने मिर्जापुर में रिहन्द बांध में लगी बिजली घर की खराब मशीनों की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस बात के अन्तर्गत ५ टरबाइनों में से अबतक कभी एक कभी दो टरबाइनों से काम लिया जा रहा है। इन पांचों टरबाइनों के मुख्य द्वार खराब हैं। नम्बर ४ टरबाइन भी खराब है जिसके चलने पर कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। पांचों टरबाइनों के गवर्नर कंट्रोल खराब हैं। नम्बर ३ का क्रास-पीस खराब है। दो मशीनों के यूनिट ट्रान्सफार्मर जल चुके हैं। नम्बर १ मशीन की मैनटौफ्ट घिस रही है। इन पांचों टरबाइनों पर लगभग १२ करोड़ रुपया व्यय हुआ है। उक्त बातों को काफी गोपनीय रखा जा रहा है। इन स्थितियों में करोड़ों रुपये की लागत से बना यह बिजली घर संकट में पड़ गया है।" इस विषय में आप बता दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी की सूचना सत्य से दूर है। हमारे यहां जो यह टरबाइन लगाये गये हैं उन के दाम सवा दो करोड़ रुपये के करीब हैं। जबकि और मशीनें नहीं लग जाती हैं तो शुरू शुरू में कुछ टीथिंग ट्रबुल हुआ करती है और इरेक्टर्स जो होते हैं उनके ठेके में यह बात लिखी हुई है कि एक वर्ष के अन्दर या उसके बाद कोई खराबी आये तो ऐसी चीजों को वह अपने आप दुरुस्त करते हैं। हमारी सब मशीनें अच्छी तरह से चल रहीं हैं और १५५ मेगावाट तक बिजली देती हैं। आवश्यकतानुसार एक दो मशीनें चलेंगी, पांचों मशीनें ठीक चल रही हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

जब वह जवाब दे दें तो आप नियम देखेंगे कि स्पष्टीकरण में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यह सच है या झूठ है, यह तो अपनी सूचना के मुताबिक वह कह रहे हैं और आप अपनी सूचना के मुताबिक कह रहे हैं। तो प्रश्न कीजिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पांचों टरबाइनें हैं वह नहीं चल रही हैं और एक-दो से ही काम लिया जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने जैसा बताया, जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उतनी हम मशीनें चलाते हैं। पूरी जानकारी के लिये बता दूं कि रिहन्द बांध में जो पानी क्षमता है वह १०५ मेगावाट की है और मशीनें जो हैं वह २५० मेगावाट की हैं, यानी ढाई लाख वाट की हैं। तो आवश्यकतानुसार बिजली लेने के लिये उतनी ही मशीनें चलाई जाती हैं। वैसे हमारी पांचों मशीनें ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो आपका जवाब यह है कि जरूरत पर सब चल सकती हैं। जितनी जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त उतनी आप चलाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

उन्होंने यह कहा कि चूंकि जरूरत नहीं इसलिये ३ मशीनें चल रही हैं, दो नहीं चल रही हैं। आज प्रदेश में बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। मऊ में न रहे, सुहावल में न रहे, तो क्या इसकी वजह यह है कि जो पिपरी में ऐलमुनियम फैक्टरी बन रही है उसने जितनी मांग का कंट्रेक्ट किया था उतनी वह नहीं ले रही है, इसलिये हमारी दो मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जहां तक पिपरी में बिजली देने की बात है वह सब बिजली जितनी देने की बात है उनको मिल रही है। जहां तक मऊ और सुहावल और गोरखपुर से छोड़ने की बात है उसका कार्य हमने प्रारम्भ कर दिया है। वह जो लाइन्स हैं अभी तक तैयार नहीं हुई हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि ये जो शिकयतें की गयी हैं इनको स्थानीय विभागीय लोग काफी कांफिडेंश्यल रख रहे हैं और सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है, तो क्या सरकार पुनः इन सब बातों की जांच करायेगी और उसकी सूचना मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमको जो छोटी-मोटी ट्रबुल्स हैं उनकी जानकारी है। उनको, जैसा मैंने कहा जैसा कि मशीन में टीथिंग ट्रबिल होती है . . . .

श्री अध्यक्ष--

सूचना यह है कि छोटी मोटी दिक्कतें हैं। अब अगर आप कोई खास दिक्कत प्वाइंट आउट कीजियेगा तो यह देख लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि रिहन्द का ठेका उस कम्पनी को दिया गया है जिसको खटीमा पावर हाउस का दिया गया था और जिसकी वजह से खटीमा पावर हाउस आज तक खराब चल रहा है, क्या इसकी सूचना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी भी सूचना है। और इसकी भी है कि जो अच्छी टरबाइन्स बनाने वाली संसार में कम्पनियां हैं उनमें से यह भी एक है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्तिम बार यह पांचों मशीनें चला कर कब देखी गई थीं और ठीक पायी गईं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तो सूचना है। और पांचों मशीनें एक साथ चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--

आपको कब मालूम हुआ कि पांचों मशीनें चल सकती हैं, ऐबसोल्यूट इन आर्डर में हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ठीक मशीनें चल सकती हैं यह मुझे अभी टेलीफोन से पता लगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो कहा कि छोटी-मोटी ट्रबुल्स से मशीनें बन्द रहीं तो इन छोटी-मोटी ट्रबुल्स के कारण कितनी टरबाइन्स और कितने दिनों तक बन्द रहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि कोई टरबाइन कभी बन्द रहने की बात नहीं है । हमारा कम्पनी से यह ठेका था कि अगर कोई छोटी मोटी ट्रबुल हुई तो अपनी कास्ट पर कम्पनी उसको रिपेयर करेगी और उसके बदले में १० परसेंट उनका रुका हुआ है । उन्होंने ठीक करने के लिये वायदा कर लिया है और उनके आदमी आकर दुरुस्त कर रहे हैं जो साधारणतः हर मशीन में होता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

वहां पर जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं वह इन गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी दूर नहीं हो रही हैं, तो क्या सरकार अपनी देख रेख में गड़बड़ियों को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा यह इरेक्टर्स का काम है और आपको बता दूं कुछ ऐसा है कि थोड़े से पुर्जे ठीक नहीं हैं उनको टोटल बदलने की बात है वह बाहर से आ रहे हैं और जल्दी ठीक हो जायगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो खराबियां माननीय सदस्यों ने बतायी हैं उनकी जानकारी इस वक्त करके उन्होंने जवाब दिया है या पहले से जो जानकारी थी उसके आधार पर जवाब दिया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमारा नियम ऐसा है कि रिहन्द में जितनी बिजली पैदा होती है या मशीन चलती है उसकी खबर करीब-करीब रोज आया करती है और उसकी खबर रहती है, लेकिन आज चूंकि आपने सवाल किया था इसलिये आज फिर हमने उसकी दोबारा जांच करायी और टेलीफोन से मुझको सूचना मिली ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब से पांचों टरबाइन्स लग कर तैयार हो गई हैं और उनके न चलने से लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है तो इसको दूर करने के लिये जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

टरबाइन्स हमारी चल रही हैं और उनके चलने से १ करोड़ ४४ लाख रुपये की आमदनी हुई तथा अगले साल २ करोड़ से ज्यादा आमदनी होने वाली है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

मंत्री जी ने बताया कि पांचों मशीनें सही हैं । जो मशीनें बन्द हैं उनको चलाने के आदेश देंगे और जो चालू हैं उनको बन्द कराने के आदेश देंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरी दिक्कत यह है कि बिजली को माननीय सदस्य समझना नहीं चाहते, और अगर समझ नहीं सकेंगे तो जवाब देने में मुझे दिक्कत पड़ेगी.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो इतना सवाल कर रहे हैं कि जो बन्द हैं उनको चालू करवा दें और जो चालू हैं उनको बन्द करवायेंगे ? यह आपको मन्जूर है कि नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आवश्यकता होगी तो कर देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि जो मशीनें बन्द हैं उनके बन्द होने का एक कारण यह भी है कि जो बिजली है उसमें कुछ ऐसे कारण विभाग की तरफ से पैदा किये जाते हैं जिनसे बिजली कम पैदा होती है, उसके बारे में कोई शिकायत आई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मुझे तो ऐसी कोई सूचना है नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

पिछले ५ महीनों से यह टरबाइन्स चल रहे हैं उनमें से कितने कम से कम और कितने ज्यादा से ज्यादा चलाये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

पिछले १ वर्ष से चल रहे हैं और जैसे-जैसे उनकी आवश्यकता होती है उनको चलाया जाता है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

यह ५ टरबाइन्स रोटेशन से चलाये जाते हैं या कुछ रिजर्व में रखे जाते हैं और अगर रोटेशन से नहीं चलाये जाते हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो वहां के इंजीनियर बतलायेंगे ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

दूसरे नम्बर के गेट की मशीन पर काफी गड़गड़ाहट है उसके बारे में जो रिपोर्ट है उसको माननीय मंत्री बतलायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैंने जैसा अर्ज किया हमारे यहां कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो नार्मल ट्रबुल से ज्यादा ट्रबुल पैदा करती है । इसलिये कोई खास अहमियत की बात वह नहीं होती ।

श्री उग्रसेन---

क्या यही कारण है कि अभी तक गोरखपुर जनपद के जितने पावर हाउसेज हैं वे सब उससे जोड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बिजली रिहन्द में खराबी की वजह से पैदा नहीं हो रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जी नहीं, यह बात बिलकुल असत्य है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को सूचना मान कर कि वहां पर काफी मशीनें खराब हैं जिससे कि कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं जिनको दूर किया जा सकता है, तो क्या सरकार वहां पर कोई जानकार इंजीनियर को नियुक्त करने को तैयार है जो तमाम गड़बड़ियां चाहें बड़ी हों या छोटी हों अपनी देख-रेख में दूर कराये और उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैं गड़बड़ी मानता ही नहीं । वहां का इन्चार्ज एक सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है जो इस काम को वहां देखा है ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं नियम ५२ के बारे में पूछ रहा हूं । गणेश शंकर इन्टर कालेज, गोरखपुर में जो घटना १५ तारीख को हुई है उसके संबंध में शायद आपने यह कहा था कि आज माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होगा तो वह आज होगा या कल होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह कल होगा, यह बतला दिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन है । आज अखबारों में इस बात की सूचना निकली है कि माननीय बनारसी दास ने एक वक्तव्य दिया है जो कि सारे देश के अखबारों में आया है और उसका प्रचार इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है । इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के चपरासी ने उस वक्तव्य को प्रेस करसपोंडेंट्स को बांटा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के वक्तव्य को सरकारी कर्मचारी बांट सकता है ? यदि बांट सकता है तो आप माननीय मंत्री जी से इस पर क्लेरिफिकेशन दिलवा दें कि क्या उन्होंने उसका उपयोग किया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह लिखित रूप से मेरे पास आयेगा तो विचार किया जायगा ।

सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दस सदस्यों का प्रार्थना-पत्र और माननीय बनारसीदास का एक पत्र आया है वह इस प्रकार से है :

निम्नलिखित विधान सभा के सदस्यों को माननीय नेता, कांग्रेस विधान मंडल दल ने कांग्रेस में सम्मिलित करने की अनुमति दे दी है । कृपया इन्हें विधिवत् कांग्रेस दल में सम्मिलित करने की घोषणा की जाय—(१) श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर, (२) श्री गंगाधर मैठाणी, (३) श्री हेतरामसिंह, (४) श्री बिशनलाल यादव (५) श्री नरेन्द्र सिंह (मुरादाबाद), (६) श्री जुगलकिशोर (बदायूं), (७) श्री रघुवीर सिंह (एटा), (८) श्री देशराजसिंह (बांदा), (९) श्री पंचमदास (हरदोई), (१०) श्री आर्थर सी ग्राइस (कानपुर) ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जिन माननीय सदस्यों के नाम आपने अभी पढ़ कर सुनाये हैं इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि एक यहां पर आचरण संहिता बनी थी और सभी दलों के लोगों ने यह तय किया था कि एक पार्टी के छांटे हुये उम्मीदवार दूसरे दलों में नहीं लिये जायेंगे । तो क्या सरकारी पार्टी ने उस आचरण संहिता के विरुद्ध कार्य नहीं किया है ? मैं समझता हूं कि ऐसा कर के कांग्रेस पार्टी ने उस आचरण संहिता के विरुद्ध कार्य किया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न यहां नहीं उठ सकता, अलग से उठा सकते हैं ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय कल्पनार्थसिंह का मेरे पास पत्र आया है। इस संबंध में मैं इस सदन के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आवास मंत्रणा समिति मैं बनाता हूं और वह इस सदन के माननीय सदस्यों की सुविधाओं के संबंध में विचार करती है। उन सुविधाओं में से एक सुविधा यह भी है कि विधायकों के लिये जो आवास हैं उनका भी वह वंटन करे किन्तु वह हो नहीं रहा है। इस समय जो आवास मंत्रणा समिति है वह बेकार सी है जबतक कि वह इन सब बातों पर विचार करने का अधिकार न रखे। अभी तक तो यह है कि स्टेट मंत्री महोदय इन सब बातों को देखते हैं। तो मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं सरकार से इस संबंध में बातचीत करूंगा ताकि यह निश्चय हो जाय। या तो हमारी आवास मंत्रणा समिति रहेगी या फिर सरकार सब सुविधाओं का प्रबन्ध करेगी। यह गलत है कि मेरी नियुक्त की हुई आवास मंत्रणा समिति रहे लेकिन उसको कोई अधिकार न हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं इस बारे में जानकारी करा दूं। मैं उसका सदस्य रह चुका हूं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया.....

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आप मुझे सब बातें फिर समझा दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आप उस कमेटी को भंग कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत बात है। बन्द करने वाला मैं हूं। आपकी मंत्रणा नहीं चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—

मुझे आपने उसका सदस्य मनोनीत किया है। मैं उससे अपना त्याग-पत्र देता हूं। आप दूसरे को मनोनीत कर दीजिये, आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

अब माननीय काशीनाथ जी का एक मेरे पास पत्र आया है। उन्होंने अपने पत्र में कुछ इस प्रकार की शिकायत की है कि कहीं ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका नाम और स्थान का पता उन्होंने नहीं दिया और कहते हैं कि उसके ऊपर छापा मारा जाय। तो मैं एक बात बता दूं कि यह लेजिस्लेचर है, यह एग्जीक्यूटिव बाडी नहीं है। अगर किसी नियम के अन्तर्गत वे कोई सूचना या नोटिस दे सकते हों तो मैं ले सकता हूं नहीं तो इस प्रकार के पत्र का मैं आदर करते हुये भी कुछ नहीं कर सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास मैंने एक नियम ५२ की नोटिस दी थी। उसे आपने अस्वीकार कर दिया है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि चेचक का बहुत ही प्रकोप है।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैं भेज दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

भेज कर किसी दिन सूचना दिलवा दीजिये। हम लोगों को भी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न दे दीजिये। चार दिन में आ जाय। आप नियम ५२ में दे देते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अल्पसूचित में एक महीना लगाते हैं।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६३–६४...

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये व्यवस्था का प्रश्न केवल उस समय उठता है जब कोई कार्यवाही सदन के सामने हो। बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जो आज लिटरेचर बंटा हुआ है वह अंग्रेजी में बंटा है। उसको हिन्दी में बंटवाइये।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं माननीय मुख्य मन्त्री को बुलाऊं तब आप खड़े हो कर कहिये। मैं पहले पूरा पढ़ तो दूं।

श्री अध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १४—माननीय मुख्य मन्त्री।

(माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर।)

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, हमारे यहां विधान सभा का नियम है कि जितनी किताबें छपें हिन्दी में छपें, लेकिन जितनी किताबें छपती हैं वह सब अंग्रेजी में छपी हैं। उनको आदेश दिया जाय कि हिन्दी में छाप कर बांटें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आज जिन अनुदानों पर विवाद हो रहा है उसके सम्बन्ध में लिटरेचर है।

श्री उग्रसेन—

यह सब वार्षिक रिपोर्टें हैं जो अंग्रेजी में भेजी हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

इसको तो लन्दन के लोग पढ़ सकते हैं। हम तो चकित रह गये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री, यह जो आज साहित्य बंटा है उसमें आप के अनुदान से कोई सम्बन्धित है, पुलिस से?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

क्या है, मैंने तो देखा ही नहीं कौन-सा बंटा है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा मैं देख लूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १४—पुलिस। के अन्तर्गत १२,९१,३५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(इस समय १२ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह सब को विदित है कि एक महत्वपूर्ण विभाग का अनुदान है और वह विभाग जिसका उत्तरदायित्व प्रदेश में ला एंड आर्डर की व्यवस्था रखने का है और साथ ही उन कार्यों का सम्पादन करना है जो उत्तरोत्तर प्रदेश में पुलिस के कंधों पर इस प्रदेश में और देश के और प्रदेशों में बढ़ते जा रहे हैं और जिन बोझों को वह उठाकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की चेष्टा कर रही हों। पिछले वर्ष के बजट में और अब के बजट में जहां तक धनराशियों का सम्बन्ध है एक अन्तर है, वही अन्तर करीब १ करोड़ साढ़े २४ लाख रुपयों का है और वह इसलिये है कि कुछ तो धनराशियां इसलिये बढ़ी हैं कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट के बहुत से हिस्सों को सरकार ने मंजूर कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बातचीत बहुत हो रही है। जरा शान्ति से सुनने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

और उनकी मंजूरी देने के कारण पिछले वर्ष सब-इन्सपेक्टर और हेड-कांस्टेबिल की तनख्वाहों में थोड़ी वृद्धि हुई है थी और इस वर्ष पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, रेडिओ आपरेटर्स, फायरमैन, फायर स्टेशन के इन्चार्ज इत्यादि की तनख्वाहों में वृद्धि की गई है और उन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है जो इस सम्बन्ध में पुलिस कमीशन ने की थीं। साथ ही वृद्धि बजट में इस कारण से भी है कि केन्द्रीय सरकार ने चार पी० ए० सी० की बटालियन्स और अपने कार्यों के लिये रेज करायी हैं, एक तो पहले ही से बटालियन उनके पास थी। तो उसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है वह भी इन बढ़ी हुई धनराशियों में सम्मिलित है।

पिछले वर्ष पुलिस के ऊपर काफी बोझा पड़ा। आम चुनाव थे, कुम्भ का मेला था और फिर इमर्जेंसी द्वारा उपस्थित या पैदा हुई परिस्थितियां थीं। हमें इस बात की खुशी है कि उन सारी परिस्थितियों का मुकाबिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर योग्यता से किया। जहां तक आम चुनाव का मसला था और उसकी जिम्मेदारी थी कहीं भी, सिवाय एक स्थान के जहां दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनायें हुईं, प्रदेश में आम चुनाव सुगमतापूर्वक गुजर गये। कुम्भ के मेले के अवसर पर भी जहां अक्सर पिछले कुम्भ के मेलों में दुर्घटनायें हुआ करती थीं वहां वह दुर्घटनायें नहीं हो पायीं और पुलिस ने काफी योग्यता से और काफी क्षमता से, जो कि एक सेवक के अन्दर होनी चाहिये, कुम्भ के अवसर पर कार्य किया। साथ ही में इमर्जेंसी के अवसर पर जब बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पुलिस के ऊपर आ पड़ा तो उसने उस उत्तरदायित्व को भी योग्यता से सम्भाला। बहुत से ऐसे व्यक्तियों के विषय में देख-रेख रखना जो कि इस राष्ट्रीय संकट के समय में हमारे देश में दूसरे विचार रखने वाले थे, काफी और ऐसे तत्व जो हमारे देश में हैं और जो राष्ट्र के प्रति वह सद्भावना नहीं प्रदर्शित करते, उनकी देख-रेख रखना और साथ ही में उन स्थानों पर और कठिन स्थानों पर देख-रेख के बोझे को सम्हालना जहां-जहां कि उसने इन परिस्थितियों में कार्य किया, इन सभी कार्यों में जैसा मैंने कहा, उसने योग्यता का परिचय दिया, चाहे वह पुलिस और पुलिस के कर्मचारीगण हिमालय की १४-१५ हजार फुट ऊंची चोटियों पर जाकर बैठें, वहां बरफ में और ऐसे वातावरण में जो कि काफी मात्रा में असहनीय होता है, वहां हमारी सीमाओं की देख-रेख उन्होंने की और उन सीमाओं की देख-रेख करके इस बात का परिचय दिया कि हमारी पुलिस के सिपाही मुसीबत आने पर कठिन से कठिन परिस्थिति

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

का मुकाबला कर सकते हैं। यहीं नहीं, पिछले वर्ष पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और सिपाहियों ने डाकुओं के गिरोहों से मुठभेड़ ली और किसी तरह से उनको लिक्वीडेट किया। बेबीसिंह और जनरलसिंह के गिरोह ऐसे मशहूर गिरोह थे जो वर्षों से विभिन्न स्थानों में जनता को सता रहे थे, उनको उन्होंने बहादुरी से खत्म किया। बहुत से स्थानों पर सुरक्षा समितियों के द्वारा, जो जिले जिले में पुलिस के अधिकारियों द्वारा रची गई हैं, जनता के सहयोग से डाकुओं का मुकाबला किया गया और उन तत्वों का मुकाबला किया गया जो तत्व ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था बिगाड़ने के लिये हमेशा उद्यत रहते हैं। मेरा तात्पर्य उन स्थानों और उन घटनाओं से है जहां के गांवों की सुरक्षा समितियों ने डाकुओं से भिडन्त की। उसमें बहुत से सुरक्षा समिति के सदस्य (लगभग ७१ सदस्य) मारे गये। उनमें ६२ के करीब डाकू भी मारे गये। उनमें करीब करीब ७९० आदमी जख्मी हुये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से स्थानों पर पुलिस ने बहादुरी का परिचय दिया। आपके सिपाहियों ने वह कार्य किया कि जो एक पुलिस के सिपाही को करना चाहिये। मैंने आरम्भ में यह कहा था कि उत्तरोत्तर पुलिस के उत्तरदायित्व का दायरा बढ़ता जा रहा है, यही बात नहीं है कि पुलिस का सिपाही ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था रखने के लिये कार्य करता है। आज पुलिस का सिपाही चौराहे पर दोपहर और कड़ी गर्मी में खड़ा रह कर बहुत से व्यक्तियों को राह दिखाता है और बहुत सी दुर्घटनाओं से लोगों को बचाता है जो कभी किसी भी चौराहे पर हो सकती है। तो मैं आज ऐसे विभाग के अनुदान को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जिस पुलिस के सिपाही, कार्यकर्त्ता और कर्मचारी को कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ता है। पिछले वर्ष जब मैंने अनुदान पेश किया था तो उस समय मैंने कुछ अपने विचार एक माननीय हाई कोर्ट के जज के कुछ शब्दों के सिलसिले में इस सदन में प्रकट किये थे और उस समय जो बात मैंने कही थी तो इस सदन में कई माननीय सदस्य थे जो उन वाक्यों को इस सदन में रखकर, एक गीता का वाक्य मानते हुये, बराबर इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल एक ला लेस जमात के साथी हैं जो कि ला के अन्तर्गत कार्य नहीं करना चाहते और जहां जहां उसको उत्तरदायित्व निभाने के लिये कहा जाता है वहां वह कानून की शिकवा करते हैं। मेरे मित्र उग्रसेन जी, कुंवर श्रीपालसिंह जी और जो साथी उधर बैठते हैं सब ने उस जजमेंट की प्रतिलिपियां इस सदन में और शायद बाहर भी बटवाई थीं और इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है। कन्डेक्ट आफ दि जज की प्रोसीडिंग के बारे में कोई भी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती है। यहां पर इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है और मुख्य मन्त्री जी फिर उसी बात को शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह एक कन्ट्रोवर्शियल ईशू है और इस कन्ट्रोवर्शियल ईशू में उनको नहीं पड़ना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट....

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में इस सदन में....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, जो वाकया हुआ है, आप देखें कि जजमेंट का डिसकशन यहां पर नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, वह अपनी राय देंगे, तो हमें भी अपनी राय देने का मौका हो जायगा

श्री उपाध्यक्ष—

जो जजमेंट (फैसला) हुआ है, वह थोड़े ही डिसकस कर रहे हैं...।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आप देखें कि संविधान में इस बात की चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। जब यह बात सही है कि आदरणीय जज के सम्बन्ध में कोई रिफलेक्शन नहीं किया जा सकता जोकि इस माननीय सदन में मौजूद नहीं हैं, तो उनके कन्डक्ट के बारे में कहे...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, वह जिस लहजे में कह रहे हैं, उस से माननीय जस्टिस मुल्ला महोदय के कन्डक्ट पर असर पड़ता है और उनके आचरण पर नहीं कहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया विराजें, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, मैं माननीय जज के कन्डक्ट के ऊपर न तो कोई आलोचना करने की धृष्टता कर सकता हूं और न मैंने कभी इस प्रकार की धृष्टता की ही है। माननीय मुल्ला महोदय, सौभाग्य से मेरे सहपाठी भी रहे हैं। साथ ही उस जगह पर बैठाने में भी थोड़ा बहुत इस सरकार के मंत्री होने के नाते मेरा हाथ रहा होगा। तो मैं कोई बात अनादरपूर्वक अपने किसी मित्र के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में करने की धृष्टता नहीं कर सकता हूं। इस अवसर पर भी नहीं करूंगा। परन्तु यदि कोई चीज या कोई बातें कोई जज महोदय अपने जजमेंट में ऐसे लिख दें, जिसका जजमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उन बातों के सिलसिले में प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी कहता रहा हूं और ऐसा आज भी मानता हूं परन्तु मैं उस प्रश्न के अन्दर नहीं जाऊंगा। मैं माननीय उग्रसेन जी से यह निवेदन करूंगा कि वे अपने विचारों पर, जरा इस अवसर पर सन्तुलन रखने की कृपा करें। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि जिस जजमेंट को उन्होंने पिछले वर्ष रखकर सारे पुलिस फोर्स को कन्डम करने का प्रयास किया, मैं आज जो सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसलिये प्रस्तुत करूंगा कि उससे कदाचित, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा है कि हम पुलिस के या किसी फोर्स के विषय में यदि अपने विचार प्रकट करें, तो विचार प्रकट करने में जरा सन्तुलन रखें। इसलिये कि यदि हम किसी भी फोर्स के सिलसिले में एक आम राय ऐसी फैला देंगे, तो उसमें जो डिमारलाइजेशन होगा, वह देश के हित में नहीं होगा और समाज के हित में नहीं होगा, जिनको कि हम समाज के अन्दर फैलाना चाहते हैं। अब मैं कुछ शब्दों को और कुछ पैराज को इस सदन के समक्ष उद्धृत करूंगा। उससे फिर क्या नतीजा निकलेगा, उसको भी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप डाकुमेन्ट से पढ़ रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह जो सर्टिफाइड जजमेंट है, उससे पढ़ रहा हूं। वह इस प्रकार है—

"We consider that the remarks made by the learned judge in respect of the entire police force of the State were not justified on the facts of the case, nor were they necessary for the disposal of the case before him."

"हम ऐसा समझते हैं कि जो रिमार्क्स जज महोदय ने सारे पुलिस फोर्स के विषय में जो कि स्टेट का है, कहे थे, न तो उनकी आवश्यकता थी और न जो उनके सामने वाकयात थे, वह उनको इस बात की आज्ञा प्रदान करते थे कि वह इस तरह की आलोचना पुलिस के विषय में करें।" उनका यह भी कथन है,

"if we may so so, betrayed a lack of judicial approach and restraint". जज ने जो एक न्याय देने वाले व्यक्ति की किसी भी विषय में अप्रोच होनी चाहिये वह नहीं दिखाई और न उन्होंने वह संतुलन दिखाया जो कि एक जज को अपने विचारों के रखने के विषय में प्रदर्शित करना चाहिये—

"To characterise the whole Police Force of the State as a lawless group is bad enough ; to say that its record of crime is the highest in the State is worse and coming as it does from a Judge of the High Court, is sure to bring the whole administration of law and order into disrepute".

उनका कहना है कि यह कहना कि स्टेट पुलिस फोर्स जो है वह ला-लेस है, यह खराब चीज है और उससे ज्यादा खराब यह चीज है यह कहना कि उसकी जो क्राइम की रिपोर्ट है वह सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा खराब है। यह अशोभनीय है एक जज के लिये और ऐसा कथन सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन और ला-एन्ड आर्डर को बदनाम करा सकता है—

"For a sweeping generalisation of such a nature, there must be a sure foundation and the necessity of the case must demand it".

किसी जनरलाइजेशन के करने के लिये कोई आधार होना चाहिये और बिना आधार के कोई चीज कह देना न्याय-संगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि—

"It was wholly unnecessary for the learned Judge to condemn the entire police force and say that their record of crime was the highest in the country. Such a remark instead of serving the purpose of reforming the police force, which is the object the learned judge says he had in mind, is likely to undermine the efficiency of the entire police force. We think that in his zeal and solicitude for the reform of the police force, the learned Judge allowed himself to make these very unfortunate remarks which defeated the very purpose he had in mind".

श्री उग्रसेन—

यह भी पढ़ दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

'Having said all this, we must add lest we be misunderstood, that the conduct of Mohammad Naim and officers like him deserves the severest condemnation, and the learned Judge rightly observed".

यह तो उसी के सिलसिले में है—

".....that such conduct required very serious notice by superior officers of the Police". This is pertainiug to that case, I am not concerned with it.

मैं नम्रतापूर्वक सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में खामियां हैं, पुलिस में अच्छे आदमी हैं, योग्य आदमी हैं, ईमानदार और मेहनत करने वाले आदमी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने वाले आदमी हैं और ऐसे आदमी हैं मुख्तलिफ स्थानों पर, जिन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। पुलिस में ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी अवांछनीय तत्व हैं जिनको हम अभी दूर नहीं कर पाये हैं, हटा नहीं पाये हैं और जिनके हटाने में अभी समय लगेगा। इसलिये समय लगेगा कि वह सामाजिक चेतना हमें चारों तरफ पैदा करनी होगी जिसके द्वारा वह कुरीतियां और दोष जो हमारे समाज में हैं वह वहां से हट जायं। यह नहीं है कि यदि कोई पुलिस का व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसे सजा देने की चेष्टा नहीं की गयी है। जहां कोई ऐसी बात सामने आयी है, अच्छे अधिकारी ने और योग्य अधिकारी ने उस व्यक्ति को, तुरन्त ही जितनी भी ला के अन्दर सजा दी जा सकती है उसको देने का प्रयास किया है। हां, यह नहीं है कि यदि कोई पुलिस का अधिकारी है, यह कोई मन्त्री से या स्वत: सरकार से आशा रखे कि उसको बन्द कर दिया जाय और वह तरीके बरतें जायं जो कि इस देश में हो नहीं सकते, तो यह यहां सम्भव नहीं है। यदि कोई कुसूर करता है तो माननीय ऊदल जैसा व्यक्ति जिस देश से मोहब्बत करता है वहां तो यह सम्भव है कि उसको मिनटों में खत्म कर दिया जाय, किन्तु यहां यह सम्भव नहीं है। वहां का तौ निजाम और तौर तरीके ही कुछ दूसरे किस्म के हैं। यहां तो माननीय ऊदल जी तथा सभी साथियों ने गणतन्त्र को स्वीकार किया है।

तो मैं यह कह रहा था कि जहां रूल आफ ला का सवाल आता है, वह सब के लिये है, चाहे वह दोषी है या निर्दोषी है। हो सकता है कि कहीं इसके प्रयोग में गलती भी हो। मैं इसको डिनाई करने के लिये तैयार नहीं हूं कि जहां पर सही प्रकार से रूल आफ ला का प्रयोग होना चाहिये, वहां पर उसका सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं हुआ है, गलत कार्य भी हो सकता है ऐसे भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हो सकते हैं जो अपने उत्तरदायित्व को नहीं सम्भालते और उनका कार्य निन्दनीय है। किन्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह है जो जजमेंट मैंने पढ़ा, उसको पढ़ने का मतलब मेरा यही है कि अगर हम सारी पुलिस को कह दें और जनरालाइज कर दें कि वह बिलकुल निकम्मी है, बेईमान है, वह अपने उत्तरदायित्व को नहीं सम्भालती, तो यह गलत है और इससे जो हमारे अन्दर एक उमंग है उसके अन्दर परिवर्तन लाने की, उसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती। उससे उस दिशा में हम नहीं चल सकते जिसे हम चलना चाहते हैं। आखिर पुलिस तो इस सरकार को जमाने में भी कार्य करेगी और यदि आपकी सरकार बनी तब भी यह पुलिस कार्य करेगी।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--
तब उनको नेफा भेज देंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त --
अगर लांछन इस बात का है कि हमारी पुलिस लद्दाख और नेफा में नहीं गयी और नागालैंड में नहीं गयी, तो मैं उनको सूचना देना चाहता हूं हमारे यह आदमी भी उन स्थानों पर गये हैं जो काफी ऊंचाई पर हैं और जहां से फौज भी काफी नीचे रहती है। जिन स्थानों पर फौज रहती है, उन स्थानों से ऊपर हमारे सिपाही रहे हैं, वहां जाकर उन्होंने कार्य किया है। हमारे स्पेशल पुलिस फोर्स को वहां जाकर काम करना पड़ता है जहां से दुश्मन केवल १०-१२ मील की दूरी पर ही बैठे हुये हैं। वहां पर काफी ऊंचाई पर, वर्षा और बर्फ में तम्बुओं के अन्दर उनको रहना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है हमारे पुलिस के सिपाही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर र हैं।

हां, अगर मैं यह घोषणा कर दूं कि पुलिस की सभी कमियां खत्म हो गयी हैं, तो मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता। हमारे वह सिपाही जो उन पहाड़ियों पर बैठे हुये हैं वह हमें सूचना देते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है और दुश्मन की फौज क्या कर रही है। फौज के आदमियों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

को तो बहुत सी सहूलियतें मिलती हैं जो वहाँ जाकर बैठते हैं और कार्य करते हैं । ऐसी सहूलियतें हम इनको नहीं दे पाये हैं । इसलिये उनके बारे में हमने सहानुभूतिपूर्वक कुछ विचार किया है और कुछ फैसले लिये भी हैं । जो सुभीते फौज के आदमियों को वहां पर मिलते हैं वे इनको भी मिल सकें क्योंकि वे एक ऐसे संकट का मुकाबला करते हैं जहां देश की रक्षा के लिये उनको अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है । तो इस वर्ष हमने कुछ फैसले किये हैं और कुछ के ऊपर विचार कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि आज इमरजेंसी में जो टेंशन है उसमें ऐडवांटेजेज मिल सकते हैं वह उनको दिये जायं, कुछ और सुभीते तो रहने के है तथा जो साधन इत्यादि फौज को दिये जाते हैं जोश इत्यादि लाने के, वह भी उनको दिये जायं जिससे वे भी जोश और उमंग के साथ उन स्थानों पर कार्य कर सकें ।

आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई स्थानों पर पिछले वर्ष कई सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने बहुत बहादुरी का कार्य किया है । कई डाकुओं को जब वे मशीनगनों से सुसज्जित थे, उनके पास वह तमाम चीजें थीं जिससे वह भारी नुकसान पुलिस और उसके अधिकारियों को पहुंचा सकते थे, तब उन्होंने उनका मुकाबिला किया । उनको मुकाबिला करके पछाड़ा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों को और बच्चों को वे उठा ले गये थे । रैनसम के रूप में उन बच्चों को भी उनके माता पिताओं तक उन्होंने पहुंचाया । तो कहने का तात्पर्य है कि जिन चोरों और डकैतों से वह भिड़ते हैं और उनसे बहादुरी से मुकाबला करते हैं वहां पुलिस के कुछ लोगों ने कुछ स्थानों पर कमियों का भी प्रदर्शन किया है । अभी कल ही में अपने साथियों से काफी देर तक इस विषय में बात कर रहा था कि कुछ थानेदार है जो ज्यादा संबंध रखते हैं उन आदमियों जो गांव में बैरिस्टर कहलाते हैं या जिन्होंने अपना पेशा बना रखा है खबरें देने का और कुछ बेईमान अधिकारियों को रुपया पहुंचाने का । तो इस तरह की कई बातें हमारे साथियों ने बताई । अब वह एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से मिल कर सब को विचार करना है और सबको ऐसे सुझाव रखने है जिससे वह कुरीतियां जो गांव-गांव में फैली हुई हैं, गांव-गांव में ऐसे व्यक्ति पैदा हो गये जिन्होंने अपना यही धंधा बना रखा है उनको अपने सामाजिक जीवन से कैसे हटायें और कैसे वह कुरीतियां दूर हों । उस पर इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहिये क्योंकि हमको ऐसे लोग जो समाज में पैदा हो गये हैं जो पुलिस के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ बेईमान आफिसरों का उल्लू सीधा करते हैं उनका मुकाबिला करना है, उनसे हमको भिड़ना है । परन्तु हम तभी उनसे भिड़ सकेंगे जब ऐसे सुझाव आयेंगे कि कैसे हम पुलिस के दोषों को दूर कर सकते हैं ।

आज इस प्रदेश की सरकार को इस इमर्जेंसी के कारण एक बड़ा बोझ पुलिस विभाग में बढ़ाना पड़ रहा है यद्यपि उस बोझ को जो हम उठाने जा रहे हैं, उसका इस अनुदान से संबंध नहीं लेकिन हमने एक दूसरा सिविल डिफेंस का अनुदान रख छोड़ा है उसको हम अधिक बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं । अब अगर हम अध्ययन करेंगे कि सन् ३७–३८ से अब तक पुलिस का जो विकास हुआ है उसके ऊपर यदि नजर डालेंगे तो विदित होगा कि हमारी आमदनी जिस अनुपात में बढ़ती रही है पुलिस पर उस अनुपात में खर्चा नहीं बढ़ा है बल्कि घटा है । सन् ३७–३८ में अपनी आमदनी का साढ़े १३ परसेंट पुलिस पर खर्च करते थे । पिछले वर्षों में भी जितनी आमदनी हमारी हुई उसके अनुपात में पहले के मुकाबले में खर्च घटा है । इस साल भी आदमनी बढ़ रही है और जिन विभिन्न दिशाओं से हम अपने साधन इकट्ठा कर रहे हैं उनके मुकाबिले में हमने खर्चा बढ़ाया नहीं है । वह खर्चा हमारा घटा है । यद्यपि कल ही अपने साथियों के बीच में कई घंटों तक बात की । पहली बार यह सुझाव मैंने अपने साथियों से पाया कि उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में पुलिस में कर्मचारी नहीं है, पुलिस के थाने नहीं हैं, कांस्टेबिल्स नहीं हैं । ऐसा सुझाव करीब-करीब जितने साथी वहां थे, उन्होंने एक मत होकर दिया कि जितनी हमारी जनसंख्या है, और जितनी क्राइम्स हमारे बीच में हैं, उनको देखते हुए कांस्टेबिलों की भर्ती अधिक होनी चाहिये, सब इंसपेक्टरों की भर्ती अधिक होनी चाहिये और मुख्तलिफ

स्थानों पर थाने अधिक बढ़ाने चाहिये । हमारे साथियों का यह विचार करीब-करीब यूनैनिमस ढंग से आया कि तमाम क्राइम्स को खत्म करने के लिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि उनके पास आने जाने के ऐसे साधन हों जिससे कि जल्दी से जल्दी उन स्थानों पर पहुंच सकें, जहां कि क्राइम्स होते हैं । यह बात भी आयी कि आज वे घोड़े रखते हैं लेकिन घोड़ों के सिलसिले में भी कहा गया कि उसके लिये उनको जितना एलाऊंस मिलता है वह बहुत कम है । अब कुछ लोग साइकिल और मोटर साइकिल रखने लगे हैं । कुछ साथियों ने कहा कि उनके पास मोटर होनी चाहिये और ब्लाक की मोटर उनको इस काम के लिये इस्तेमाल करनी चाहिये । परन्तु पहली बार मैंने अपने साथियों के बीच में बैठकर उनसे सुझाव के रूप में यह पाया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से आज जितनी पुलिस फोर्स हमारे पास है वह बहुत कम है और आंकड़े भी यह विदित करते हैं क्योंकि अन्य प्रदेशों में, जिनकी आमदनी हमारे बराबर नहीं है और जिनकी जनसंख्या हमारे बराबर नहीं है, वहां पुलिस फोर्स ज्यादा है । उनका पर-कैपिटा खर्च भी पुलिस पर हमसे कहीं ज्यादा है । आंकड़े से पता चलता है कि पुलिस पर पर-कैपिटा खर्च उत्तर प्रदेश में है १.३२, महाराष्ट्र में १.३६, आंध्र में १.८०, मध्य प्रदेश में १.५२ और पंजाब में १.५९ है । तो इससे भी विदित है कि जनसंख्या के अनुपात से पुलिस पर हमारा पर कैपिटा खर्च कम है । अब हमारे साथियों की तरफ से यह विचार प्रकट किया गया है कि हमारी पुलिस फोर्स में अधिक कांस्टेबिल्स होने चाहिये, अधिक थाने होने चाहिये और आने जाने की सुविधायें अधिक बढ़ानी चाहिये ।

अब १० हजार आदमियों के पीछे १९६० में सारे प्रदेश में जो पुलिस थी उसके आंकड़े भी दिये हुए हैं, जो इस प्रकार हैं--उत्तर प्रदेश १.७७, आंध्र ९.८५, बम्बई १५.५, महाराष्ट्र १५.५३, मध्य प्रदेश १२.८९, पंजाब १६.९२, राजस्थान १६.२२ । यानी १० हजार आदमियों के पीछे हमारे प्रदेश में पुलिस और प्रदेशों से बहुत कम है । तो आंकड़े से विदित है है जितनी हमारी जनसंख्या है, और जितने क्राइम्स हैं, उनको देखते हुए हमारी पुलिस फोर्स में अधिक भर्ती होनी चाहिये । इस वर्ष जैसा कि बजट से आपको स्वतः विदित है, हम पुलिस फोर्स में कुछ कांस्टेबिलों को भर्ती करने जा रहे हैं, कुछ थाने बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ स्थानों से कुछ थानों को जोड़ने भी जा रहे हैं । इन ऊपरी बातों का जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि थानों को आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित किया जाय, सारे थाने टेलीफोन से कनेक्ट होने चाहिये जिससे क्राइम करके कोई भाग जाय तो उसे पकड़ा जा सके । दुर्भाग्य की बात है कि अभी यह व्यवस्था सारी जगह नहीं हो पायी है लेकिन इस वर्ष और अगले वर्ष तक कुछ थानों को टेलीफोन से जोड़ दिया जायगा और कुछ थानों को वायरलेस से भी जोड़ा जायगा और इस तरह से पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करने की चेष्टा की जा रही है । इस दिशा में पुलिस कमीशन ने भी हमारा ध्यान आमन्त्रित किया है । ज्यों ज्यों साधन बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों हम पुलिस फोर्स को उस दिशा में अधिक ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स में सुधार करने के लिये हमारे पास उस प्रकार के सुझाव आने चाहिये । जिन सुझावों पर हम सब मिलजुलकर, एक राय होकर काम कर सकें और उन दोषों को पुलिस से निकाल सकें जिनके निकालने की अभिलाषा हर दल के सदस्यों में और नेताओं में है । अगर उस दृष्टिकोण से हम इस अवसर पर हम अपने सुझाव प्रस्तुत करें और आलोचना करेंगे तो तो कदाचित् हम उन सुधारों को लाने में आगे बढ़ा सकेंगे जिन को लाने की इच्छा हमारे आपके सबके दिलों में है । बहुत से स्थानों की बातें होंगी और ऐसी बातें होंगी जिनकी बहुत से सदस्यों को जानकारी भी न होगी और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अभी विचाराधीन हैं और इन्क्वायरी के स्टेज पर होंगे तो उनके संबंध में मेरा निवेदन है कि उनको इस रूप में सदन में रखने से काम न होगा । जहां हमारे दोष हैं उनकी आलोचना की जाय, उनमें सुधार लाने के लिये हमारे समक्ष वह सुझाव प्रस्तुत किये जायं जिनसे हम एक कदम आगे बढ़ सकें । मैं अब

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सदन का बहुत अधिक समय न लेता हुआ इस अनुदान को आपकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं और आप से आशा करता हूं कि आलोचना करते समय इस दृष्टिकोण को बराबर अपनी नजर के सामने रखें, वह दृष्टिकोण जो हमारा आप का एक है और जिसमें कोई अन्तर नहीं है ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या १४--पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि यह अनुदान जिस विभाग से संबंधित है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग से जनसाधारण का बड़ा निकट का संबंध है और आज की संकटकालीन परिस्थिति में इस विभाग का, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, महत्व और भी बढ़ गया है । आप से यह भी निवेदन करूंगा कि हम पुलिस विभाग के संबंध मेंआलोचना की दृष्टि से नहीं करना चाहते और हम यह भी नहीं कहते हैं कि पुलिस विभाग में जितने कर्मचारी या अधिकारी हैं वे सब खराब हैं, हम यह भी नहीं कहते कि जितने भी भ्रष्टाचार के अभियोग बढ़े हैं उनके लिये पुलिस के कर्मचारी ही उत्तरदायी हैं, लेकिन एक बात और है कि जहां विरोधी दलों की ओर से हम केवल पुलिस के दुर्गुण और खामियों को न ढूंढें वहां सरकारी पक्ष की ओर से भी, केवल कुछ उनके बारे में प्रशंसा, उनके काम के बारे में तारीफ के अतिरिक्त कुछ बात करें । जो उनकी मुख्य मुख्य समस्यायें हैं, जिनसे जनजीवन आज संबंधित है और जिन पर उनको असंतोष है, उन पर ध्यान जाना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उनके कार्य प्रशंसा योग्य हैं उनके बारे में कहा उसके लिये मैं भी उनका आभारी हूं उनके विचारों से सहमत हूं, लेकिन इस प्रदेश की जो मूल समस्यायें हैं और जिनके संबंध में जनजीवन में असंतोष है उनको भुलाकर उन पर पर्दा डाल कर हम पुलिस की प्रगति नहीं कर सकते । हमें इन सब समस्याओं को समझना होगा, उनके बारे में विचार करना होगा और इस संबंध में सरकार की जो गल्तियां हैं उनके बारे में भी हमें एक बार पुनः विचार करना होगा ।

अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि दूसरे प्रदेशों के अनुपात में हम पुलिस पर व्यय कम करते हैं और यह भी कहा कि हम और प्रदेशों को देखते हुये अधिक तेजी से कार्य कर रहे हैं । लेकिन यह बात भुलायी नहीं जा सकती कि उत्तर प्रदेश में आजादी के १५ साल के बाद अपराधों में वृद्धि हुई है और इतनी तेज हुई है कि वह चिन्ता का विषय बना हुआ है । इस संबंध में सब दलों के विचार लेकर, आई० जी०, डी० आई० जी०, के विचार कर पुलिस आयोग ने यह बात कही है कि हमारे यहां अभियोगों और अपराधों की संख्या बढ़ रही है और इस संबंध में उन्होंने साफ ढंग से कहा कि "हमारे इस प्रश्न के उत्तर में क्या राज्य में अपराध का अनुपात व्यक्ति तथा सम्पति के संबंध में बढ़ रहा है ? लगभग सभी व्यक्तियों ने निश्चित रूप से बताया है कि अपराध बढ़ रहे हैं । साक्षातकार के दौरान में हमने विशेष रूप से यह प्रश्न ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों से किया जिनमें आई० जी० डी० आई० जी०, और एस० पी० थे उन्होंने अधिकांशतः यही विचार व्यक्त किया कि हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति और सम्पत्ति दोनों ही के संबंध में विशेष कर व्यक्ति विषयक अपराध बढ़ रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं हुआ है, लेकिन हमें देखना यह है कि जितनी नीतियां बरती हैं, जितनी सतर्कता सरकार की ओर से दिखायी गई है तथा अपराध धीरे-धीरे कम बढ़ रहे हैं तो हमें संतोष होना चाहिये । हम यह भी जानते हैं कि सरकार की ओर से वही पुराना जवाब आज भी दिया जायगा कि चूंकि अब सभी अपराध लिखे जाते हैं इसलिये उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम देखें कि इन १५ सालों में पिछले दिनों में भी जब से कहा जाता है अपराध छिपाये नहीं जाना चाहिये, फिर भी उत्तरोत्तर उनकी संख्या बढ़ रही है । इसलिये हम इनकार नहीं कर सकते कि हम जिस ओर चल रहे हैं वह बहुत संतोषजनक स्थिति है । अपराध बढ़े हैं और इस संबंध में कुछ आंकड़े सभी प्रांतों के रखना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं । बड़े शर्म की बात है कि हम अभियोगों में सारे भारत में सबसे आगे हैं । टाइम्स आफ इंडिया डायरेक्टरी, १९६२-६३ में १९६० के संबंध में आंकड़े निकले हैं हत्याओं और डकैती के । हत्या के आंकड़े आप देखें आन्ध्र में ९००, आसाम में ४३२, बिहार में ८८८, गुजरात में ७७६, महाराष्ट्र में १,१९२ और उत्तर प्रदेश में १,६५६ हत्यायें हुई हैं । जहां तक डकैती का संबंध है आन्ध्र में ७५, आसाम में २४१, बिहार में ७७५, गुजरात में ८७, मध्य प्रदेश में ४८६, महाराष्ट्र में ३८७ और उत्तर प्रदेश में ९५२ । किडनैपिंग केसेज आन्ध्र में १४५, आसाम में ३४५, बिहार में ४७३, गुजरात में २४४, मध्य प्रदेश में ६८७, महाराष्ट्र में ४५४, राजस्थान में ५६६ तथा उत्तर प्रदेश में ८१४ । तो जहां हमें संतोष है कि हम खर्च कम कर रहे हैं वहां अब मुख्य मंत्री को देखना चाहिये कि अभियोगों की संख्या भी यहां अधिक है, देश और प्रदेश में काफी चिन्ता है । टाउन्स को देखें, कानपुर में उसी साल की वृद्धि हुई है अपराधों में, बम्बई में १३·९, अहमदाबाद में ५·६, कलकत्ते में हुई है और मद्रास में ७.३ परसेंट अपराधों की कमी हुई है । तो जहां तक देहाती क्षेत्रों का सवाल है और जहां तक शहरी क्षेत्रों का सवाल है दोनों में हम सारे भारतवर्ष में अन्य प्रदेशों से जहां तक अभियोगों का सवाल है हम आगे हैं । पुलिस आयोग ने यह प्रतिवेदन दिया है कि प्रति वर्ष हमारे अपराधों की संख्या में बढ़ती होती जा रही है । तो मैं कहूंगा कि जहां आप उन बहादुर सिपाहियों की तारीफ करते हैं वहां जिस ढर्रे से काम चल रहा है उस पर विचार करके चिन्ता करनी होगी । हमारे मुख्य मंत्री ये समस्यायें सामने रखते कि अपराधों में वृद्धि हो रही है और उनके लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं और यह भी बतलाते कि दो चार साल में किस तरह वे उन पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें संतोष होता, लेकिन वह सब छिपाया जा रहा है ।

पिछले साल के बजट से भी पता चलता है कि खर्चा बढ़ा है और उस अनुपात से जितना हम खर्च बढ़ा रहे हैं, जितनी पुलिस की संख्या बढ़ा रहे हैं, जितना वेतन-क्रम में सुविधा दे रहे हैं उस अनुपात से काम होता दिखाई देता तो संतोष होता कि निकट भविष्य में हम अपनी स्थिति का सुधार कर सकेंगे लेकिन जहां साधन को जुटा रहे हैं वहां अभियोगों की संख्या बढ़ती चली जाती जाती है इसलिये चिन्ता का विषय है ।

दूसरे प्रदेश में जनसाधारण से संबंध रखने वाले जानते हैं कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है और उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है । पिछले दिनों में जितना भ्रष्टाचार प्रदेश में था उसके लिये बराबर यही कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म किया जायगा लेकिन आप इसमें सफल नहीं हुए हैं । भ्रष्टाचार किसी रूप में हो, किसी विभाग में हो निन्दनीय है लेकिन जहां तक पुलिस विभाग का संबंध है भ्रष्टाचार एक बड़ी भयंकर बात है । और विभागों में भ्रष्टाचार के द्वारा पक्षपात करके थोड़ा बहुत रुपया ले लेते हैं लेकिन पुलिस विभाग में जनता की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेते हैं । हम उनको शारीरिक और मानसिक यातनायें देकर बलात रुपया वसूल कर सकते हैं । १५ वर्षों के बाद भी यह कलंक पुलिस पर लगा हुआ है और सरकार उसे हटाने में असफल रही है ।

पिछले दिनों में जो कम्पलेंट आफिसर्स की मशीनरी तैयार की गयी थी उसके द्वारा अपराध को हटाने का जो भय उत्पन्न किया गया था उसके संबंध में पुलिस आयोग ने यह बात कही थी कि कम्पलेंट आफिसर काम कर रहे हैं लेकिन एक कमी है कि वह स्थानीय एस० पी० के अन्तर्गत है इसलिये जनता में उनके प्रति उतना विश्वास नहीं होता । इसलिये पुलिस कमीशन ने सिफारिश की थी कम्पलेंट आफिसर को स्थानीय अधीक्षक के अन्तर्गत डी० आई० जी० सी० आई० डी० के अन्तर्गत रखना चाहिये । अगर यह काम होता तो जो भय उत्पन्न हो रहा था तुरन्त जांच होने के संबंध में और जिसका श्रीगनेश हुआ था, उसमें सफलता मिलती । माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में यह काम प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने अनुभव किया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो सकेगा लेकिन आज जिले-जिले में कम्पलेंट आफिसर्स नहीं हैं और उनके हटाने से वातावरण आपने अच्छा नहीं किया । जो लोग उनके भय से, अपने भय से कुछ भयभीत रूप से अपने स्थान

[श्री शारदाभक्तसिंह]

पर कार्य कर रहे थे आज फिर उन्होंने सारी जनता में अपना हाथ फैलाने प्रारंभ कर दिया है। मैं अगर कहूं कि भ्रटाचार बहुत अधिक है, खुलेआम घूस लिया जाता है तो आप कहेंगे कि आप बढ़ा कर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यह इसलिये कहता हूं कि प्रदेश की जनता इस बात का अनुभव करती है और जब आप उधर से कहेंगे---मैं चाहता हूं कि आप कहें कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, देहातों में कम हुआ है तो आप हिम्मत से कहें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता जो हम लोगों से कहती है कि किस तरह से विधान सभा में केवल कागज की बात कही जाती है, यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता चला जाता है और वहां यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। उनकी इस भावना को हम व्यक्त करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता की आपका अकेले दोष है लेकिन यह समस्या है, उसको हम रोक नहीं सके हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। अगर हम देखते कि वह आखिरी सांस में है तो हमें संतोष होता। लेकिन पुलिस आयोग ने यह कहा था कि जो लोग नान गजेटड आफिसर्स हैं उनमें भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है और उन्होंने यह भी कहा था कि गेजेटड आफिसर्स में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप अपना भाषण २ बजे जारी रखियेगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द-राय के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि नान गजेटेड आफिसर्स में भ्रष्टाचार पर्याप्त रूप से है और गजेटेड आफिसर्स में भी भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब कि सर्किल इंसपेक्टर समाप्त कर दिये गये, तो गजेटेड आफिसर्स के ऊपर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि उनमें जहां कहा गया है भ्रष्टाचार है वह और भी अधिक न बढ़े। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस प्रांत में एक डी० आई० जी० के संबंध में भी लोगों को शंका है। मैं चाहता हूं कि आप इस संबंध में छानबीन कराएं सी० आई० डी० के द्वारा और जो सुपरिन्टेंडेंट्स और ऐसे उच्चाधिकारी हैं उनके संबंध में जो जनता तक बात पहुंचती है उसके संबंध में सतर्कता बरतें।

जहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और बातें आवश्यक हैं वहां जहां तक हमारे कानून का संबंध है उस पर भी विचार करना होगा। जिस तरह से आज हम कानून बरत रहे हैं, जिस तरह से आज डकैतियों की तफतीश होती है, वह सारा सदन जानता है कि जो भी अभियुक्त पकड़े जाते हैं उनको दिखा कर, पहचनवा दिया जाता है। इसलिये कानून की कमी के कारण और आधुनिक साधन न होने के कारण एस० पी० और कलेक्टर को हर समय दरोगा पर यह नियंत्रण रखना पड़ता है कि जिस अभियुक्त को डकैती में पकड़े उसको दिखा कर वहीं आइडेंटिफिकेशन न हो जाय। तो उनके लिये बड़ी मुश्किल हो जाती है। (लाल बत्ती होने पर) दस ही मिनट पहले बोला था। तीस मिनट तो मिलते ही हैं।

श्री अधिष्ठाता---

जो स्वीकृत हुआ है उसमें २० मिनट कटौती के प्रस्ताव पर बोले हैं। १५ मिनट आप पहले बोल चुके थे। बहरहाल, पांच मिनट और बोल लीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह---

तो इस संबंध में एक ऐसी समिति बैठानी चाहिये जो इस कानून संबंधी विषय पर विचार करे जिससे अभियुक्त के साथ न्याय हो सके। जहां तक जांच का सवाल है, इस संबंध में भी पुलिस आयोग ने अपना मत व्यक्त किया है कि और प्रदेशों को देखते हुए हमारे यहां जांच की सुविधा कम है और ऐसे केसेज का प्रतिशत अधिक है जिसमें अपराधी का पता नहीं लगता। इसलिये इस जांच के भी संबंध में अधिक सतर्कता बरती जाय। यह मेरा आग्रह है।

जहां तक सी० ओज० का सवाल है तीन चार सर्किल आफिसर्स आपने हर जिले में बनाये हैं, वहां कप्तान भी रहता है। और सर्किल आफिसर्स भी रहते हैं, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। इस प्रतिवेदन में भी यह बात कही गई थी कि अगर सर्किल आफिसर्स की योजना को सफल करना है तो यह निश्चित करना पड़ेगा कि सर्किल आफिसर्स का अपने सर्किल में निवास भी अच्छी तरह हो सकता है, जनता अपनी कठिनाइयां भी आसानी से पहुंचा सकती है और करें। उससे नियन्त्रण आपका आने जाने का व्यय भी बच सकता है। इसलिये यदि ये सर्किल आफिसर्स अपने-अपने सर्किल में रहें तो यह सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। जिले में तो जिले के जो अधिकारी हैं पुलिस कप्तान, वह रहते ही हैं। अब एक बात और जिसमें गजटेड आफिसर्स बहुत कुछ हमारी मदद कर सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसका नियम भी है कि अनुसंधान हो तो डायरी रोज की रोज लिखकर अधीक्षक के पास भेजें। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि इसमें सब-इन्स्पेक्टर की उतनी गलती नहीं है जितनी जिले के कप्तान की है, वह रोज डायरी नहीं भेजते और तारीख ठीक नहीं डालते। पुलिस आयोग में भी यह बात कही गई है कि यह आवश्यक है कि ठीक अनुसंधान हो और जो भी डायरी बनाये वह अधीक्षक तक पहुंचती रहे। इस सम्बन्ध में आपका आदेश निश्चित जाना चाहिये। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश में इसमें सख्ती बरती जाती है, डायरी रोज जाती है, स्पेशल मैसेंजर से भेजी जाती है, लेकिन हमारे जिले और सूबे में यह काम नहीं हो रहा है और इस सम्बन्ध में अधीक्षकों के जो कर्तव्य हैं उनको वह निभा नहीं रहे हैं।

अन्त में, अधिष्ठाता महोदय, आन्तरिक सुरक्षा की बात जो मैंने कही थी बहुत महत्वपूर्ण है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी इस बात का संकेत किया कि पुलिस के ऊपर एक नया दायित्व आ पड़ा है और वह सबसे बड़ा दायित्व यह है कि संकटकालीन स्थिति में जो ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्व हैं जिन पर निगाह रखने की आवश्यकता है, उनके ऊपर निगाह रखने का काम भी उनको करना है। हमारे सिपाही जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं लेकिन अगर यहां राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो ऐसे सहयात्री हैं चीन के, जो उसके विचारों से सहमति रखते हैं, उनके ऊपर कड़ी निगाह अगर नहीं रखी गई तो कोई काम नहीं होने वाला है। एक छोटी सी बात थी--प्रदर्शनी की। उसमें जो कार्य किया गया, सारे लोग जानते हैं। प्रदर्शनी चल रही थी। यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर गये। सब उन्होंने निरीक्षण किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस सम्बन्ध में इसी सदन में अपना वक्तव्य भी दे दिया और जो दो एक उसमें ऐसी चीजें थीं जिन पर उन्हें कोई सन्देह था वह चीजें हटा दी गयीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब १५ तारीख को विद्यार्थी परिषद् ने निश्चय कर दिया कि हम प्रदर्शनी समाप्त करते हैं, आगे नहीं करना चाहते तो कौन-सी ऐसी बात हुई जिसके कारण आपने ऐसा कदम उठाया कि पुलिस को एक ऐसा कार्य करना पड़े जिसके सम्बन्ध में वह पापुलैरिटी को खो बैठे, यह एक सन्देह है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी के सम्बन्ध में आपने जो कदम उठाया है वह यह साफ बताता है कि एक विशेष सेंट्रल के सदस्य यहां पर आये, पार्लियामेंट्री बैठक में भाग लिया और उसमें भी जो अखबारों में निकला है उस सब के बाद शाम को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह निश्चय किया, इस सरकार ने निश्चय किया कि प्रदर्शनी को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
यह बात सत्य नहीं है।

श्री शारदाभक्तसिंह--
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपस की गुटबाजी है उसमें जनता शिकार बने, यह बहुत गलत चीज है। मैं जानता हूं आज नेहरू जी के नाम पर ऐसे नये लोग पैदा हो गये हैं जो नेहरू जी का नाम लेकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं या यह कहना चाहिये कि कुर्सी

[श्री शारदाभक्तसिंह]

लेने की फिराक में हैं। मैं यह भी जानता था कि ऐसे तत्व अपने मिनिस्टर्स में हैं, दो एक जिनका नाम सभी जानते हैं, वह कम्युनिस्टों से मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे आन्तरिक सुरक्षा में कठिनाई पैदा हो और उनके बारे में सद्भावना बने। तो अगर माननीय गोविन्दसहाय जी ने कोई वक्तव्य दिया तो उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन आज गुटों के कारण, एक दूसरे गुट को बदनाम करने के कारण और कुर्सी लेने की फिराक में मैं देखता हूं त्रिपाठी जी का और उनका साथ हो रहा है और वह लोग ऐसी बातें करते हैं जो गैरजिम्मेदारी की हैं जो कि कोई ऐसी चीज नहीं है। केवल उसमें कम्युनिस्टों के कृत्य दिखाये गये हैं जो आज के समय में आवश्यक हैं। मैं यह समझता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसा कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उनके बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि वह किसी से दबते नहीं हैं, वह लौह पुरुष हैं लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा प्रचार करने पर ऐसा कदम उठाया गया जिससे सारे लोगों को अचम्भा हुआ और उस प्रदर्शनी को समाप्त कर दिया गया। जब कि वह प्रदर्शनी २, ३ सप्ताह से चल रही थी तो सरकार ने उसके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया था किन्तु बाद में उस प्रदर्शनी को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी क्योंकि 'मां की पुकार' को बन्द कर दिया गया था। उस समय जब कि 'मां की पुकार' को बन्द किया गया तो पुलिस ने वहां जाकर इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जो, मैं समझता हूं कि नितान्त ही निन्दनीय है। पुलिस को पहले नोटिस देना था और उसमें यह लिखना था कि ऐसे कारण हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को असन्तोष है लेकिन कुछ नहीं लिखा गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह यदि चाहे तो वैसा कदम उठा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको नोटिस दिया? पुलिस ने जाकर उसको हटा दिया। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि एक कांग्रेस का गुट हमारे कन्धे पर बन्दूक रखकर चलाना चाहता है। हमको वह इसके लिये प्रयोग करना चाहता है। हमारे मुख्य मन्त्री जी उनका साधन बनकर ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, मैं यह कहूंगा कि जैसा हमारे यहां प्रचार कम्युनिस्टों द्वारा हो रहा था। वह यह कह रहे थे कि यह प्रदर्शनी इसलिये बन्द की गई कि जवाहरलाल जी द्वारा लिखे गये कोलम्बो प्रस्ताव चीन नहीं मान रहा है। एक चीज मैं साफ कहूं कि यह बात सत्य है और इसका हम अभियोग लगाते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिये जब कम्युनिस्टों ने यह निश्चय किया कि वे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने इस बात की मांग की। आपके गुट द्वारा दबाव डाला गया तो मुख्य मन्त्री जी ने और दूसरे अधिकारियों ने कम्युनिस्टों का साथ पाने के लिये प्रदर्शनी के लिये यह कदम उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस आज कम्युनिस्टों के सहारे पर एलेक्शन जीतना चाहती है? आपने केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करके एलेक्शन जीता। इस एलेक्शन में यदि कम्युनिस्टों के साथ मिलकर एलेक्शन जीतना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ऐतिहासिक उत्तरदायित्व कांग्रेस पर आया हुआ है। इस समय अगर आप इस तरह की बातें करके, कम्युनिस्टों को बढ़ावा देकर, देश की आन्तरिक सुरक्षा को खतरे में डालकर २, ३ चुनाव जीतने के लिये यह पाप करते हैं तो आनेवाली सन्तति आपको क्षमा नहीं करेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप दृढ़ होकर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करें और जो पुलिस अधिकारी आज हमारी आन्तरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको यह विश्वास दें कि कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व हो उसको यह समाप्त करने के लिये तैयार है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुलिस का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसके लिये, यह जो अनुदान १२ करोड़ ९१ लाख का उपस्थित किया गया है, वह बहुत कम है। अगर इसके लिये यह कहा जाय कि यह अनुदान बहुत कम है तो ठीक ही होगा। आज देश में सब से अधिक आवश्यकता आन्तरिक सुरक्षा की है। ऐसी स्थिति में यह जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है इसके समर्थन में मैं यह कहूंगा कि विरोधी दलों के सदस्यों को भी

समर्थन करना चाहिये और कटौती के प्रस्तावों को वापस ले लेना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार भी इसको मानती है और सदन भी मानता है कि जहां पुलिस को इतना अनप्लेजेन्ट काम करना पड़ता है और इतना आवश्यक काम करना पड़ता है वहां कुछ भ्रष्टाचार भी है। लेकिन भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार चिल्लाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। उसके लिये रचनात्मक सुझाव रखना चाहिये। मान्यवर, अपराधों की वृद्धि के विषय में भी माननीय शारदाभक्त सिंह जी द्वारा बहुत बातें कही गयीं, लेकिन अपराध कम कैसे हों इसके लिये कन्स्ट्रक्टिव सुझाव आने चाहिये थे। अपराध दो किस्म के होते हैं। एक तो अनैतिक अपराध, जैसे चोरी डकैती आदि और दूसरे लड़ाई झगड़े, कत्ल आदि। मेरा सुझाव है कि अपराधों को कम करने के लिये पहले तो सरकार को बम्बई प्रदेश जैसा एक्सटर्नमेंट का कानून बनाना चाहिये और जिलों में जिन गुंडों पर कन्ट्रोल नहीं हो पाता अथवा जिनके खिलाफ अदालत में सबूत के अभाव में मुकदमें सफल नहीं हो पाते उनको जिले के बाहर रहने पर, उस कानून द्वारा, मजबूर किया जाना चाहिये। श्रीमन्, उन्नाव जिला एक क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। हमारे यहां अपराधों की अधिकता है और यह एक्सटर्नमेंट का कानून वहां जरूर लागू होना चाहिये। दूसरे, पुलिस पर्सोनल में वृद्धि होनी चाहिये। यह हर्ष का विषय है कि बजट में इसके लिये प्राविजन है लेकिन राज्य की जनसंख्या को देखते हुए वह प्राविजन बहुत कम है। पुलिस ठीक से काम कर सके इसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसके पास आधुनिक साधन हों। इसके लिये थानों में टेलीफोन और वायरलेस की व्यवस्था होनी चाहिये। इस वर्ष के बजट में ११८ थानों में टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त थानों तक आवागमन के साधन होना बहुत आवश्यक हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक असोहा थाना है वह सड़कों से बिलकुल कटा हुआ है। वहां ब्लाक भी है। एक सड़क कालूखेड़ा-असोया काँथा बर्गोली यह लखनऊ-मौरावां और लखनऊ-कानपुर मार्ग को मिलाती है, लेकिन वह अभी बन नहीं सकी है। उसका बनना बहुत आवश्यक है इस दृष्टि से कि असोहा थाने तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अतिरिक्त थानेदारों आदि को डकैती आदि के मौके पर तुरन्त पहुंचना चाहिये। इसके लिये व्यवस्था तो जीप की होनी चाहिये लेकिन अभी हम उस के खर्च को बरदाश्त नहीं कर सकते इसलिये मेरा सुझाव है कि आकस्मिक आवश्यकताओं के समय ब्लाक की जीप को इस्तेमाल करने का अधिकार पुलिस को होना चाहिये। इसके अलावा सरकार को थानों में घोड़े रखने पर जोर देना चाहिये। देहात के लिये घोड़ा बहुत उपयोगी होता है वह सब जगह जा सकता है।

अब भ्रष्टाचार कैसे दूर हो ? आज भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है। पुलिस के कांस्टेबिल थानेदार, और दूसरे अधिकारी हमारे ही समाज के अंग हैं। वह कहीं बाहर इंग्लैंड से नहीं आये हैं। जिनको हम करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, जिनको ईमानदार कहते हैं सेलेक्शन हो जाने पर उन्हीं में से भ्रष्टाचारी निकलते हैं। सरकार के पास कोई मापदण्ड, थरमामीटर या बैरोमीटर सा कोई यन्त्र नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को नाप सके कि वह कितना ईमानदार है और कितना भ्रष्टाचारी। नाजायज काम कराने से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पिछले साल भी कहा गया था और अक्सर कहा जाता है कि दलालों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है और उनके जरिये भ्रष्टाचार फैलता है। इनको समाप्त करने के लिये समाज को कदम उठाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपके ८ मिनट हो चुके हैं। आप दो मिनट में समाप्त कर लें।

श्री श्रीराम तिवारी--

ग्राम पंचायतों को उनके खिलाफ प्रस्ताव पास करने चाहिये और उनकी सार्वजनिक रूप से भर्त्सना होनी चाहिये। श्रीमन्, अपराधों की वृद्धि का बेकारी भी एक कारण है। मेरे जिले में कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, कल कारखाने नहीं हैं और इसलिये भी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में एक्विट करने के जो निर्णय होते हैं उनके कारण भी अपराधों को बढ़ावा मिलता है। सही हाल जानने वाले लोग गवाही देने जाना नहीं चाहते

[श्री श्रीराम तिवारी]

और इसका असर मुकदमे पर पड़ता है। मुकदमे छूट जाते हैं। इसके लिये सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि जो सही बात जानता हो उसे मुकदमे में सही बात कहनी चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मुख्य मन्त्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ा है जिसके विषय में इस सदन में चर्चा उठने का भय है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान की धारा २११ में लिखा है कि :

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties".

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान मण्डल में कोई चर्चा न होगी। इसलिये अगर आप किसी जज के बारे में चर्चा उठाना चाहते हैं और आप यह समझते हैं कि अमुक जज का कांडक्ट सही नहीं है तो आप उसके रिमूवल का प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले आ सकते हैं जो काम्पिटेंट बाडी है, वही रिमूवल पर विचार कर सकती है। आप १२१ धारा को देखें, उसमें लिखा हुआ है--

"The Article makes the Judges of the Supreme Court and High Courts, immune from any discussion in Parliament, with respect to their conduct, except upon a motion for their removal under Article 124".

मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक जजमेंट का हवाला दे करके इस सदन में एक डिसकशन उपस्थित कर दिया है और जिससे कि इस बात की शंका है कि कहीं ऐसा न हो कि उसके ऊपर कन्डक्ट आफ दि जजमेंट के बारे में जो स्ट्रिक्चर आनरेबुल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बारे में इस हाउस में डिसकशन हो जाय। मैं चाहता हूं और जैसा कि इस अनुच्छेद से प्रकट होता है कि डिसकशन न हो।

दूसरी बात यह है कि माननीय अध्यक्ष जी, जोकि आपसे पहले पीठासीन थे मेरा तात्पर्य माननीय मदनमोहन वर्मा जी से है, उन्होंने पिछले अधिवेशन में जबकि पुलिस का बजट पेश हुआ था, तो मैंने ए० आई० आर० १९३९ की रिपोर्ट श्री महावीरप्रसाद बरसेज श्री सी० बी० गुप्ता, जिसकी प्रोसीडिंग इस सदन में मैं पढ़ना चाहता था, जो माननीय गुप्ता जी के बारे में, कुछ लिखा हुआ था जजमेंट के बारे में, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे रोक दिया था और कहा था कि मैं एलाऊ नहीं करूंगा इसको पढ़ने के लिये। इसलिये मैं कहता हूं कि जब एक बार व्यवस्था हो चुकी है, कि इस तरह का विषय इस सदन में चर्चा का विषय नहीं बन सकता है और किसी के कांडक्ट के खिलाफ बहस नहीं की जा सकती है इसलिये यह नहीं उठाया जा सकता है। तो मैं उसकी व्यवस्था के अन्तर्गत आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आज उसे कैसे एलाऊ किया गया। यदि एलाऊ किया तो मैं चाहता हूं कि उस व्यवस्था का आदर करते हुए उसको प्रीसीडिंग से एक्सपन्ज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, आपको यह उस समय उठाना चाहिये था जबकि माननीय नेता सदन ने इसकी. . .

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, आप इसको रिजर्व कर लें और माननीय अध्यक्ष महोदय से कन्सल्ट कर लें और उसके बाद अपनी व्यवस्था दें, तो अधिक बेहतर होगा और अगर आप देना ही चाहते हैं, तो आप सक्षम हैं, आप दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह कह रहा था कि आपको यह उसी समय उठाना चाहिये था जबकि माननीय नेता सदन ने भाषण देना और विषय पर बोलना प्रारम्भ किया था। दूसरी बात यह है कि किसी जज के कांडक्ट के खिलाफ माननीय नेता सदन ने नहीं कहा है, उन्होंने तो केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जोकि हो चुका है, उसको उन्होंने रेफर किया है। इस प्रकार का कोई केस रेफर न हो, यह तो हमारे नियमों में है, परन्तु किसी केस का फैसला सुना देना, वैद्य है। इसलिये आपके प्वाइन्ट आफ आर्डर में कोई फोर्स नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

परन्तु श्रीमन्.....।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं।

*श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पुलिस का बजट पेश हुआ है। इस अनुदान के मुताल्लिक और उसकी खूबियां किसी से छिपी नहीं हैं। वह चाहे इस तरफ के बैठने वाले सदस्य हों और चाहे वह उस तरफ के बैठने वाले सदस्य हों। इतना फर्क जरूर है कि जो सम्बन्धित सम्पन्न लोग हैं, जो बड़े लोग हैं और जो नेता लोग हैं, उनके ऊपर खास निगाह और खास रियासत पुलिस जरूर रखती है, लेकिन हमारे ऐसे व्यक्ति जोकि फटी धोती और फटा कुर्ता पहनने वाले हैं, उनका कहीं भी ठिकाना नहीं होता है। मैं देश की और प्रदेश की बात नहीं करता हूं, बल्कि मैं स्वतः अपनी बीती हुई कहानी सभी मन्त्रिगणों को तथा अपने माननीय सदस्यों को तथा पत्रकार भाइयों को बड़ी विनम्रता से सुनाता हूं, वह इसको गौर से सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया सदन में शांति रखें।

श्री रामआसरे--

श्रीमन्, मैं बाराबंकी जिले का तहसील फतेहपुर का निवासी हूं। फतेहपुर, रामनगर और मुहम्मदपुर के एक दरोगा, जिनका नाम श्री नरपतिसिंह है जो कि जाति के हरिजन हैं, वह करीब ३ साल से वहां पर रह रहे हैं। वहां रहने के बावजूद या हरिजन के नाते कहा जाय या आदत समझिये, शराबखोरी करना, मांसहारी, और उसके साथ साथ.....

श्री अधिष्ठाता--

इतने बड़े सदन में किसी निजी व्यक्ति के प्रति, जो जवाब नहीं दे सकता, इस प्रकार के रिमार्क करना शोभनीय नहीं है।

श्री रामआसरे--

अगर सही बात कहने में ऐसी बात होती है तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहां से हम अपनी व्यथा प्रदेश के सामने रख सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसे तो आप लिख कर दे सकते हैं पुलिस मन्त्री को, यदि व्यक्तिगत शिकायत हो।

श्री रामआसरे--

यदि मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है तो मैं बैठ जाऊं, आपको बहुत से अधिकार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन निजी शिकायतें शोभनीय नहीं हैं।

श्री रामआसरे--

शोभनीय नहीं हैं? लेकिन मैं सारे प्रदेश में यह किस्सा लिये घूम रहा हूं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिये आज मुझे दुःख के साथ यह कदम उठाना पड़ा। अगर इस दरबार में स्थान नहीं होता है तो कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। मैं जिस दरोगा के सम्बन्ध में बात कर रहा था वह वहां पर गरीबों की इज्जत का अपहरण करता है। अगर कहीं चोरी, डकैती हुई तो तलाशी के बहाने जाने पर अगर किसी की बहू-बेटी को सुन्दर देखा तो उसी पर उसने हमला किया। चाहे थाने पर पकड़ कर बुलाया या जिस तरह से उसकी इज्जत पर हमला किया। ५-७ ऐसे किस्से मेरे सामने क्षेत्र के लोगों ने दिये और मैं वहां पर गया। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आपको शोभा नहीं देता है, आपकी भी नौजवान बेटी है, स्त्री है, बच्चे हैं, अगर ऐसा ही करना है तो पास में वैश्याओं का गांव है वहां चले जाया करें, लेकिन जब कुछ दिनों बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया तब मैं एस० पी०, बाराबंकी के पास गया और उनसे कहा कि यह किस्सा मेरे सामने है। मैं वहां जाता भी नहीं, लेकिन एक ऐसे घर में उन्होंने तलाशी ली जहां एक स्त्री थी जिसके १५ दिन पहले बच्चा हुआ था और उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। (शेम शेम की आवाजें) जब ऐसी घटना मेरे सामने आयी तो उसको सुनकर मुझे बरदाश्त नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में जरा शान्ति बनाये रखें।

श्री रामआसरे--

थोड़ा सा सुनने का कष्ट करें। तो जब मैं एस० पी० के पास गया, उन्होंने कहा कि मैं इसका ट्रांसफर नहीं करूंगा। मैंने कहा कि यह आपको अधिकार हैं, जिले के अधिकारी हैं, मेरा हिस्सा २५ फीसदी है तो आपका १०० फीसदी है, आप ट्रांसफर न करें, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इस बात को देख कर मैं चला आया। फिर मैं डेढ़ हफ्ते के बाद गया कि उस केस में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसकी छान-बीन हो रही है। मैं फिर वापस चला गया। इस बीच में दरोगा जी को सारी जानकारी करायी गयी कि रामआसरे वर्मा ने यह एक दरख्वास्त भेजी है, लिहाजा तुमको सतर्क होना चाहिये। उन्होंने हमारे खिलाफ गुंडों, बदमाशों को बुलाकर थाने में एक मीटिंग की और कहा कि अगर तुम फंसोगे तो १०-२० हजार खर्च कर दूंगा, रामआसरे का कत्ल जरूर हो जाय। इस बात को लेकर यह कांस्पीरेंसी अन्दर-अन्दर चलती रही। मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। मैं कुछ काम से १७ अगस्त को अपने क्षेत्र में गया था। मुझे वहां पर शाम को २२ आदमियों ने घेर लिया, लेकिन किसी तरह से एक मकान के अन्दर घुस करके मैं अपनी जान को बचा सका। वहां से १२-१४ मील का फासला था जहां मुझे जाना था। बरसात का महीना था, मैं भाग-भूग कर ३ रोज के अन्दर यहां आया। २४ अगस्त को मैंने गृह उपमन्त्री, नवलकिशोर जी को एक लिखित पत्र दिया और सारे वाक्यात बताये। उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। छान-बीन के लिये उन्होंने लिखा, एस० पी० से पूछा, लेकिन पता नहीं कि क्यों मुझ से नाखुश हुए एस० पी० महोदय, क्योंकि मैंने तो केवल यह लिखा था कि एस० पी० ने कहा कि मैं इसको ट्रांसफर नहीं करूंगा। इन बातों पर वह उलझ गये। आपको लिखित भेजा तो उसका उत्तर आया वह मेरे पास है। आई०जी० पुलिस सामने बैठे हैं, उनसे और डी० आई० जी वगैरह को भी मैंने लिखा, मगर कोई जांच उसके खिलाफ नहीं हुई, ७-८ महीने हो गये। मैं अभी जब अपने क्षेत्र में गया तो काफी आदमियों को साथ लेकर गया। यह हालत है इस समय वहां।

इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है। मेरे भाई अवधशरण वर्मा जो पहले विधान सभा के मेम्बर भी थे, उनका कत्ल १६ अक्तूबर, १९५५ को कर दिया गया और उस समय भारतसिंह ही फतेहपुर थाने के इंचार्ज थे। उनकी साजिश से ही डकैती हुई थी। और उस में उसी के परिवार वालों से १७०० रुपये रिश्वत के लिये गये थे किन्तु जब हमारे भाई ने उसको रोका और उनसे बात की तो वह रुपया वापस कर दिया गया और उसकी कन्सपीरेंसी

में उनका कत्ल करवा दिया गया। इस तरह की समस्यायें आज देश और प्रदेश के सामने हैं और इनके ऊपर भी कहा जाता है कि देश का भार पुलिस के कन्धों पर है। पहले कहा जाता था कि इस धरती का भार चित्रगुप्त के कन्धों पर है, उसी तरह आज यह कहा जाता है कि उसका भार पुलिस के कन्धों पर है। जो भी हमारे सरीखे मेम्बरान हैं, जो अपनी क्षेत्र में जाते हैं, बड़े आदमी तो जाते नहीं, उनको मालूम है कि आज पुलिस का पेशा क्या है? मैं यह नहीं कहता कि उनमें १०० फीसदी लोग खराब ही हैं लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जिनका काम है दिन भर गायब रहना, अय्याशी करना, शाम को थाने में गुंडों को बुला कर डकैती आदि का प्रोग्राम बनाना, गरीबों की लड़कियों को भगाकर लाना आदि। अगर ईमानदारी के साथ आप पता लगायेंगे तो आपको यह चीजें मिलेंगी, लेकिन कोई कहे कि प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना चाहिये, तो वह कैसे मिल सकता है? जो कोई गरीब आदमी सबूत देने के लिये तैयार होता है, उसको तरह-तरह से पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, उसका घर फूंक दिया जाता है, उसके बैल उठवा लिये जाते हैं, उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। मेरा जैसा आदमी जो विधान सभा का सदस्य हो, सही बात को लेकर अधिकारियों से कहे, उसके ऊपर भी जब निर्णय लिया जाये कि सब से बेहतर तो यही होगा कि इसका खात्मा कर दो, तो गरीब आदमी कैसे कुछ कहने की हिम्मत कर सकता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उनको इतना पैसा दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ थोड़ा सा अंकुश भी होना चाहिये।

आज कहा जा रहा है कि जरायम कम है। जरायम की क्या परिभाषा है? उसकी किस तरह से छानबीन होती है? जो आंकड़े होते हैं वे सही नहीं होते।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, क्योंकि जब से मैंने शपथ ली है तब से २०० बार उठने बैठने पर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे कभी बोलने का अवसर नहीं दिया। आज मौका मिला। किन्तु यह पुलिस के अनुदान पर बोलने का मौका मिला है। मैं विकास और उद्योग पर अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता था। जनता उम्मीद करती है कि हमारा चुना हुआ सदस्य हमारी आवाज उठावेगा और हमारे क्षेत्र की बात करेगा। यह वह मौका मिला नहीं पुलिस के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि उनकी न तो हमारे यहां आपत्तिजनक परिस्थिति है और न ऐसी कोई बात है हुई कि हम कुछ कह पावें। मगर उसकी तारीफ में भी कुछ बात हो तो उसे कहना न्यायसंगत होगा। हमारे यहां चुनार में एक कोतवाल कल्पनाथसिंह थे। सात साल पहिले उसे शोभा गुन्डे ने भाले से मार डाला था। कई वर्ष तक लगातार उसे खोजा गया। अभी ताजी खबर है कि भागलपुर में वह पकड़ा गया। यह पुलिस की कुशलता है। कुछ लोग पुलिस की बड़ी शिकायतें करते हैं, लेकिन दूध का धुला हुआ कौन है? कस्य दोषो कुले नास्ति व्याधिनां पीड़ितः। व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यं विवर्धयः। कौन ऐसा है जो अपना सिर ऊंचा करके कहेगा कि हम दूध के धुले हुये हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का धब्बा नहीं है? आज सरकार चलाने का जिसे कार्य मिला है वह यह जानता है कि जहां १०८ माणिक की माला बनाई जाती है, वहीं उसका शिरमौड़ जब बनाया जाता है तो दोनों तरफ का सूत उसके छेद में जाता है। शिकायत करने वाला और तारीफ करने वाला दोनों आवेंगे। चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही तूफान नहीं देखता है, बरसात, आंधी, लू नहीं देखता है। अंधेरी रात में चलनेवाला सिपाही सांप, बिच्छू या मौत का खतरा नहीं देखता है। काश ऐसे मौके पर हम उन्हें बधाई दें ताकि सुरक्षा के काम में उनकी हिम्मत बढ़े। हम देखते हैं कि सारी चीजें छोड़कर नुक्ताचीनी में समय बरबाद किया जाता है और रचनात्मक सुझाव नहीं दिये जाते हैं। २,००० पुलिस बढ़ाने की बात है। आज कितने

[श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव']

हैड-कांस्टेबिल इंस्पेक्टर के पद पर हैं ? कितने ट्रेनिंग में आते हैं ? यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि अधिक सुरक्षा की जरूरत है। पुलिस का नाम जब आता है तो किसका कलेजा धड़कता है, कौन भागने की कोशिश करता है ? जो क्राइम में फंसा है, जो चोर, कातिल और डाकू है। लेकिन पुकारता कौन है ? जो त्रस्त है, जो बचाव की इच्छा रखता है वह ललकारता है पुलिस, पुलिस, पुलिस। यह दो पहलू हैं हमारे सामने, एक रक्षा मांगने वाला और दूसरा उससे डरने वाला। मैं किसी की तरफ इंगित नहीं करता हूं। लेकिन हर आदमी अपने दिल को टटोल कर देखे। मेरी राय में जिसकी दाढ़ी में तिनका न हो वह आब्जक्शन न करे। मैं पुलिस के बारे में सन्तुष्ट हूं। सभी तरफ की राय हैं। मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्नाः हमारे प्रदेश में अगर व्यवस्था और आपकी अवस्था, अपनी जगह पर सही है तो ज्यादा इसमें न जाकर हम सीधे यह जानते हैं कि गांधी जी ने अपनी मातृ भाषा में कहा था कि अनादर प्रणता वनजवातु आपणो कर्त्तव्य छे। आज भी यह हमारे लिये लागू होता है, अगर सहिष्णुता के साथ इसका विरोध हम कर पाते हों। और नहीं तो हम तो यही जानते हैं कि जैसा फारसी में है "सरनबिश्तें माबदस्ते खुदनवीस, खुशनवीस स्तवोनखाहद बदनवीस।" हमारी किस्मत का लिखने वाला, अच्छा लिखने वाला है, उसने अपने हाथों से लिखा है। खराब वह कभी लिख नहीं सकता। हमें अपने कर्त्तव्यों की पहचान होनी चाहिये। अगर नहीं है तो केवल आलोचना से बातें नहीं होती हैं। इससे हुल्लड़बाजी को श्रेय मिलता है। पंजाबी में है कि घी पकावे तोरियां, बड़ी बहू का नाम। अगर कोई यह कहे कि किसी चीज को बनाने के लिये मैंने अपनी स्पेशल बुद्धि लगाई है तो वह ऐसी बात नहीं है। आपने एक रंग किसी बात को दिया और उसके ऊपर कुछ कहें तो दूसरी बात है। आज पुलिस की जरूरत है चाहे जिस रूप में माना जाय। आज हमारे ऊपर अंकुश की कमी हो रही है, हम सीधे अनुशासन में नहीं आ रहे हैं, जो पीरियड हमारे सामने आ रहा है उसमें हमने लड़ाइयां देखीं, उथल-पुथल देखी, परतंत्रता को तोड़ा, आजादी पाई। इसमें जो जनरेशन पैदा हुई स्वाभाविक है कि उसमें गर्मी या चंचलता हो और उसमें बीसों तरह की ऐसी बातें हों जो कि समाज में शान्ति कायम रखने में अधिक मददगार न होती हों। तो यह जरूरी हो जाता है कि अगर ज्यादा चंचलता हो तो नियंत्रण किया जाय। इसलिये आज यदि पुलिस को बढ़ाया जाता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कौन नहीं जानता है कि निरपराध आदमी, जो कसूर नहीं करता है वह फांसी के तख्ते तक पहुंच जाता है लेकिन एक अपराधी जिसने सचमुच में कत्ल किया है, ज्यादा बड़ा अपराध करता है लेकिन वह सफेदपोश है, सम्मान के साथ समाज में घूमता फिरता है, वह बच जाता है। लेकिन यह बातें पुलिस की कमजोरी नहीं कही जावेंगी। यह उन बचने वाले लोगों के दिमाग की प्रगति या सीधे उनकी आचरण भ्रष्टता कही जायगी। लोग एक तरफ तो कहते हैं कि रिश्वतखोरी बहुत फैली हुई है और दूसरी तरफ अपने लड़के को जब सर्विस में ले जाते हैं तो २०० रुपये माहवार की नौकरी पर नहीं रखते हैं। जहां रिश्वत नहीं है बल्कि उस ५० रुपये की नौकरी पर रखना पसन्द करते हैं जहां रिश्वत चलती है। फिर कहते हैं कि रिश्वतखोरी बहुत बढ़ी हुई है। मैं इसके लिये एक ही बात कहूंगा कि "बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न दीखा कोय, जो दिल खोजा आपना, तो मोसम बुरा न कोय।" तो अपनी आत्मा को टटोलने की जरूरत है। पुलिस और फौज का जो अंकुश लगता है उस पर इतराज करने की जरूरत नहीं है। अगर फोड़ा पका है तो मवाद निकालने के लिये नश्तर तो लगाया जायगा, चाहे मरीज उसे पसन्द करे या न करे।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

आज मैं पुलिस के रवैये की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कहा जाता है कि पुलिस रक्षा करनेवाली है। मैं तो यही कहूंगा कि यह रक्षक नहीं है, भक्षक है। जो कारनामे पुलिस वाले कर रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। आज हमारे मुख्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने पुलिस के सम्बन्ध में बहुत सी बातें बताई और कहा कि वे बहादुर हैं, बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, और उन्हें पुलिस की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन जिसे आज देश का राजा कहा जाता है, देश की जनता के साथ-क्या जुल्म ढाये जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है जरा इस पर भी गौर करें। बड़े आदमियों की रक्षा तो हमेशा होती है लेकिन गरीब की रक्षा के ऊपर ध्यान देना सरकार का कर्त्तव्य है। आज गरीबों की रक्षा जिस ढंग से हो रही है इस तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राष्ट्रनायक पंडित जवाहर-लाल नेहरू, जिस क्षेत्र से चुनकर आये हैं वहां की हालत पर प्रकाश जरूर डालूंगा। वहां नवाबगंज थाने में जुलाई से लेकर अबतक १२, १३ डकैतियां पड़ चुकी हैं। वहां न तो अब तक माल ही बरामद हो सका है और न कोई डाकू ही पकड़ा जा सका है। कोई शान्ति से रह नहीं सकता, अत्याचार बढ़े हुये हैं और लोग दिनदहाड़े मार डाले जाते हैं। मीरापुर और बसमहुआ नलकूप पर कामताप्रसिंह नाम के व्यक्ति को दिनदहाड़े मारा गया। ५०, ६० लाठियां लगी। उनके खून से पेशाब आता था। हमारे यहां के पुलिस कप्तान, पांडेय जी हैं, हालांकि मैं व्यक्ति-गत बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वह जब वहां जांच करने गये तो उलटे गवाहों को डराते थे। मजबूरन उस के गवाहों ने हलफनामा अदालत में दाखिल किया। यह है वहां की हालत! पुलिस अब तक जांच की रिपोर्ट नहीं लगा सकी। हम सरीखे लोग यह नहीं सोचते कि हमारा क्या कर्त्तव्य है। हम जनता के बीच से चुनकर आते हैं हमारा क्या कर्त्तव्य होना चाहिये। हमीं टेलीफोन कर देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ऐसी डकैतियों में हिस्सा बंटाते हैं, वह टेलीफोन करते हैं और जांच पर असर डालते हैं। इसी तरह से लालगंज में दिन दहाड़े एक कुम्हार को मारा गया। जब मेरे पास खबर आयी तो मैंने कोशिश की और मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश दिया अब उसकी जांच शुरू हुई। इस ढंग से तो काम होता है कि जब लखनऊ आओ तब जाकर कहीं जांच शुरू हो।

आज थानों की हालत क्या है? एक आदमी थाने के करीब मारा जाता है और जब वह रिपोर्ट लिखाने जाता है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। दिन-दिन भर उसको वहां बैठे रहना पड़ता है लेकिन जब वहां के थाने पर कुछ रुपया उन लोगों को मिल जाता है या उस हलके का सिपाही कुछ मोलभाव में तय कर लेता है तब रिपोर्ट लिखकर कुछ कार्यवाही की जाती है और अगर रुपया नहीं मिलता है तो मुकदमा खराब कर देते हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह जो रिपोर्ट लिखने का सिस्टम है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। पहिले सभापति के यहां रिपोर्ट लिखी जाय इसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखी जाय क्योंकि गांव का सभापति चीजों को अच्छी तरह से जानता है।

अब ऐंटी करप्शन कमेटी की बात कहता हूं। उसके सदस्य एम० पी० और एम० एल ए० हैं, लेकिन मैं दो तीन मीटिंगों में गया। वहां के सदस्यों को कोई पावर नहीं है। ऐंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो आपने खोला और उसके सदस्यों में एम० एल० ए० और एम० पी० को रख दिया लेकिन इस कमेटी को कोई पावर नहीं है। कोई कार्यवाही होने को हुई तो उसको डी० वाइ० एस० पी० कानपुर को भेज दिया गया। वह उसी थानेदार के यहां जाकर ठहरा, उसी के यहां खाना खाया और उसने खुशियाबरदारी कर दी कि हमारे इज्जत का सवाल है, आप इस कुछ न कीजियेगा। इस तरह से अगर कोई आफिसर बदमाशी करता है तो जांच भी उसी से सम्बन्धित अधिकारी को भेज दी जाती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम ऐसा करें कि अगर किसी पुलिस के कर्मचारी के खिलाफ कोई दरख्वास्त आवे तो पुलिस कर्मचारी के अलावा किसी दूसरे अधिकारी से उसकी जांच करवायें ताकि सत्यता का पता चल सके।

मैं फूलपुर थाने की एक बात बताता हूं। वहां सांवडीह का सभापति था। थानेदार ने जबरदस्ती रजिस्टर छीन लिया और ३ सौ रुपया न देने पर जबरदस्ती उस को बन्द करना चाहता था। यह इस वास्ते किया गया था कि कुछ रुपया दूसरी तरफ से मिल गया था। मुझे यहां तार दिया गया। मैं वहां गया और थानेदार साहब से पूछा तो पहले तो उन्होंने दुनिया भर की

[श्री बंशीलाल]

बहानेबाजी की। जब यहां शिकायत की गयी तो डी० आई० एस० पी०, कानपुर उसकी जांच करने गये। थानेदार ने उन लोगों को हड़काया और गवाहों को गवाही तक नहीं देने दिया। यह तो हालत है। हमारे क्षेत्र इलाहाबाद के गंगा पार इलाके में बहुत से जुए के अड्डे हैं जिनका ठेका थानेदार लोग देते हैं और ठेकेदारों से पैसे वसूल करते हैं। एक तरह से वे ठेकेदार भी थानेदारों के दलाल ही होते हैं और उनसे मिले रहते हैं। अगर हम लोग कभी थाने पर चले गये तो थानेदार सामने तो हां हजूरी करते हैं लेकिन चले जाने के बाद गाली देते हैं और कहते हैं कि साला बड़ा बदमाश है। यह तो आपकी पुलिस का रवैया है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि इस रवैये को दूर करने के लिये कम से कम वे कोई नया कदम उठावें।

साथ ही साथ, मुझे यह भी कहना है कि दफा १०७ और दफा १०९ के मुकदमें ९० प्रतिशत झूठे चलाये जाते हैं और वे ऐसे लोगों पर चलाये जाते हैं जो कि गरीब रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, जो ठाकुर साहब का काम नहीं करते हैं, जो पंडित जी का काम नहीं करते हैं। हमारे पास सैकड़ों गरीब आदमी पहुंचते हैं और इस तरह की बातें बतलाते हैं। अगर हलवाहे ने जमींदार साहब का हल नहीं चलाया तो वे थानेदार से मिल कर और कुछ रुपया देकर, उस पर गलत मुकदमा चलवा देते ह, उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकलवा देते हैं और उसकी जमानत भी नहीं होने देते, जिससे मजबूर होकर उसे उनकी हलवाही भी करनी पड़ती है और जो रुपया वे मांगते हैं, वह भी उसे देना पड़ता है। यह नेहरू जी के क्षेत्र की हालत है जो मैं बतला रहा हूं। दूसरे जिले और प्रान्तों में भी मुकदमें चलवा कर परेशान करते हैं।

इसके साथ ही साथ चौकीदारों के मसले को देखा जाय। उनको दो-दो, तीन-तीन दिन तक थाने पर रोक कर उनसे चैला चिरवाया जाता है, पानी भरवाया जाता है और आज भी उनका वतन केवल ५ रुपये ही है। आजकल करीब ८-९ महीने से उनकी लाइन पर ड्यूटी लगा दी गयी है और उन बेचारों को वहीं जाड़ा, गर्मी, बरसात बितानी पड़ती है। उसके लिये उनको अलग से एक पैसा भी नहीं मिलता है। उनके पास पहनने के लिये न तो कपड़े हैं, न कम्बल हैं, न जूते हैं और वेतन उनका वही है। हालांकि मैं मानता हूं कि आजकल की स्थिति में सरकार कह सकती है कि गांव वाले उनके लिये इन्तजाम करें, अगर गांव वाले इन्तजाम करें तो ठीक है, लेकिन अगर गांव वाले कुछ नहीं करते तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है, क्योंकि वे आपकी ही रक्षा कर रहे हैं।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, इन्सान तरह तरह के होते हैं और हुकूमत के हर सूबे में और जिन्दगी के हर सूबे में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इसी तरह से यह पुलिस का विभाग भी है। इससे इसको अलग करके जब हम सोचते हैं कि पुलिस में अच्छे आदमी नहीं हैं, पुलिस में सब बुरे ही बुरे हैं, तो उसके साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की बात पहिले कहूंगा ताकि वह रह न जाय, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे क्षेत्र में दो वाकयात ऐसे हुये जिनका मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा। हमारे इलाके चाफा में एक आदमी का कत्ल हो गया। दूसरे लोगों को फंसाने के लिये एक आदमी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। उस केस में बहुत से शरीफ लोग फंसे हुये थे, काफी भयंकर फिजां थी। हमारे एस० पी० महोदय वहां जांच के लिये गये और उन्होंने जांच के बाद असली मुजरिम को पकड़ा और सारे लोग छूट गये। तो इस चीज की चर्चा यहां न की जाय तो उनके साथ अन्याय करना होगा। इसी तरह से नन्दकिशोर नाम का एक आदमी मुख्तलिफ जुर्म करके १० साल तक भागा रहा। होली के दिन जब सिपाहियों की ड्यूटी दूसरी जगह लगी हुई थी, वहां के एक नायब दारोगा ने केवल एक सिपाही को लेकर बड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद उसको पकड़ लिया और इस तरह से उसने यह एक बड़ा ही सराहनीय काम किया। मेरा मतलब कहने का यह है कि बड़े-बड़े इस तरह के वाकयात आये दिन सामने आते हैं और उन को छिपाना गलत है नाजायज है। इस के साथ ही मैं बहुत अदब से कहूंगा कि यहां पर काफी चर्चा प्रदर्शनों की चल रही थी और उस के

बारे में मुझे यह देख कर बहुत दुख होता है जब सदन में यह बातें आती हैं, हमारे एक दल के लोग परेशान हो जाते हैं, वह उसको मालूम होता है कि अपना कोई जाती मामला समझते हैं और वह सरकार की बातों की सारी चिन्ता अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर सरकार से कोई असावधानी हुई है तो हम कहने का अधिकार रखते हैं लेकिन उसमें इसके विशेष दल की दिलचस्पी क्यों है ? और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक उससे नहीं है, हमने प्रदर्शनी नहीं किया है। जब आप का ताल्लुक नहीं है, जैसा कि आप कहते हैं, तो आप को इतनी परेशानी क्यों है ? और उसके लिये क्यों आपके दिल में परेशानी पैदा है ? लोग कहते हैं, कहने दीजिये, सरकार को कहने दीजिये, आप तो हमेशा सरकार को कहते हैं, आप तो हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं। अगर और लोग भी उसकी आलोचना करते हैं तो आपको तो खुशी होना चाहिये थी, आप को परेशानी क्यों होती है और साथ ही इनकार भी करते हैं कि मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। हमने तमाम वाकयात को बाद में जाकर देखा। आज ही श्री बनारसीदास जी का इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट निकला है और उससे जाहिर है कि जो पोस्टर्स थे वह गलत थे और सभी इस को एक राय होकर कहते हैं कि वह गलत थे और उनके मुताल्लिक कोई बात सही नहीं हो सकती और जिन लोगों ने पहले इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है उन की हम यहां प्रशंसा करते हैं।

अब इस मजमून पर ज्यादा न कहकर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हाल का एक वाकया देवबन्द का है। उस मामले की जब इत्तिला मिली तो एक जगह मंत्री जी ने कुछ मुसलमान एम० एल० एज० को बुलाया और उन्होंने चाहा कि सारे मामले की इत्तिला मंत्री जी को दें लेकिन हम को ताज्जुब हुआ कि किस तरह से वह मामला हुआ, किसी को मालूम नहीं कि कैसे हुआ। हमने कहा कि मुनासिब होगा कि पहले मौके की जांच करा ली जाय और सिर्फ ऐसी खबरों पर ही आगे बढ़ना मुनासिब न होगा। हममें से ४ एम० एल० एज० मौके पर गये, उन्होंने मालूमात कीं और वह लौटे, तब उन्होंने वहां के सारे वाकयात बताये। उनको सुन कर बहुत दुख हुआ। वह लोग वहां पर कलेक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर हैं आप को भी नहीं मालूम तो ताज्जुब है। वहां के एस० डी० ओ० ने वारन्ट इशू किये थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां, गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया के असिस्टेंट एन्फोर्समेन्ट आफिसर आये थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ इन्क्वायरी करना है, मामला फारेन एक्सचेंज का बताया गया था और हमने उनको वारंट दे दिया और पुलिस दे दी। वह पुलिस लेकर अन्दर गये, पुलिस बाहर खड़ी थी। वहां के इन्चार्ज जो मोहतरिम बुजुर्ग कहलाते हैं एक आदमी हैं जिनका कुछ ही दिन पहले आंख का आपरेशन हुआ था, उनके घर पर गये और कहा कि सर्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर्च कीजिये, हमें क्या एतराज हो सकता है। २ घंटे तक उन के घर की सर्च हुई और कुछ नहीं निकला, उन्होंने कहा कि जरा इतना लिख दें कि कुछ नहीं निकला। उन्होंने लिख दिया। फिर वह लोग दफतर गये और वहां भी जाकर तलाशी ली लेकिन वहां पर भी २ घंटे की तलाशी के बाद कुछ नहीं निकला। वहां भी उनसे कहा गया कि लिख दीजिये कि कुछ नहीं निकला और उन्होंने लिख दिया कि कुछ नहीं निकला। इन्तहाई तकलीफ की बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हुआ और इसकी कलेक्टर को कोई इत्तिला नहीं। देवबन्द का इदारा इतना बड़ा इदारा है कि जो किसी हालत में भी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, जामिया मिलिया से भी यह कम नहीं है और किसी भी हालत में यह मिश्र के इदारे से नीचे नहीं है जिसकी कि इस तरह से तलाशी हुई है। यहां के लोग हमेशा कांग्रेस की फिजां में और देशभक्ति की फिजा में पले हैं और मुल्क के लिये हर तरह की कुरबानी इस इदारे से दी गई है। जो इस तरह की यूनिवर्सिटी हो, ऐसा देशभक्त कालेज हो, वहां की इस तरह से तलाशी हो जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर तक न हो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है ? जब वहां हमारे इदारे के मोहतरिम मेम्बर मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में वहां लोकल सी० आई० डी० के दो साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप कैसे बैठे हैं। जवाब उन्होंने दिया कि हम तो आते ही रहते हैं, हम तो जांचने आये हैं कि तलाशी क्यों हुई।

[काजी जलील अब्बासी]

हमारे आनरेबिल मेम्बर ने कहा, जांच तो आपको ज्यादा बेहतर करनी चाहिये उनसे जिन्होंने तलाशी करवायी, यह क्या बतायेंगे क्या हुआ जब तलाशी में लिख दिया कुछ नहीं मिला? वहां की लोकल सी० आई० डी० इस तरह से परेशान करती है। ४ ऐसे लड़के हैं जिन पर २ साल से मुकदमे चल रहे हैं और वह पाकिस्तानी होने की वजह से इदारे से निकाल दिये गये। उनकी परवरिश सी० आई० डी० कर रही है और वह ४ लड़के कुल मुकदमा खत्म होने के बाद भी आज वहां पर मौजूद हैं, अभी भी उनको वीजा का ऐक्सटेंशन मिला है और सुना जा रहा है कि मुस्तकिल हिन्दुस्तानी बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने दुख की बात है कि जो पाकिस्तानी होने की वजह से हमारे कौमी इदारे से निकाले जायं और उनकी परवरिश हम और आप करें? अगर यह बात सही है, क्योंकि मुझे जिम्मेदार आदमी ने बताया, तो मैं मुख्य मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि बहुत कड़ी जांच इसकी होनी चाहिये और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। मेरे पास बहुत-सी फिगर्स थीं लेकिन लाल झंडी हो जाने की वजह से सब न बता सकूंगा। इसमें दो राये नहीं हैं कि अपराध बढ़े हैं लेकिन साथ-साथ जो हमें टाइम्स आफ इंडिया डायरेक्टरी, १९६२–६३ के सफा ११७१ पर आंकड़े मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि कत्ल और डकैती के अलावा बाकी तमाम में काफी तेजी से हम आगे आये हैं। राबरी में हमारा ६ठां नम्बर है और हाउस ब्रेकेज में तीसरा है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जनतन्त्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिये तथा जन सामान्य में उसके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मान्यवर, इस सिद्धान्त को सामने रख कर जब हम प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों में सैनिक क्रांतियां हुई हैं और प्रजातन्त्र विलुप्त हुआ है उसका एक मात्र कारण मुख्य रूप से पुलिस प्रशासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार रहा है। आज अपने देश के अन्दर भी यह हालत है, यद्यपि श्रीमन, मैं एक सन्यासी होने के नाते विश्वास नहीं करता हूं कि हम कटु आलोचना द्वारा पुलिस प्रशासन के अन्दर उनके हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं, किन्तु व्यक्ति की मान्यता, सहनशीलता की कुछ सीमायें होती हैं जिनके बाहर आदमी विवश हो जाता है सब तथ्य सदन में रखने के लिये। मैंने बहुत पहले समाचार पत्रों में और मुख्य मन्त्री के पास एक पत्र लिखा था और सीढ़ी दर सीढ़ी में जिला स्तर के अधिकारियों एवं प्रान्त के मन्त्रि स्तर के लोगों से अपनी कठिनाइयां बयान कीं लेकिन मैं उनके व्यवहार को देख कर बड़ा निराश हुआ। मैंने एक घटनाक्रम और पुलिस पर स्पष्ट अभियोग लगाया था और उप गृह मन्त्री को लिख कर दिया था, लेकिन पता नहीं किस कोल्ड स्टोरेज में वह चला गया। मुझे बड़ा दुख है यदि मैं यह समझता कि डेमोक्रेसी का स्वरूप प्रदेश में ऐसा है तो मैं कभी भी इस चुनाव में न आता, मैंने राजनीति को बहुत गन्दा पाया और मैं विश्वास दिलाता हूं आज भी अगर मुख्य मन्त्री, तथा प्रतिद्वन्दी जो कांग्रेसी सज्जन हैं वह ईमानदारी से कह दें कि मैं विधायक पद से त्याग-पत्र दे दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं न्याय चाहता हूं। आज मुझे बड़ी वेदना के साथ सदन में कहना पड़ रहा है कि चुनाव समाप्त हुये एक वर्ष हो गया लेकिन, मान्यवर, आज भी उस क्षेत्र के उपरी गांव के १२ व्यक्ति दफा १०७/११७ में परेशान किये जा रहे हैं केवल इसलिये कि जो मेरे प्रतिद्वन्दी खड़े हुये हैं उनके दो स्तम्भ बड़े-बड़े मिनिस्टर यहां हैं और वह उन्हें परेशान इसलिये कर रहे हैं कि फिर चुनाव का नाम न लें। मेरे प्रतिद्वंदी के भतीजे ने, जो देवरिया के रहने वाले हैं, दरख्वास्त दी थी कि यह नारे लगाते

हैं और धमकी देते हैं उस पर १०७/११७ दफा चली जो आज तक चालू है और उन्हीं में से एक व्यक्ति सिंह के घर में सशस्त्र डकैती हुई, एक व्यक्ति गोली से मारा गया, कई व्यक्ति घायल हुये लेकिन उसने जो नाम लिखाये उनकी एक की भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने आई० जी० से कहा, डिप्टी मिनिस्टर से कहा लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अभी भी उसी क्षेत्र के जहां से मैं चुन कर आया हूं ५२ आदमी एक ही केस में, न मर्डर हुआ, न डकैती है, न चोरी है, न किसी को चोट लगी है, लेकिन विभिन्न दफाओं में उनको फंसाया गया है, यह काजीपुर गांव का किस्सा है। इसके लिये गृह मन्त्री जी से कहा लेकिन कब इनक्वायरी हुई मुझे पता नहीं और आज तक वह लोग परेशान किये जा रहे हैं।

विश्वनाथ चौबे कर के एक ब्लाक प्रमुख हैं, जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके दूसरे दिन ३०७ का एक फरजी मुकदमा उन पर चलाया जाता है और कचहरी में उनके हाथ में हथकड़ी डाल कर घुमाया जाता है और जो रिपोर्ट उनके खिलाफ पड़ी है उसमें कहीं बन्दूक इस्तेमाल करने के लिये नहीं लिखा, न डाक्टरी रिपोर्ट में यह है कि इनको बन्दूक से मारा गया, लेकिन चूंकि एक दरोगा जी थे जो मेरे प्रतिद्वंदी के खास आदमी हैं उन्होंने ३०७ का फरजी मुकदमा चला कर उनको बेइज्जत किया कचहरी में। मुझे यह कहने में कोई आनन्द नहीं आ रहा है, मैं सब जगह गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आज यहां कह रहा हूं। मैं जानता हूं पुलिस के खिलाफ कहने से हम उनके हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते लेकिन जब आदमी विवश होता है तो वह सब कहने के लिये तैयार होता है। यदि आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन में इस गन्दगी को दूर करें तो इसके लिये आपको पुलिस प्रशासन को शुद्ध करने हेतु इलेक्शन समाप्त होने के बाद पुलिस आफिसर्स को स्थानान्तरित कर देना चाहिये।

गोरखपुर एक बाढ़ एरिया है। जैसा कि मुख्य मन्त्री ने कहा था, जिनके मकान गिर गये हों उनको सुविधायें मिलेंगी। वह वहां मिल रही हैं, केवल कांग्रेसी क्षेत्रों में। हमारे क्षेत्र में उनको लकड़ी की फर्जी पर्मिट लेकर दे दी गई और वह पर्मिट ५ महीने से उनके पास पड़ी हुई है। डी० एफ० ओ० आफिस वहीं पर है, लेकिन उनको पर्मिट इसलिये दी गई कि वे दौड़ें और परेशान हों। उनको निराश तथा हताश किया जा रहा है। मैं इस पद से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं, लेकिन विधायक बनने के लिये अपनी जनता को कष्ट में डालना नहीं चाहता। मैं उनकी भलाई के लिये चुनाव के मैदान में आया था।

गोरखपुर फायरिंग के बारे में भी मैं कुछ कहता, लेकिन वह अदालत में है और एक जज इंक्वायरी कर रहा है और शायद यह समझा जाय कि इंक्वायरी के बीच में किसी प्रकार का वक्तव्य यहां पर देना वैधानिक दृष्टि से आपत्तिजनक हो, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल प्रशासनिक गलती से फायरिंग हुई। दो बड़े अधिकारी वहां पर एक ही विशिष्ट सम्प्रदाय के थे, उनकी ही साजिश से गोली चली। उस गोलीकांड को दबाया जा रहा है और पुलिस उसके लिये गवाह बना रही है। यदि सरकार हृदय से चाहती है कि पुलिस में सुधार हो तो उसके लिये जरूरी है कि जो विधायक हैं उनकी बातों को सुना जाय। कोई इंक्वायरी की जाय तो उनको साथ में रखा जाय।

पार साल की बात है। पिपराइच थाने में (बोसवान) रामनौमी का मेला होता है। वहां का दरोगा १० अड्डे जुवे के खिला रहा था। १० बजे रात को एस० पी० को सूचना भेजी गयी तो उन्होंने कहा कि रात में वह नहीं जा सकते। दूसरे दिन एक सर्किल इंस्पेक्टर भेजा गया और उसने जुआ पकड़ा। अब आई० जी० साहब से भी इस बारे में कहा गया है। एस० पी० से कहा तो जवाब मिला कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है। दूसरे दिन मालम हुआ कि उस दरोगा को ए क्लास के थाने पर नैपाल बार्डर भेज दिया गया है, जहां से गांजा और शराब स्मगलिंग होती है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान सदन में पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह मानी हुई बात है कि एक मर्तबा जब कोई बात गलत हो जाती है और उसके पीछे बदनामी हो जाती है तो वह बहुत दिनों तक कायम रहती है।

मिसाल के लिये, भगवान बलि के यहां बावन का रूप रख कर गये और तीन कदम में तीनों लोकों को उन्होंने नाप लिया लेकिन उनका नाम बावनिया भगवान पड़ गया। श्रीमन्, यह पुलिस अंग्रेजों के जमानें में जिस प्रकार से थी, जिस निगाह से हम लोग उसे देखते थे आज भी वही बातें हमारे मस्तिष्क में मौजूद हैं जिसके कारण हम बहुत गलत-सलत फैसले कर देते हैं। लेकिन जो उसमें बुनियादी परिवर्तन हुये हैं अगर उनको ठीक से नहीं समझते तो वह हमारी कमजोरी है, यह उस संस्था या व्यक्ति की कमजोरी नहीं है जिसने अपना सुधार कर लिया है। आजादी के पहले पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की रक्षा करनी थी लेकिन आज कानून और देश की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पुलिस पर आ पड़ी है। हम समझते हैं कि ऐसे जमाने में पुराने तरीके से किसी विशेष दुर्घटना को लेकर 'क्योंकि आप नाराज हैं' किसी थानेदार से या किसी कांस्टेबिल से इसलिये सारे प्रदेश की पुलिस पर उसी को थोपना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह अन्याय की बात है। एक किसी विशेष व्यक्ति ने आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा जो उसको नहीं करनी चाहिये था, यह बात ठीक है आप नाराज हैं लेकिन उसके कारण यह नहीं कहना चाहिये कि सारे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था खराब हो गई है। हम समझते हैं कि यह बात कुछ माकूल नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसलिये बधाई दूंगा कि उन्होंने डेढ़ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया इस वर्ष के अनुदान में और रखा है। और जगहों पर तो उन्होंने इमरजेंसी के कारण कटौती की है लेकिन पुलिस अनुदान में जो रुपया उन्होंने बढ़ाया है यह बहुत ही आवश्यक है; इसलिये हम उनको बधाई देते हैं।

श्रीमन्, आज पुलिस की व्यवस्था, इसलिये नहीं कि हम इधर बैठने वाले हैं, हम सरकार की तारीफ करने के आदी हो गये हैं, बल्कि इसलिये कि जब हम अंग्रेजों के जमाने से मुकाबला करते हैं तो हमको आज जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। आज पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि लोग कहें कि हां, पुलिस विभाग भी अब ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करता है और अपने देश को एक आजाद मुल्क समझ कर उसके हिसाब से काम करता है। और आज हम देखते हैं कि ऊंचे अफसर इस बात के लिये कि हम कम्पीटेंट माने जायं इससे छोटे-छोटे अधिकारियों को कुछ नुकसान भी हो जाता है, वे छोटी-छोटी शिकायतों में ऐसी इंक्वायरी कर बैठते हैं कि छोटे अधिकारियों को नुकसान हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे हमारे हर विभाग में परिवर्तन होता चला जा रहा है, जिस प्रकार से हमारा आचरण शुद्ध होता जा रहा है, जिस तरह से हमारे सोचने के तरीकों में अब फर्क होता जा रहा है उसी प्रकार से बड़ी तेजी के साथ पुलिस विभाग में काफी परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो फिर यह मुनासिब नहीं है कि किसी एक खास मामले को लेकर दिमाग को प्रिजुडिस करके सारी संस्था पर इस तरह का दोषारोपण करें। अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसमें यह है कि हम इस विभाग की आलोचना करेंगे और अपने सुझाव देंगे। हमारे माननीय सदस्य आये, आलोचना की और उससे बहुत आगे बढ़ कर एक गुस्से के रूप में भी आ गये लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, एक या दो थानेदार एक थाने में काम करते हैं। एक थानेदार को कचहरी में जाना पड़ता है, चाहे लोअर कोर्ट्स हों या जजेज कोर्ट्स, एक दो मुकदमे रोज लगे रहते हैं। उसको गवाहों को लेकर जाना पड़ता है। इस सदन में इधर और उधर दोनों तरफ के भाई वकील हैं और उनको अनुभव होगा कि किसी केस को साबित करने के लिये किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गवाहों की कितनी खुशामद करनी पड़ती है। आज उसके लिये कोई व्यवस्था थानों पर नहीं है। कहां से वह खर्चा लाते हैं, यह सरकार को जानना चाहिये। हम जानते हैं कि आप किसी को एक बड़ी भारी जिम्मेदारी दे दीजिये और अगर उसके पास साधन पर्याप्त नहीं हैं जो उसकी पूर्ति कर सकें तो प्रकृतिक ढंग से कुछ न कुछ कमजोरी आ सकती है। हर इंसान गलती कर सकता है। आप डेढ़ सौ, दो सौ रुपया तनख्वाह देते हैं और जिम्मेदारी बहुत बड़ी दिये हुये हैं। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो आप महसूस नहीं करते। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगा दी है तो वह किस प्रकार उसको सम्भालता होगा। सिर्फ मुकदमे की पैरवी के लिये दो ढाई सौ रुपया माहवार खर्च हो जाता है जबकि आप चालीस पचास रुपया देते होंगे। तो सौ डेढ़ सौ रुपया इधर-उधर से करना पड़ता है। दो बातें मुझे और कहनी हैं। एक बात यह मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो किसी एक थानेदार से अगर नाराज हो गये तो सारी पुलिस को गाली देने लगते हैं। किसी को हतोत्साहित करना, किसी के कैरेक्टर पर बार-बार हमला करना, यह अनैतिकता की बात है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिये कि वह बात सही है या गलत है।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त।

देखिये, मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं यदि आप लोग चाहें तो समय दस मिनट से सात मिनट कर दिया जाय।

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

श्री शराफ़त हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)––

जो कटौती का प्रश्न पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

सन् १९४७ के बाद अगर सबसे कम सुधार किसी मुहकमे में हुआ है तो वह पुलिस है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पुलिस की तारीफें कीं और खत्म भी इसी तरह से किया। उनका भाषण सुनने के बाद यह मालूम पड़ता था कि पुलिस में कोई दोष नहीं है। पुलिस ने पिछले १५ सालों में अपने को धोकर बिलकुल साफ कर लिया है, लेकिन आप देखें कि पुलिस ने १९४७ के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी बार गोलियां चलायीं हैं, कितने बेगुनाहों को पकड़ कर बन्द किया है। इससे साबित होगा कि पुलिस ने अपनी पुरानी मनोवृति का ही सबूत दिया है। अब भी हम इलाहाबाद के वाकये को नहीं भूले होंगे। पिछले साल इलाहाबाद के अन्दर फारुख को पुलिस ने तख्तों के बीच दबा कर मार डाला और बाद में जेल के अन्दर भरती करवा दिया। अभी फारुख की बेवा की आवाजें बन्द नहीं हुई थीं कि मुरादाबाद के स्टेशन पर निहत्थे तालिब-इल्मों के ऊपर गोली चला कर उनके हाथ पैर तोड़ दिये गये और वह जबर्दस्ती उस अपराध में बन्द किये गये जिससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह बात भी खत्म नहीं होने पायी थी कि गोरखपुर में गोली चलने की आवाज सुनायी पड़ी। ये शानदार कारनामे हमारी पुलिस के हैं जिनका माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गुणगान किया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

देखिये, वार्ता बहुत हो रही है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सन् ४७ के बाद अगर किसी में सबसे कम परिवर्तन हुआ है, सबसे कम सुधार हुआ है तो वह पुलिस का मुहकमा है। पुलिस के अत्याचार आज भी उसी तरह के हैं जैसे सन् १९४७ के पहले घर से बुलाकर १०९ में बन्द कर दिया जाता था मासूमों को, बेगुनाहों को और उन लोगों को जो नौकरियों की तलाश में इधर-उधर घूमा करते थे। उसी तरह आज भी पुलिस घर से बुलाकर लोगों को १०९ में बन्द कर देती है। सभी इस बात को जानते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि १०९ के मुकदमे बिलकुल झूठे और गलत होते हैं, एक भी मुकदमा सही नहीं होता। १०९ के मुकदमे में सजा कराने में पुलिस की दिलचस्पी और ज्यादा इसलिये रहती है कि ऊपर से आई० जी०, डी० आई० जी० और बड़े-बड़े अधिकारियों के उनको आदेश होते हैं कि उनका प्रोमोशन इसी बात पर होगा कि कितने लोगों का १०९ और ११० में वह चालान करते हैं।

एक बात मैं और माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं और वह साफ तरीके से ध्यान दें कि सन् ४७ के बाद से पुलिस के मुहकमे में माइनारिटीज का, अल्पमत वालों का, मुसलमानों का और हरिजनों का चुनाव करीब-करीब बन्द कर दिया गया है, इन दोनों उम्मीदवारों को उसमें नहीं लिया जाता है। मुसलमान खास तौर से इस बात की शिकायत करते हैं कि पुलिस का दरवाजा उनके लिये बन्द कर दिया गया है। उनका परसेंटेज पुलिस में गिर गया है। हरिजनों को दूसरे तरह की शिकायत है कि उनको यह कहकर अलग कर दिया जाता है कि वह अयोग्य हैं, उनमें योग्य नवजवान नहीं हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि इस बात के ऊपर वह विचार करें और माइनारिटीज की जो यह मांग है कि अल्पमत वालों को पूरा पूरा मौका पुलिस में मिलना चाहिये, उसके लिये आदेश दें।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मन्त्री के सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि पासपोर्ट आफिस लखनऊ में है; इसका नाम तो सही और ठीक ढंग से चलता है, लेकिन जिस पुलिस का गुण-गान माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने भाषण में बहुत किया वह पुलिस वाले जब पासपोर्ट की जांच करने जाते हैं तो किसी भी केस में दस बीस रुपये लिये बिना इंक्वायरी नहीं करते। दो-दो तीन-तीन महीने तक जांच के लिये वह पड़ी रहती है। साथ में उनसे यह भी शिकायत मुसलमानों को है कि जिनकी बहू बेटियां परदा करती हैं और थाने में नहीं जा सकतीं उनको जबर्दस्ती थाने में बुलाया जाता है। यह बिलकुल गलत और भद्दा तरीका है। यह शिकायत आम तौर पर सबको रहती है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी तारीफ की कि उनकी पुलिस बहुत सतर्क है। अब आप देखिये, पुलिस सतर्क है या नहीं। सन् ६१ का यह पुलिस का विवरण है। १९५९ में डकैतियों की संख्या ८४९ थी और सन् ६१ में १७५१ हो गई। हत्यायें ५९ में १६९४ थीं, वह बढ़कर ६१ के अन्दर २,१०१ हो गईं। इसके बाद भी पुलिस की तारीफ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है। यह मैंने दो तीन मिसालें दीं इस बात की कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। पुलिस के तौर तरीके आज भी वही हैं जो पहले थे। दूसरी बात एक और भी है जरायम बढ़ने की। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण पुलिस को हासिल है। आज मुख्य मन्त्री जी ने उनका संरक्षण सदन के अन्दर किया और जिले के अन्दर सभी कांग्रेसी एम० एल० ए० उनका संरक्षण कर रहे हैं। शिकायत करने का एक जरिया था डी० वाई०एस० पी० कंप्लेंट्स, उसको भी तोड़ दिया गया। मैं चाहूंगा कि उसको फिर से शुरू किया जाय।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय गृह मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पुलिस के बारे में अभी सामने के भाइयों ने जो निराशा प्रकट की है उससे मैं सहमत नहीं हूं। पुलिस फोर्स भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है और उसका इलाज करते हैं, उसी प्रकार से आप सब भाइयों का

यह कर्तव्य है कि पुलिस फोर्स में अगर कोई खराबी है तो उसका इलाज करने में तत्पर हो जायं। आज पुलिस के लोग जब किसी गुण्डे को या जिसका नैतिक चरित्र खराब होता है, उसको पकड़ते हैं तो हमारे समाज के लोग ही उसकी सहायता में जाते हैं। पुलिस क्या करें ? पुलिस में यदि आज कमजोरी है तो उसकी जिम्मेदार हमारी पोलिटिकल पार्टीज हैं और हम और आप हैं। हम और आप पुलिस को ऐसे ससपेंस में डाल देते हैं कि उनको फैसला करने में दिक्कत पड़ती है। हमारा और आपका यह कर्तव्य होना चाहिये कि पुलिस को सहायता दें। आज पुलिस जो भी केस चलाती है, क्रिमिनल केस चलाती है, वह ज्यादातर सभी में हार जाती है। वह क्यों हार जाती है, इसके ऊपर आपने कभी ध्यान दिया ? यह इसलिये है कि अच्छे आदमी गवाही देने के लिये नहीं जाते हैं। चन्द लोग गवाही देने क लिये तैयार हो जाते हैं। आज समाज का कर्तव्य है कि पुलिस जब आपसे मांग करती है कि यह आदमी खराब है, इसके खिलाफ हमको अदालत में गवाही पेश करना है तो हमको और आपको चाहिये चाहे हम और आप किसी भी पार्टी को बिलांग करते हों, उनको सहायता दें। तभी यह निराशा, जो आज आपको दिखाई पड़ती है, वह आशा में परिणत हो जायगी।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार का आज यह कर्तव्य है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात की मांग करे कि जो ला आफ एविडेंस है उसको चेंज किया जाय। आज ला आफ एविडेंस इतना खराब है कि अच्छे आदमी गवाही देने से घबराते हैं। मैं आपके सामने अपने मुहल्ले का एक प्रत्यक्ष उदाहरण पेश करता हूं। एक आदमी बरतनों पर कलई करने वाला हमारे मुहल्ले में गया और वहां जाकर एक जगह बरतनों पर कलई करने लगा। यह २, ३ महीने की बात है कि जब वह कलई करने लगा तो घर की लेडीज अपने काम में लग गईं और इसी बीच में वह कलई करने वाला बरतन लेकर गायब हो गया। बाद में पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया। अब पुलिस यह कहती है कि जेल में घर की लेडीज को भेजो ताकि वह वहां जाकर उसकी शिनाख्त करें। आप जानते हैं कि हमारे समाज की रचना कुछ ऐसी है कि हमारे यहां लेडीज को जेल में भेजना कोई पसन्द नहीं करता। वह वहां नहीं जा सकतीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ला आफ एविडेंस में खराबी होने की वजह से हम लोग कचहरी में कई बार गवाही देने के लिये नहीं जा सकते हैं। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये कि ला आफ एडिवेंस में कुछ चेंजेज किये जायं जिससे हम समाज के लोग, जिनकी कुछ प्रतिष्ठा है, वे हर वक्त गवाही देने के लिये, वे चश्मदीद बातों को बतलाने के लिये पुलिस की सहायता कर सकें। तभी यह पुलिस की खराबी दूर हो सकती है।

दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि ब्लाक एरिया के अनुसार थानों को रिआर्गनाइज करना चाहिये। ब्लाकों की जब मीटिंग हो तो इंचार्ज थाना को भी निमन्त्रण भेजना चाहिये और सरकार को इजाजत देनी चाहिये कि वह उस मीटिंग में जाय। उस ब्लाक मीटिंग में प्रमुख वगैरह आते हैं हर एक गांव से, वह उन लोगों से आपस में बात करके जो ब्लाक के अन्दर खराबी होगी वह मिटा सकेगा और उससे एक अच्छा वातावरण पैदा होगा। सबसे जरूरी चीज इनवेस्टीगेशन और ला ऐंड आर्डर की है। इसके दो तबके हर थाने में बना देने चाहिये और उसके लिये अलग-अलग अधिकारी रख देने चाहिये। आज गजटेड और नानगजेटेड पुलिस अधिकारियों में एक गैप-सा है। हमारे पुलिस कप्तानों को खराब आदमियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, ताकि लोगों पर गलत असर न पड़े और जितने सार्वजनिक त्योहार होते हैं उनमें पुलिस अधिकारियों को खास तौर से हिस्सा लेना चाहिये। आज एस० पीज० जनता में जाकर कहीं भी संपर्क स्थापित नहीं करते। उनको चाहिये कि प्लेन ड्रेस में जाकर लोगों से मालूमात हासिल करें। इससे अधिक फायदा होगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय प्रदान किया। इस अनुदान से प्रदेश की उन्नति और अवनति का संबंध है। ला ऐन्ड आर्डर से इसका संबंध है और जिस प्रकार का ला एन्ड आर्डर अच्छा होता है वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उन्नति कर सकता है। इस अनुदान को पेश करते समय हमारे मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के अच्छे कार्यों की ओर प्रकाश डाला है, लेकिन उसकी जो कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं हुई हैं, जिनसे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनको मुख्य मंत्री जी ने नहीं देखा। आज प्रदेश में जनता को पुलिस के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जो अन्य देशों में है और इसलिये इस सदन के सदस्यों तथा मुख्य मंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जनता का सहयोग पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है। किसी भी देश या प्रदेश की पुलिस उस समय तक अच्छे कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेगी जब तक कि उसको जनता का सहयोग न प्राप्त हो और इसलिये इस प्रश्न पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि सदस्यों के जो उचित सुझाव होंगे उनको अमल में लाने का प्रयत्न किया जायगा। श्रीमन्, आपने तो लालबत्ती जला दी जब कि अभी दो ही मिनट हुए हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी को उन कार्यों की तरफ जिनके द्वारा जनता को कष्ट पहुंचा है पुलिस के द्वारा, ध्यान देना चाहिये। मेरे जिले में जलालपुर थाने में वहां के थानेदार ने हाल ही में एक आदमी के घर का सारा सामान एक सिपाही इसहाक द्वारा लुटवा लिया और उसका छप्पर गिरा दिया। उसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी को, नेता विरोधी दल तथा नेता सोशलिस्ट पार्टी को की गयी, लेकिन अभी तक वहां के अधिकारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस तरह की यह एक ही घटना नहीं है। हमारे राजाराम मिश्र जी, जो एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्त्ता रहे हैं, वहां के ईमानदार आदमी हैं। ठाकुर हबराज सिंह की दयनीय स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री जी को तथा जिलाधीश को अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके खिलाफ फिर भी कार्यवाही हो रही है और उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में, और मेरे जिले के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विरोध में, खड़ा हुआ हूं। मुझे आपके माध्यम से कुछ अत्यन्त आवश्यक बातें निवेदन करनी हैं और आप कृपा कर मेरी तरफ मुखातिब होकर सुनने का कष्ट करें। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में माननीय सदस्यों की भाषा इस बार बहुत मुलायम है और इससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस वर्ष पुलिस के मुहकमे में काफी सुधार हुआ है। कुछ बाराबंकी थाने की शिकायत हुई, कुछ देवबन्द और लखीमपुर की शिकायत हुई। इतना विस्तृत स्टाफ और उसमें कुछ थानों की शिकायतें कुछ कांस्टेबिलों और थानेदारों की शिकायतों का आना, जहां हजारों और लाखों का स्टाफ है, यह साबित करता है कि यह विभाग संतोषप्रद कार्य कर रहा है और कटु बहस का विषय नहीं है। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुलिस के कार्य में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है और उससे माननीय सदस्यों को काफी संतोष प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अब मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको और सदन को अच्छी तरह मालूम है कि चीन और पाकिस्तान दो देशों की निगाह हमारी ओर अच्छी नहीं है और यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि वे हमारे देश पर हमला किये बिना नहीं रह सकते। यह एक निश्चित बात है। मेरा सुझाव है कि इस विभाग को ज्यादा सावधानी से काम लेना पड़ेगा। आन्तरिक शान्ति कायम रखने के लिये हमारा पुलिस फोर्स बहुत नाकाफी है। वर्तमान पुलिस की शक्ति इसके लिये नाकाफी है। उसकी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ३, ४ करोड़ आबादी के लिये जो पुलिस

फोर्स था, वही आज उसकी दुगनी आबादी के लिये है। दो चार हजार का स्टाफ बढ़ा देने स काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं और वह अधिकारियों की बात है। यहां पर जो माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने कुछ बातें कहीं हैं, उनसे मैं उनकी परेशानी समझ पाया हूं। वह यह है कि उनकी समाअत और हमारी समाअत उच्च अधिकारियों के पास और उनके सामने तक नहीं है। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि सब-इन्सपेक्टर के ऊपर के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी तवज्जह दी है और उन्होंने शिकायतों को सुना है। रोज-बरोज तेजी से उनको रफा करने की कोशिश की है। आप देखें कि यह मुहकमा कई टुकड़ों में बंटा हुआ है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता——

समय कम है और आप अपना भाषण २–३ मिनट में ही समाप्त कीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र——

श्रीमन्, या तो आप मुझे ५–६ मिनट का समय दें और नहीं तो मैं अपने आप समाप्त कर देना चाहता हूं और कहिये तो बैठ जाता हूं ?

श्री अधिष्ठाता——

केवल २–३ मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र——

तो फिर मैं बैठ जाता हूं और अधिक नहीं बोलूंगा।

श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)——

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझ जैसे नये व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज १५ साल के बाद भी देहात में काफी अराजकता फैली हुई है, यहां तक कि काश्तकार को खेती करना और अपने जानवरों की रखवाली करना भी मुश्किल हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर बदमाश और दलाल इतने बढ़े हुए हैं और पुलिस उन्हें पनाह दे रही है। जनता को उन बदमाश और दलालों का सामना और मुकाबला करना पड़ता है। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचने पर भी वह सही फरियाद नहीं सुनते हैं। यहां तक कि उसकी सही रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। इसके लिये मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी को खुला चैलेन्ज है कि वह खुफिया तौर पर दौरा करें तो देखेंगे कि वास्तव में बगैर रुपया लिये रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। आज पुलिस वाले सही रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होते हैं एक कर्मचारी के खिलाफ जब कोई शिकायतें की जाती है, तो उनके अफसरों को ही उनके खिलाफ जांच करने को दी जाती है। यह बड़ी अनियमितता की बात है। वह उसी डिपार्टमेन्ट के व्यक्ति होने के नाते सही जांच नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति है उसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज यह है कि हमारे प्रान्त और देश की सुरक्षा सी० आई० डी० पर निर्भर है परन्तु वह इतने कम संख्या में है कि सही वक्त पर इन्क्वायरी नहीं हो पाती है। इसको देखते हुए जरायम बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि जब एक केस की जांच में साल भर और ८ महीने लगते हैं तब तक सबूत वगैरह खराब कर दिये जाते हैं।

तीसरी बात यह है कि पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ इन्क्वायरी होने से पहले, अगर कुछ अंश उसकी जांच करके सही साबित हो, तो उनका तबादला कर दिया जाना चाहिये, उसके बाद ही वह जांच होनी चाहिये। तबादला न करने से सही जांच नहीं हो पाती है। इसके

[श्री बलवीरसिंह]

अलावा यदि पुलिस किसी अंश तक सही काम करना भी चाहे, तो हमारे बड़े-बड़े नेतागण भी उन्हें सही काम नहीं करने देते हैं। जैसे एक बस्ती जिले की घटना है। वहां पर श्री धनुषधारी पान्डेय, जो कि भूतपूर्व कांग्रेस एम० एल० ए० रहे हैं उनका नाव की उतराई के न देने पर झगड़ा हुआ और पुलिस ने उनका चालान किया किन्तु बस्ती के मंत्रियों के खास आदमी थे। अतः वह केस बाद में नेताओं के दबाव से वापस ले लिया गया। और भी कई एक ऐसी मिसाले हैं। ललितपुर में भी एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक पर ४ गबन के केस चल रहे हैं, चार्ज सीट कोर्ट में पहुंच चुकी है परन्तु सरकार वह मुकदमा वापस लेना चाहती है। इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई। उस केस में गवाही भी नहीं हुई है। समथर के टाउन एरिया के चेयरमैन का मुकदमा सेशन कमिट हो गया और बाद में इससे साफ जाहिर है कि जब आप अपने आदमियों के केस को वापस ले लेते हैं तो बेचारी पुलिस क्या करे? ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ ढील है वह मुख्य मंत्री के शासन की है। जब चौधरी चरण सिंह के पास यह विभाग था तो जनता में और पुलिस को संतोष था, इसलिये या तो इस पोर्टफोलियो को चरणसिंह जी को सौंप दें या कड़ाई अख्तियार करें। जो कुछ हो रहा है यह सरकार की कमी की वजह से हो रहा है। अगर सरकार जरा भी सतर्कता निभाए, तो काफी सुधार हो सकता है।

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के अनुदान पर जितने माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। जिन लोगों ने पुलिस विभाग के लिये दो अच्छे शब्द कहे, उनको भी सुना और उनको मैं धन्यवाद देता हूं और जिन लोगों ने उसकी आलोचना की, उनको भी धन्यवाद देता हूं। कुछ भाइयों ने शेम-शेम की बात कही, उसको भी सुना और उनको भी धन्यवाद देता हूं। जिस समय माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने इस बात को माना कि पुलिस के विभाग का महत्व बहुत ज्यादा है और यह कि आज की राष्ट्रीय संकट की परिस्थिति में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। वह यह भी मानते हैं कि इतने बड़े विभाग में जिसमें करीब ७८ हजार से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ५०० से ज्यादा हमारे गजेटड आफिसर हैं उनमें सभी आदमी खराब नहीं है। यह उन्होंने माना, मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूं। उन्होंने कहा कि आपके यहां अपराधों की संख्या बढ़ी है, वह एक अच्छे वकील हैं। उन्होंने साथ ही साथ जो एक डिफेंस का आर्गुमेन्ट हो सकता था उसको भी एंटिसिपेट किया, लेकिन पूरा एंटिसिपेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जवाब देंगे कि चूंकि आपने इस बात पर जोर दिया है कि सही रिपोर्टिंग हो और सही रजिस्ट्रेशन हो इसलिये क्राइम बढ़ा है। मैं उस दलील के उनके एंटिसिपेट करने के बावजूद कहता हूं कि यह सही है और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने इस तरफ कड़ाई के साथ कदम उठाया है और उसका स्वागत और प्रदेशों ने किया और उसको उन्होंने फालों भी किया है।

उन्होंने, मान्यवर, जब क्राइम की फिगर दी तो और भी जो प्रदेश हैं उनकी फिगर दी और यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आज अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किये, मुझे भी इसका बड़ा शौक है। मैं उस संबंध में यह बात कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे दोस्त अब्बासी साहब ने बतलाया, कि सिवाय कत्ल और डकैती के और अपराधों में उत्तर प्रदेश ज्यादा नहीं है। मगर आपने केवल संख्या की बात कही, यह बात भूल गये कि इसके पीछे भी दो बातें हैं। एक तो पापुलेशन क्या है और मैं एक बात कहूंगा जो कि सरकार के मेम्बर के नाते कहना नहीं चाहता, लेकिन और प्रदेशों की बात मैं नहीं कहता; केवल उत्तर प्रदेश की कहता हूं कि कंसीलमेंन्ट के विरुद्ध जितनी सख्ती से कदम इस प्रदेश ने उठाया है, मैं नहीं जानता कि और प्रदेशों ने उठाया है या नहीं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं भी सन् १९६० के ही पेश करता हूं १०,००० की आबादी के ऊपर। आप जरा नोट कीजिये शारदा बख्श सिंह साहब! आंध्र प्रदेश में ११.३८७, आसाम में १७.०७४, बिहार में १४.२८५ है। गुजरात ११.समथिंग, महाराष्ट्र १३.५, जम्मू एन्ड काश्मीर

१२.३७६ केरल, १०.२९ मध्य प्रदेश–२३. समथिंग, मदरास–१५.५, मैसूर–१०. समथिंग, उड़ीसा–१४.समथिंग, पंजाब–९.३४७, राजस्थान. १०.३८७, और उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, ८.५३८, वेस्ट बंगाल १८.७, देहली १५. समथिंग, हिमाचल प्रदेश आदि में १६. कुछ है । इससे एक बात साबित होती है कि पापुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अन्दर क्राइम्स का औसत सब प्रदेशों से कम है । मगर फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इससे यह न समझा जाय कि हम इससे संतुष्ट हैं । जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसके प्रति सरकार जागरूक है और इस चेष्टा में है कि उनको किसी प्रकार रोका जाय । इस ओर प्रगति भी हुई है और उसके लिये मैं पहले दो महीनों के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं---एक तो १९६२ के २८ फरवरी तक के, दूसरे उसके बाद के सन् ६३ के २८ फरवरी तक के इकट्ठे किये हैं । आप देखें कि १९६२ में दो महीने में २८ फरवरी तक, डकैती की संख्या ४४४ है, वह १९६३ में इन दो महीनों में ३०० हो गयी, कत्ल ४२३ से २७५, मर्डर ३१६ से २८०, राइट्स ८८७ से ७०९, बलगरी के ६,३८१ से ४,९९५ हुए । मैं केवल यह इसी लिये दे रहा हूं कि आप यह समझ सकें कि सरकार काफी जागरूक है और क्राइम कम करने के लिये सन् ६३ में जिस प्रकार हमने स्टार्ट किया है वह काफी संतोषजनक है ।

एक बात क्राइम्स के कन्सीलमेन्ट के बारे में कही गयी । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर हमने विशेष कदम उठाया है और यह कहा भी गया है कि अब क्राइम्स की सही रिपोर्टिंग होती है इस कारण क्राइम्स की संख्या बढ़ी है । इसका एक कारण यह भी है कि अब उद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण जो उलझनें हो रही हैं उसके कारण भी क्राइम्स बढ़े हैं, आबादी जो बढ़ी है वह भी उसका एक कारण है । साथ ही साथ जो पोलिटिकल एजीटेशन होते हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उसके कारण भी पार्टीबाजी पैदा हुई है और उसके कारण कुछ क्राइम्स बढ़े हैं । यही नहीं, इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां क्रिमिनल्स के लिये कहीं न कहीं प्रोटेक्शन भी दिया जाता है । इसके अलावा यह बात भी सही है कि आज क्रिमिनल टेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है । सेकिन्ड वर्ल्ड वार के बाद, अगर सारी दुनिया के आंकड़े इस संबंध में देखें जायं तो पता चलेगा कि आल ओवर दि वर्ल्ड क्रिमिनल टेन्डेन्सी बढ़ रही है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनकी तादाद बढ़ने का एक कारण यह भी रहा है कि हमारे यहां पुलिस की संख्या बहुत कम है ।

साथ ही साथ एक बात कही गयी भ्रष्टाचार की । मैं इस बात को मानता हूं और अगर साथियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुना होगा तो उन्होंने स्वयं यह माना है और कहा है कि इतने बड़े कोर्स के अन्दर मैं यह जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता कि सभी अच्छे आदमी हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि उनमें अवांछनीय तत्व भी हैं और उनको हम हटाने की चेष्टा कर रहे हैं । यह सही है कि हम सेंट परसेंट उसमें कामयाब नहीं हुए हैं लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार आज है वह तमाम समाज के अन्दर व्यापक है, जीवन का कोई अंग नहीं है जो भ्रष्ट न हो । मुझे इस बात से संतोष नहीं है कि और जगह भी भ्रष्टाचार हैं इसलिये यहां भी है यह बात कहकर मैं संतोष करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जब इस विभाग में भ्रष्टाचार है तो सरकार का फर्ज है उसको दूर करे । मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उन्होंने करप्शन की बात कही है कि हम उसके अन्दर नाकामयाब रहे । मैं ऐसी बात नहीं मानता । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार का यह कायदा है कि जो शिकायत आती है हम उसकी जांच कराते हैं और जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक विधान बना हुआ है और विधान के अन्दर जो हमको और आपको अधिकार है वही अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को भी प्राप्त है । उन पर बगैर चार्जशीट लगाये उनके खिलाफ ऐक्शन लेना सम्भव नहीं है । और अगर जरा सी भी कम्प्लेक्सिटी हो जाय, या जरा सी गलती हो जाय तो ऊंचे से ऊंचे कोर्ट के अन्दर पहुंच जाते हैं और वहां कामयाब हो जाते हैं । लेकिन इसके बावजूद भी हम यह बतलाना चाहते हैं कि ७८ हजार की फोर्स के अंदर ६२–६३ में १४ केसेज तो कोर्ट के अन्दर कन्विक्ट हुए । १२ केसेज में लोग छूट गये । डिपार्टमेन्टल ऐक्शन जिसमें डिसमिसल

[श्री नवलकिशोर]

हुआ वह ३३ आदमियों के खिलाफ, जिन लोगों ने इस्तीफे दिये वह ४ आदमी और जिनको और दूसरे पनिशमेन्ट दिये गये वह २३२ आदमी थे। उसके बाद जो लोग छूट गये उनकी संख्या ४५ है। जिन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेन्टल ऐक्शंस लिये उनमें सरकिल इंस्पेक्टर्स ५, सब इंस्पेक्टर्स ४५, हेड कांस्टेबिल्स ५१३ और कांस्टेबिल्स २५७३ और मिनिस्टीरियल स्टाफ में ९। मुझे विश्वास है कि माननीय शारदा भक्त सिंह जी इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि करप्शन दूर करने के लिये निरन्तर चेष्टा की गयी है। यह कहना कि हम उसमें नाकामयाब हुए हैं, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बात सही है कि सेंट परसेंट हम दावा करें कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है।

एक बात और भी इसमें है कि आखिर ये जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं यह भी समाज के अन्दर से ही आते हैं और जैसा मैंने शुरु में कहा कि मारेल वेलूज घटी हैं तो वह भी हमारे समाज के रिफेलेक्शंस हैं। यह भी हमारे सामने दिक्कत है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद हम चेष्टा कर रहे हैं। पे स्केल भी बढ़ाया गया है। क्वालिफिकेशन भी उनकी बढ़ा दी गयी है और वह इस बात की उम्मीद पर की गयी है कि १५–१६ साल आजादी प्राप्त हुए हो गये। आज जो देश का नवजवान है उसमें भी वही धारणायें, वही आकांक्षायें और वही आस्थायें हैं जैसी हम सब में है और जब वह पुलिस में आयेंगे तब बेटर पुलिसमैन साबित हो सकेंगे। जो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें भी इस बात की कोशिश की गयी है कि उसको इस तरह से रिओरियंट किया जाय जिससे वहां मारेल वैलूज पर ज्यादा इम्फैसिस दी जाय। तो यह कहना कि हम इस तरह कामयाब नहीं हुये, मैं आपसे इस बात में इत्तिफाक नहीं करता।

आपने फरमाया कि कम्प्लेन्ट आफिसर्स को आपने हटा दिया और उससे बड़ा खराब वातावरण हो रहा है। शारदा भक्त सिंह जी इससे पहले भी इसी सदन के सदस्य थे। उन्होंने उस समय के भाषणों को पढ़ा होगा जब यह कम्प्लेन्ट आफिसर की स्कीम चल रही थी। तब यह कहा गया था कि यह गलत है और बड़ा भ्रष्टाचार है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने कम्प्लेन्ट स्कीम को विद्ड्रा नहीं किया है। हमने उसके अन्दर तब्दीली की है। आज भी डी० आई० जी० सी० आई० डी० के अन्तर्गत हर एक रेंज में हमने डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेन्ट रख छोड़े हैं। यही नहीं, सरकिल इंस्पैक्टर्स की पोस्ट को कम करके उनको बड़े बड़े थानों में इन्चार्ज बनाया गया है ताकि वहां इंतिजाम बेहतर हो। जो पहले ८, ८ और ७, ७ थानों में एक सरकिल इंस्पेक्टर रहता था, अब उनको ४, ४ और ५, ५ थानों के ऊपर किया है। नये थाने और चौकी खोल रहे हैं। तो अगर हमारी स्कीमों की पीसमील लेंगे तो आपकी समझ में बात आने वाली नहीं। आपकी समझ में बात तब आवेगी जब आप पूरी तौर से पूरी स्कीमों को स्टडी करेंगे। जो सरकार कर रही है वह इस बात की कोशिश है कि जनरल इम्प्रूवमेन्ट पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर होना चाहिये। आपने यह भी फरमाया कि कुछ कानूनी कमी है। अब यह तो आल इंडिया पार्लियामेन्ट के मेम्बरों के देखने की बात है कि यह ठीक है या नहीं। मेरी समझ में यह तो आउट आफ प्लेस है।

एक बात आपने फरमायी कि इनवेस्टिगेशन की सुविधा नहीं है। यह बात सही है और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने भी बतलाया कि हम धन के अभाव के कारण अपनी पुलिस के अन्दर माडर्नाइज्ड एक्वीपमेन्ट्स नहीं दे सके हैं और जो मोबिलिटी हम उसके अन्दर पैदा करना चाहते हैं वह नहीं पैदा कर सके हैं। लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ गया है। इस संबंध में मैं आपकी सेवा में एक दो बातें पेश करना चाहता हूं। हमने इस बात की कोशिश की है कि हर थाने के अन्दर साइंटिफिक किट दी जाय ताकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने में इमदाद मिले। हमने इस बात की भी कोशिश की है और स्टेट हेड क्वार्टर पर फारेंजिक साइंस लेबोरेटरी को डेवलपमेन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिफिक इनवेस्टिगेशन के लिये ट्रेनिंग देने की बात पर हम इम्फेसिस दे रहे हैं और उसके लिये हर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बात जनरल डायरी के संबंध में कही गयी कि उसमें सही एन्ट्री नहीं होती है। लेकिन, मान्यवर, आपको मैं इस बात को बतलाऊं कि कई दफा मैंने सरप्राइज विजिट की है लेकिन मुझे बराबर जनरल डायरी कम्पलिट ही मिली। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनरल डायरी के मामले में भी डेफिनिट इम्प्रूवमेन्ट है।

पुलिस कमीशन के बारे में भी कुछ बातें कहीं गयीं। पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ तो सरकार ने माने हैं और कुछ अभी सरकार के विचाराधीन हैं, लिहाजा यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ को माना गया है और बाकी को बिलकुल माना ही नहीं गया है, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात इंटरनल सेक्योरिटी की कही गयी कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं इससे १०१ परसेंट सहमत हूं कि सरकार का ध्यान उस तरफ होना चाहिये लेकिन फर्क यह है कि राष्ट्र विरोधी तत्व आप किसको समझते हैं और सरकार किसको समझती है, सिवा अपने अपने नजरिये के और कोई इसमें अन्तर नहीं है।

एक्जीबिशन के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी को जो कुछ कहना होगा, कहेंगे।

तिवारी जी ने कहा कि गुन्डों का बाम्बे की तरह इंटर्नमेन्ट होना चाहिये और उसके लिये गुन्डा ऐक्ट बनना चाहिये। लेकिन अगर वह ऐक्ट बना तो भाई उग्रसेन जी फिर कहेंगे कि इसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया जा रहा है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जायगी। हमारे यहां भी पहले गुन्डा ऐक्ट था, अब नहीं है। बाम्बे में क्या है यह सरकार के देखने की चीज है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि गुन्डागर्दी बहुत बढ़ गयी है, इव टीजर्स भी काफी बढ़े हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस ईव टीजर्स के अन्दर अब काफी कमी आ गयी है और मोबाइल स्क्वाड तथा एन्टी गुन्डा स्क्वाड की वजह से गुन्डागर्दी भी कम होने की आशा की जाती है।

कुछ बातें कुछ लोगों ने इनडिविजुअली कहीं। रावत जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया कि थानेदार निर्दोष है इस से उनको शिकायत हुई। उन्होंने जो २ बातों की चर्चा की, उन दोनों मामलों की जांच की गई। जिस थानेदार की स्त्रियों के साथ बलात्कार की बात कही गई लेकिन उन स्त्रियों के रिश्तेदार और भाइयों ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं की। इस मामले की जांच की गई और कोई सबूत उन के खिलाफ नहीं मिला, इस तरह से सरकार की दिक्कत है कि वह क्या करे? सबूत मिलना चाहिये तभी हम किसी के खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं।

एक सदस्य--
जांच किसके द्वारा हुई?

श्री नवलकिशोर--
एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० के द्वारा हुई, उन्हीं के मार्फत होती है। हमारे एक मित्र ने यहां नेहरू जी के क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें कहीं। जितनी शिकायतें माननीय मुख्य मंत्री के और मेरे पास जाती हैं या सरकार के पास आती हैं उनमें से कोई शिकायत ऐसी नहीं है जिस की इन्कवायरी नहीं होती हो। एक शिकायत भी ऐसी नहीं है जिसकी जांच न होती हो। यह तो विभाग का प्रोसीजर है कि जिनके खिलाफ सबूत होता है उनके खिलाफ एक्शन होता है और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की निरन्तर यह चेष्टा है कि पुलिस का आतंक जनता पर नहीं होना चाहिये लेकिन साथ ही कुछ लोग जो पुलिस पर आतंक जमाने की कोशिश करते हैं इसको भी सरकार नहीं मान सकती। हमारे दोस्त ने, जिस भाई की चर्चा की वह यहां आये थे। मैंने स्वंय देखा कि उनके हाथों पर प्लास्टर था और दोनों पांव पर भी और उनको लखनऊ लाया गया। मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई उनको यहां तक लाये अगर आप उसको वहीं एस० एस० पी० के पास ले जाते और दिखाते कि यह चोटें आई हैं, वहीं आपका काम हो जाता।

[श्री नवलकिशोर]

उन्होंने कहा कि हमने एस० एस० पी० को नहीं दिखाया। उन्होंने माना है कि अब उसकी जांच हो रही है, रिपोर्ट आने दें। हमारी यह नीति है कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि उन्होंने यह भी कहा कि जो भी रिपोर्ट हो वह पहले सभापति को दी जाय और फिर थानेदार के यहां लिखाई जाय। पता नहीं कौन सा कानून यह है? पुलिस कमीशन के सामने भी यह बात आई थी कि लोकल बाडीज को हम पुलिस को दे दें लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। उसकी सिफारिश है कि यह चीज ठीक न होगी। लिहाजा यह सुझाव उचित नहीं है और सरकार इसको नहीं मान सकती। इन्क्वायरी जो पुलिस के आदमियों की हो वह किसके द्वारा हो, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया कि "अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जायेंगे, मर कर भी चैन न पाया तब किधर जायेंगे?" कौन सी मशीन इसके लिये बनाई जाय, यह बात सरकार के सोचने की हो सकती है लेकिन यह जो विषय है और इसका जो टिन्ज है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे यहां आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० वाई० एस० पी०, इंसपेक्टर, सब-इंसपेक्टर सीढ़ी दर सीढ़ी सब हैं। उनसे हम काम लेते हैं। यह कहना गलत होगा कि सब ही पक्षपात करते हैं, यह मैं नहीं मान सकता। यह बात हो सकती है कि कहीं कोई अफसर अपने जूनियर को शील्ड करते हों, प्रोटेक्ट करते हों लेकिन उसके लिये सब को कन्डेम किया जाय, एक डंडे से सबको हांके यह मुनासिब न होगा। सरकार का निरन्तर यह प्रयास है और रहेगा कि कोई अफसर अपने जूनियर को शील्ड न करे और जांच आन मेरिट होना चाहिये और जिसकी गलती हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। एक किस्सा मुझे याद आ गया वह यह है कि दो साथी थे उनमें आपस में बहस हो गई, एक ने कहा कि ७ और ५ मिलकर १२ होते हैं, दूसरे ने कहा कि ७ और ५ मिलकर ११ होते हैं। एक ने कहा कि ११ होते हैं और दूसरे ने कहा कि १२ होते हैं। दूसरे ने कहा कि अगर कोई समझा दे मुझे कि ७ व ५ बारह होते हैं तो मैं आधी जायदाद दे दूंगा। पहले ने कहा मैं साबित कर दूंगा कि ७ व ५ बारह होते हैं। जब गांव में पहुंचे तब उसके पिता ने इस शर्त के लिये उसको डांटा, तब उसने कहा कि मैं जब मानूंगा तभी तो होंगे। जब मानूंगा ही नहीं तो कैसे होंगे? लिहाजा वह कहते हैं कि हम मानते ही नहीं, इसका मैं क्या जवाब दूं?

एक बात कही गयी कि जो दलाल होता है वह तमाम घपला करता है। पैसा दिलाता है, भ्रष्टाचार करता है। यह बात सही है। लेकिन उसमें भी हमारी कानूनी दिक्कत है। कोशिश की सरकार ने कि जो इस तरह के दलाल हों उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी जाय। लेकिन जब हाईकोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने सेट एसाइड कर दिया। मैं चाहता हूं कि हम सब मिल कर कोशिश करें और उस दिन का इन्तजार करें जबकि दलाली खत्म हो जाय और जो एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन न मिले।

चौकीदार की बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे भाइयों को चौकीदार से हमदर्दी है। हमको भी हमदर्दी है। चौकीदार पार्टटाइम सर्वेन्ट होता है, होलटाइम नहीं होता। अब्बासी साहब ने कुछ बातें कहीं, उनका जवाब नहीं दूंगा। देवबन्द के बारे में कहा। उसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया। डायरक्टोरेट आफ एन्फोर्समेंट जो केन्द्र में हैं उनके आफीसर्स आये थे तलाशी लेने, प्रान्तीय सरकार की तरफ से तलाशी नहीं हुई थी। बाकी डिटेल की बात है, उसे देख लिया जायगा।

गोरखपुर गोलीकांड की बात कही गयी। जुडीशियल इंन्क्वायरी हो रही है। वह बिल्कुल कोर्ट की तरह काम करती है, लिहाजा उस पर कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। महन्त जी ने कहा कि हम जो बोला करते हैं या शिकायत करते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। सुनवाई होती है, आपकी मनमानी नहीं होती है। जो कसेज आपने दिये उनकी इन्क्वायरी हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं बतला दूंगा। मैंने शुरू में कह दिया कि एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती जिस पर इंक्वायरी नहीं होती।

मेरे दोस्त शराफत हुसैन साहब ने यह फरमाया कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट इस महकमें में हुआ है। मैं इस बात के लिये बधाई देता हूं कि कम से कम इतना उन्होंने माना कि इम्प्रूवमेंट हमारे यहां है। आपने फरमाया पुलिस फायरिंग के बारे में और आपने चर्चा की मिस्टर फारूक की डेथ हो गयी इलाहाबाद में। ६२ में १० पुलिस फायरिंग हुई है जिसमें ७ के अन्दर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई है और ३ के अन्दर कमिश्नर ने इंक्वायरी की है। १ में जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। फारूक साहब की मौत के बारे में जो गोली चली तो कमिश्नर, फैजाबाद उसकी इंक्वायरी कर रहें हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। स्थितियां ऐसी होती हैं कि पुलिस को दुख के साथ फायरिंग करना पड़ता है लेकिन सरकार ने हरएक फायरिंग पर इंक्वायरी कराई है, किसी केस को छोड़ा नहीं है। एक बात और कही गयी कि पासपोर्ट आफिस में जिलों में करप्शन होता है। लखनऊ आफिस से लोग संतुष्ट हैं। उनका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जिले में जो दफ्तर होते हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है। जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने कोई शिकायत मुख्य मंत्री को या मुझको नहीं दी। अगर आप कोई शिकायत देंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उसकी जांच की जायगी और उसके लिये जो जिम्मेदार होगा उसको भी दंड दिया जायगा।

एक बात यह कही शराफत हुसैन साहब ने कि परदानशीन औरतों को थाने में ले जाते हैं। इसकी भी कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। उसमें दिक्कत यह है कि अक्सर ऐसी शिकायतें आयीं कि लोगों ने गलत दस्तखतों को अटेस्ट कर दिया। फिर भी परदानशीन औरतों के परदे को कायम रखते हुये भी पुलिस अटेस्टेशन करवाने की कोशिश करती है।

एक बात आपने हरिजनों और मुसलमानों के परसेन्टेज की कही। हरिजनों के बारे में एक बार नहीं, अनेक बार मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं। जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, उनके बारे में कोई परसेन्टेज है नहीं। कम्पिटीशन होता है और उसमें इस बात की पूरी कोशिश की गयी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी मैक्सिमम एफिशियेन्सी के ऊपर ईमानदारी से चुनाव हो सकता है वह किया गया है। जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, इसी साल हमने १८ व्यक्ति लिये हैं और यह भी बता दूं कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसको गिराने के बाद भी जितने ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, लेने की चेष्टा करते हैं। एक बात जरूर है कि मिनिमम एफिसेन्सी कहीं न कहीं फिक्स करनी ही पड़ती है। इस बारे में और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

किशोरीलाल जी ने कहा कि त्योहारों पर पुलिस अफसरों को नागरिकों के पास जाना चाहिये। कर्टसीवीक्स होते हैं। यह आदेश है कि अफसर त्योहारों में सब के साथ शामिल हों ताकि उनका लोगों से कंटैक्ट बढ़े। देहातों में जायं, प्रधानों से मिलें।

यह कहा गया कि पुलिस फार्स काफी कम है। यह बात सही है। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय साथियों ने इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि २० परसेंट तक बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन यह सब लोग जानते हैं कि पुलिस के अन्दर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है जिसमें वक्त लगता है। पिछले साल हमने १२५ सब-इंस्पेक्टर और २,००० कांस्टेबिल भरती किये। इस साल २०० सब-इंस्पक्टर, १०६ हेड कांस्टेबिल और १,२०० कांस्टबिल भर्ती किये हैं और दूसरा बजट डिफेन्स का आयेगा उसमें १,८०० कांस्टेबिल और ४०० हेड कांस्टबिल तथा काफी पी०ए०सी० में लोग भर्ती किये जानें की बात है। यह काफी नहीं है लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता फोर्स को बढ़ाते जा रहें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा समय का खयाल रखिये।

श्री नवलकिशोर--

दो, एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस बजाय रक्षक के भक्षक है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं।

[श्री नवलकिशोर]

उन्होंने स्वयं यह कह दिया कि कमियां हो सकती हैं। उन्होंने तो डकैतियों की तरफ केवल संकेतमात्र किया था, मैं डिटेल में बता दूं। १९६१ में ७४ डकैत मारे गये और १९६२ में ९५ मारे गये। इसी तरह १९६१ नें ९,९५२ डकैत पकड़े गये और १९६२ में ८,४३३ डकैत पकड़े गये। तो जहां १८ हजार डकैत गिरफ्तार हुये हों दो सालों के अन्दर, उस पुलिस को आप कहते हैं कि रक्षक नहीं, भक्षक है। यही नहीं, बड़े-बड़े डकैत जैसे देवीसिंह, जंडैलसिंह और न जाने कौन-कौन डाकू मारे गये; फिर भी यह कहा जाय कि पुलिस भक्षक है, यह मुनासिब नहीं है। मर्डर्स में भी देख लें, पालीवाल जी का मर्डर हुआ, एक चेयरमैन का मर्डर हुआ, महन्त जी का अयोध्या में हुआ, गोमती में एक डेड बाडी निकली, खीरी में सब को वर्क आउट किया गया। बर्गलरी, किडनैपिंग एक लड़के पर फतेहगढ़ में तीन हजार रुपया मांगने की बात थी, मैं आपके द्वारा सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस, फतेहगढ़ को बधाई दूंगा, और सरकार का ऐप्रीसिएशन कनवे करना चाहता हूं कि उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई और साथ ही साथ डाकुओं को मार दिया और पकड़ा भी। आप देखें कि वह कितनी कठिनाइयों में काम करते हैं। फैमिली क्वार्टर्स आज भी कम हैं। नेशनल इमर्जेंसी में यह तय हुआ है कि जो कांस्ट्रक्शन वर्क है, इंडिस्पेंसेबिल को छोड़कर, सब बन्द कर दिया जाय। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद पुलिस काम करती है। कम से कम मैं आशा करता था कि उनके लिये दो शब्द अच्छे भी कहे जायें ताकि उनका जोश बढ़े और उनमें काम करने का हौसला पैदा हो। मैं दावत देता हूं, माननीय मुख्य मंत्री भी इस बात से दुखी होते हैं कि आप सही आलोचनाओं को कीजिये। आपकी आलोचनाओं से मार्गदर्शन होता है। लेकिन पुलिस फोर्स का, जिस पर इमर्जेंसी के समय में जिम्मेदारी बढ़ गयी है, मारेल को ऊंचा करना उतना ही आवश्यक है जितना जनता का मनोबल ऊंचा करना। मैं तमाम माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह अपने दिल से यह खयाल निकाल दें कि आज की पुलिस वही अंग्रेजों की पुलिस है। आज यह जनता की पुलिस है। हो सकता है कि उनमें कमियां हों। यह हमारा और आप का काम है कि उन कमियों को दूर करें। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बनवारीलाल।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हमारे नवल किशोर जी इस प्रदेश की पुलिस को भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, तरह तरह के विशेषणों से आभूषित किया करते थे। उस वक्त क्या वह अंग्रेजों की पुलिस थी? क्या गुप्ता की पुलिस में चार चांद लग गये?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल विप्र--

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। जब आपने अनुमति दे दी तो बीच में कोई सदस्य कैसे खड़ा हो सकता है?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। साढ़े चार बज चुके हैं। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय। साढ़े पांच के बजाय साढ़े छः कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा आप बात कर लीजिये। ऐसे प्रस्ताव बिना सलाह के नहीं होने चाहियें। इसमें कंट्रावर्सी नहीं होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन--

यह हमारा अधिकार है कि हम ऐसा प्रस्ताव करें नियमित समय पर।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक वह राजी न हों....

श्री उग्रसेन--

सरकार से पूछ लें आप इस पर। (व्यवधान)।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का सवाल है ? (व्यवधान)। बेकार टाइम बरबाद नहीं होना चाहिये। (शोर)

श्री कल्पनार्थसिंह--

मेरे व्यवस्था के दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने प्रस्ताव रखा कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय, उस पर कोई निर्णय न देकर आपने श्री बनवारी लाल को बोलने के लिये बुला दिया।....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले ही बुला दिया था। आपको मालूम नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

यही मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव को आप माननीय बनवारी लाल जी के भाषण के बाद लेना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी हां। आप बात कर लीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह--

दूसरा प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था रही है सदन में कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कहेगा कि सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। आप, उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द इस्तेमाल किये हैं। तो क्या आज से यह शब्द संसदीय समझा जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, इतना शोर गुल मचाने में, इसमें कोई शक नहीं कि समय तो बर्बाद होता ही है। तो मैंने यह कहा कि यह नहीं होना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या यह शब्द आज से संसदीय समझा जायगा ? अगर यह संसदीय है तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि माननीय उपमंत्री जी ने सारा समय बर्बाद किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, मेरी आज्ञा के बिना जो साहब बोलेंगे, उसको मैं समझता हूं कि वह समय को बर्बाद करना है। इसलिये मैंने कहा कि दस दस आदमी खड़े हो कर जो बोल रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन--

आप इस पर व्यवस्था स्पष्ट रूप से दें कि आपने कहा कि अभी प्रश्न नहीं लिया जायगा बिना सलाह के। तो किस नियम के अन्तर्गत श्रीमन् को अधिकार है सदन में सलाह कराने का ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यह कहा श्री रामसुन्दर जी से कि वह सलाह कर लें।

एक सदस्य--

आपने प्रस्ताव पेश करने की इजाजत ही कहां दी थी ? प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ था। लिहाजा यह कहना कि प्रस्ताव पेश हुआ था यह अनुचित है।

श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा)--

अभी पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में करीब-करीब मैं समझता हूं कि सभी दलों ने सिवाय आलोचना करने के किसी ने उनकी कोई तारीफ नहीं की, जबकि माननीय उप मन्त्री जी ने उनकी तारीफ की है। तो मैं समझता हूं कि यदि एक व्यक्ति पुलिस के प्रशासन के सम्बन्ध में तारीफ करे और पूरे सदन की राय इस बात के पक्ष में हो कि पुलिस का प्रशासन बड़ा कमजोर है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में जबकि यहां पर बहुमत का विश्वास हासिल करने के लिये या किसी भी चीज को तय करने के लिये विचार करते हैं तो मेरी नजर में उसमें बुराई ज्यादा है और अगर कोई बुरा है तो हम उस बात के ऊपर गौर करें कि आखिर हमारे प्रशासन के अन्दर कौन-सी बुराई व कमजोरियां हैं, क्या बुराई है जिस के कारण आलोचना की जाती है ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। सुधार की आवश्यकता के कारण आज हम लोग इसके विरोध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमन्, यों तो करीब-करीब अंग्रेजों के जमाने से ही पुलिस के प्रशासन में बड़ी-बड़ी खामियां रहीं और मैं समझता हूं कि लोकतन्त्रीय सरकार बन जाने के बाद इसमें और ज्यादा खामियां पैदा हुईं, तो अगर आज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और न्याय भावना से इस पर विचार नहीं किया जाता तो एक दिन इतनी गहरी दरार इस प्रशासन में पड़ जायगी कि आपका यह प्रशासन और शासन एक दम से दिन व दिन कमजोर होता चला जायगा और समाजवादी जो आन्दोलन आप चला रहे हैं इसमें पुलिस का कोई भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा जो अति आवश्यक है। यों तो शब्दों की लड़ाई में सही को झूठ और झूठ को सही साबित आप कर सकते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी और बगैर ध्यान दिये हुये कोई भी चीज ठीक हो नहीं सकती है। श्रीमन्, पहली बात यह है कि अभी ट्रेजरी बेन्च की तरफ से कहा गया कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। आगरा जिला करीब करीब यू० पी० में डकैती के मामले में, चोरी के मामले में, राहजनी के मामले में, कत्ल के मामले में ही नम्बर १ नहीं है बल्कि सारे देश में नम्बर १ पर पहुंच चुका है। अगर इसी तरीके से यह जिला उन्नति करता रहा तो यहां पर हमारे उपमन्त्री जी तारीफ करते रहेंगे पुलिस की और वहां पर चोरी, कत्ल और डकैती बराबर बढ़ती रहेगी। अगर आप इस बात का सबूत चाहते हैं तो आपके अधिकारी हैं आगरा के एस० डी०एम० श्री महाबीर सिंह जी; उनकी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे जिले की पुलिस के जितने छोटे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को अच्छे तरीके से नहीं निभाया है। उनके उत्तरदायित्व में कमी रहने के कारण, उनके ठीक काम न करने के कारण यहां पर अपराध बढ़े हैं और घटनायें बढ़ी हैं और किडनेपिंग ज्यादा हुये हैं। कुछ और भी अधिक बातें इस तरह की उस रिपोर्ट में बतलाई गई हैं। आये दिन वहां पर इतनी डकैती होती रहती हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। तारीख ४ मार्च को तिवरिया गांव में एक डकैती पड़ी। उससे पहले और भी डकैती पड़ी लेकिन इस डकैती में डाकू लोग २० हजार का माल लूट कर ले गये। मैं समझता हूं इस कांड में मुकाबाले का अगर कोई श्रेय पहुंचता है तो हमारे कार्यकर्त्ता ठाकुर छोटेसिंह को पहुंचता है। उन्होंने ३ घंटे डाकुओं से मोर्चा लिया। वहां ३ घंटे के बाद पुलिस पहुंची। वहां के मुकाबले का सारा श्रेय ठाकुर छोटेसिंह को मिलना चाहिये। बाद में शायद उसका सारा श्रेय पुलिस को मिले। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। ये ठाकुर छोटे सिंह गांव घिमसिरी, तहसील फतिहाबाद, के रहने वाले हैं और इन्होंने बड़ी बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया था।

दूसरी बात हमारे यहां के एस० एस० पी० साहब ने अपनी एक इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट में बतलायी है कि किस तरह से डकैती करना लोग सीखते हैं। वहां पर डोंगरा डाकू मारा गया था।

वह डाकू क्यों हुआ, यह भी उन्होंने बतलाया है। वह पहले डाकू नहीं था। उसका वहां पर पहले एक औरत से नाजायज सम्बन्ध था। इससे पहले उस औरत का सम्बन्ध, जिसका नाम शायद माया देवी है, फतिहाबाद की पुलिस के अधिकारियों से था। वहीं से डाकू का परिचय उन पुलिस वालों से हुआ, डाकू की रंजिश बढ़ी पुलिस वालों से। इस बात की जानकारी मुझे राजनैतिक सामाजिक, कार्यकर्त्ताओ से हुई। जब एक छोटे पुलिस अधिकारी के यह बात इन्वेस्टीगेशन करने पर साबित हुई तो उसकी सर्विस एस० एस० पी० ने टरमिनेट कर दी थी। जब पुलिस के लोग ऐसा बढ़िया काम करते हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा ? इसके अलावा भी पुलिस जानबूझकर संगीन आरोप लगाती है। जो शरीफ आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं और गांव में अच्छे समझे जाते हैं उनको गलत मुकदमों में फांस लिया जाता है। फिरोजाबाद तहसील में एक टाइपिस्ट बैठता है जिसका नाम प्रेम अनामी है। वहां के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे सब इससे सम्बन्धित हैं। यह सब से सांठ-गांठ रखता है। वह टाइप का काम जो करता है पुलिस अफसरों से पैसा भी नहीं लेता है। वह आमतौर पर सी० ओ० साहब की गाड़ी में घूमा करता है। वह ऐसा आदमी है कि लोगों से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से मिलकर रिश्वत दिलवाता है। लोग समझते हैं कि पुलिस के साथ घूमता है। कुछ जिम्मेदार आदमी होगा। वह तरह तरह के आरोप लगवा कर झूठे मुकदमें चलवाता है। रिश्वत के मामले में वह सैटिलमेंट आफिसर का काम भी करता है। बीच में उसका काम सिद्ध हो जाता है। इधर से भी कुछ खाता है और उधर से भी खाता है। पुलिस कर्मचारियों की इधर उधर से भी बहुत आमदनी होती है। सरकार से तनख्वाह अलग पाता है। उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह यह आपका पुलिस प्रशासन चल रहा है जिसको माननीय मुख्य मन्त्री जी को रोकना चाहिये।

श्रीमन्, तहसील फतिहाबाद के थाने, अथवा समसाबाद व निभौर के थाने, में पुलिस के दलालों की बड़ी संख्या रहती है। वह अमूमन ७५ परसेंट संगीन से संगीन केसों की भारी रकम लेकर तय करा देते हैं। इन थानों में हरिजन व पिछड़े लोगों की दशा सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा बुरी तरह खराब की जा रही है पुलिस वाले किसी जुल्म करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं। डूंगरा डाकू के मारे जाने के उपरान्त भी उसकी बिरादरी (मल्लाह) जाति के लोगों की निब्होरा थाने के अधिकारी मारपीट व तंग कर रहे है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं यह हजरतगंज थाने की कहना चाहता हूं। इस थाने के अन्दर ६ फ्लेट हैं जो सब-इन्सपेक्टरों के लिये बनाये गये हैं। उनमें ४ सब-इन्सपेक्टरों ने ४ फ्लैट पर अधिकार किया हुआ है और वे रहते हैं। जो २ फ्लैट रह गये उनमें एस० ओ० साहब रहते हैं और यह बहुत दिनों से रहते हैं। तो मेरी सरकार से यह मांग है कि जो २ फ्लैट में एस० ओ० साहब रहते हैं उनसे उसी हिसाब से रुपया वसूल किया जाय जिस हिसाब से आप ३० रुपया माहवार सब-इन्सपेक्टर को हाउस अलाउन्स देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब से वह एस० ओ० उन फ्लैट में रहते हैं जो सब-इन्सपेक्टर के लिये है, तब सें ३० रुपया माहवार उनसे चार्ज किया जाय। लेकिन एक एस० ओ० दो क्वार्टर्स मे रहते हैं जो कि उनका अधिकार नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनसे ३० रुपया माहवार वसूल किया जाय, क्योंकि वह सरकार की इमारत है।

दूसरे पुलिस के दलाल लोगों को काफी परेशान करते हैं। वे चीटिंग केसेज चलाते हैं। पहले से तय कर लिया जाता है और इत्तला भेज दी जाती है कि फलां आदमी पर कलकत्ते में मुकदमा चला दिया जाय। और यहां सब तय रहता है कि इन्फारमेंशन आते ही उसको गिरफ्तार कर के कलकत्ता भेज दिया जायगा। इस तरह से वह बेचारा गरीब परेशान किया जाता है और लूटा जाता है। अगर इसी तरह सें पुलिस का प्रशासन चलता रहा तो उससे प्रदेश बदनाम

[श्री बनवारीलाल विप्र]
होगा, सरकार बदनाम होगी और कांग्रेस बदनाम होगी। समाजवाद की तरफ चलने के लिये, उसे सफल बनाने के लिये, हमें पुलिस के प्रशासन को सुधारना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---
अब गोविन्द सहाय जी ५ मिनट बोलेंगे। उनके बाद मैं प्रस्ताव लूंगा।

(व्यवधान)

तो ठीक है। प्रस्ताव मैं पहले ले लेता हूं।

(श्री गोविन्द सहाय ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटा बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री उग्रसेन---
श्रीमन्, यह सदन की परम्परा रही है कि जब कम से कम पुलिस का बजट, जोकि इतना महत्वपूर्ण है, प्रस्तुत किया जाय, तो सदन का समय बढ़ाया जाता है। यह सरकार संख्यासुर की सरकार है। इस पद्धति के विरोध में हम सभी विरोधी पक्ष वाले बहिर्गमन करते हैं और इसका सख्त से सख्त विरोध करते हैं।

(घंटी बंद होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि 'सदन का समय १ घंटा बढ़ाया जाय।'

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---७२,

विपक्ष में---१४५।

(इसके बाद समाजवादी दल के सदस्य तथा जन संघ के सदस्य, श्री शारदाभक्तसिंह को छोड़कर, सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---
माननीय शारदाभक्तसिंह, जवाब दीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

एक सदस्य---
श्रीमन्, आपने तो माननीय गोविन्द सहाय जी को बुलाया था, अब माननीय शारदा भक्त सिंह जी कैसे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
मैंने पहले तो उन्हें बुलाया था, परन्तु वह बैठ गये हैं, तो मैंने अब माननीय शारदाभक्तसिंह जी को बुलाया है।

श्री शारदाभक्तसिंह---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष की ओर से सारे विचारों को सुनता रहा। माननीय नवल किशोर जी ने एक बात यह कही, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, कि जहां तक अपराधों की वृद्धि का सवाल है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है

कि हम रिपोर्ट की रिकार्डिंग ठीक कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कई सालों से यह इन्तजाम कर रखा है और यह आदेश जारी कर रखे हैं कि.....

(व्यवधान)

एक सदस्य --

श्रीमन्, व्यवस्था चाहता हूं कि विभाजन का नतीजा नहीं सुनाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह सुना दिया गया है।

*श्री शारदाभक्तसिंह --

आप देखें कि जो रिकार्डिंग ५९, ६०, ६१ में हुई है, अगर पिछले सालों में रिकार्डिंग ठीक हुई है तो यह कहना चाहता हूं कि पिछले ३ सालों में आपके आदेशानुसार ठीक-ठीक अभियोग नहीं लिखे गये हैं। अगर आदेश का पालन किया जाता है, तो अपराध ५९, ६० में बढ़े हैं, ६१ में बढ़े हैं। तो हर साल यह नहीं हो सकता है कि अभियोग इसलिये बढ़े हैं कि आपकी रिकार्डिंग सही है। दूसरा प्रश्न जो कि बड़ा व्यावहारिक है, वह यह है कि डकैतियों की रिकार्डिंग ठीक नहीं हुई है। लेकिन जहां तक मर्डर्स का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि अधिकतर मर्डर्स को लिखा गया है। पकड़ा जा सकता है, ३०४ हो सकता है, लेकिन आदमी मारा गया हो, तो यह कहना सत्य से परे होगा कि थानों में मर्डर्स लिखे नहीं गये, यह बात कहां तक उचित होगी कहना कि वह लिखे जाते हैं। इसलिये यह कहना व्यावहारिक नहीं है कि थाने में या मौके पर जो मर गया, उसकी रिपोर्ट नहीं होती। आप देखें कि १९५९ में हत्यायों की संख्या १६९४ और १९६१ में २२०१ थी। तो जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आपका तर्क है कि हर साल और मैं समझता हूं कि अनन्तकाल तक यह तर्क चलता जायगा कि अभियोग इसलिये बढ़ते हैं कि रिकार्डिंग हो जाती है, यह बात सही नहीं है।

दूसरी बात जो मैंने निवेदन की थी वह थी डायरी के सम्बन्ध में। नवल किशोर जी ने कहा उन्होंने सरप्राइज विजिट करके देखी और वह खुली नहीं थी। मेरा मतलब स्पेशल डायरी कि जनरल डायरी से था--रोजनामचा खास। जब किसी अभियोग की रिपोर्ट होती है और उसका अनुसंधान प्रारम्भ होता है तो १७२ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह निश्चित है कि रोज की रोज जितनी कार्यवाही उस अनुसंधान में की जाय उसकी एक कापी अधीक्षक के पास भेज दी जाय। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ९० फीसदी रोज की रोज डायरीज अधीक्षक के पास नहीं जा रही हैं और वह ढिलाई कर रहे हैं, ताकि जब तक पूरा नक्शा बन जाय तो दारोगा को एक मौका वह देते हैं कि एक दिन बैठ कर सब पिछली डायरीज लिख दी जाँय। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर अनुसंधान ठीक किया गया तो उस नित्य के कार्य से आपको ठीक रास्ते पर चलना होगा वरना डायरी से पता चल जाता है कि कितना काम किस तरह हो रहा है। कानून इसमें ढिलाई नहीं हो सकती अगर सुपरिन्टेंडेंट चाहें। लेकिन यह उसकी जानकारी में होता है और वह पिछली तारीख डाल देते हैं। इसमें नान-गजटेड आफिसर्स की कोई गलती नहीं है। एक जिला आफिसर जिसके ऊपर सारी जिम्मेंदारी है, वह खुद मौका देता है दारोगा को और जब दारोगा पूरा नक्शा बना कर पेश करता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिये पुलिस आयोग के ८२ पेज पर प्रतिवेदन में लिखा है, "अनुसंधान अधिकारी से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७२ के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिन प्रति दिन एक दैनिकी में अपने द्वारा की गयी जांच से सम्बन्धित कार्यवाहियों के प्रतिवेदनों को अभिलेखबद्ध करे। पुलिस विनियमों के पैरा १०९ में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त दैनिकी पुलिस अधीक्षक को उस दिन अवश्य भेजी जाय जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्त सिंह]

दिन उसमें कोई कार्यवाहियां अभिलेखबद्ध की जायं। हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि बहुत कम ऐसा होता है कि अनुसंधान अधिकारी नित्य प्रति अपनी दैनिकियां लिखते हों और वे सामान्यतया उस समय लिखी जाती हैं जब कि यह स्पष्ट हो जाता है कि जांच का कार्य किस आधार पर आरम्भ किया जाता है। इस कार्य-प्रणाली के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन होता है और इसे तुरन्त रोक देना चाहिये। तो इसमें कोई खर्च का सवाल नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो फौजदारी के मुकदमों से सम्बन्ध रखता है और आधे से ज्यादा मुकदमों में जो दारोगा या सब-इन्सपेक्टर हैं उसे मौका मिलता है कि गलत आदमियों को गवाह बनाकर गलत मुकदमा तैयार कर दे। तो इस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक कदम इस सम्बन्ध में उठाये जायं।

आपने कहा कि कम्पलेन्ट आफिसर के सम्बन्ध में हमने एक रेंज में एक डी० एस० पी० कर दिया है। मैं समझता हूं कि कम्पलेंट आफिसर की नियुक्ति केवल इसलिये की गयी थी कि तुरन्त कार्यवाही हो सके और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर जाकर केस की जांच कर सके। तो जब एक पूरे रेंज में एक डी० एस० पी० है और १० परसेंट में शिकायत है कि वह शिकायत नहीं भेजी जाती है तो उससे मतलब पूरा नहीं होता। विरोधी दल की तरफ से कभी यह नहीं कहा गया था कि कम्पलेन्ट आफिसर की नियुक्ति जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवश्यक कदम उठाया गया था उसको खत्म कर देना चाहिये और यह जो एक काम किया गया है, मैं समझता हूं कि जो बात पिछले समय में प्रारम्भ की गयी थी और जिससे लाभ हो रहा था, लोगों को साहस हो रहा था कि उनके पास जाकर अपनी बातें कह सकें और वह बराबर कार्य कर रहे थे, उस स्कीम को मैं नहीं समझता कि क्यों खत्म कर दिया गया। पुलिस आयोग ने एक सुधार करने की बात कही थी कि उसका स्थान अधीक्षक के अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये और यह कहा था कि यह हम इसलिये चाहते हैं कि अगर वह स्थानीय सुपरिन्टेंडेंट के मातहत रहता है तो लोग साहस के साथ निडर हो कर अपनी गवाही नहीं दे सकते। और यह आयोग का कथन है कि जो शिकायत पुलिस आफिसर के खिलाफ की जाती है अगर उसकी जांच पुलिस का ही आफिसर करता है तो जो जांच होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। नवल किशोर जी ने कहा कि हम उनसे अविश्वास नहीं रख सकते। पुलिस आयोग ने इस बात को माना है कि पुलिस आफिसर चूंकि स्थानीय पुलिस आफिसर के मातहत होते हैं इसलिये वे उचित जांच नहीं कर पाते। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको स्थानीय पुलिस अधीक्षक के अधीन न रखा जाय। अगर सब-इन्सपेक्टर ग्रेड के किसी पुलिस आफिसर के खिलाफ शिकायत हो तो उसकी जांच किसी कम्पलेंट आफिसर द्वारा होनी चाहिये या ऐसे आफिसर द्वारा होनी चाहिये जो पुलिस के अधीन न हो, या इसके लिये आप अलग से कोई एजेन्सी क्रीएट कीजिये।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो यह कहा कि संकट कालीन स्थिति में हमें कुछ और खर्चा करना होगा, उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी, और उनको कुछ साधन तथा सुविधायें प्रदान करनी होंगी, इस सब के लिये हम लोग सहमत होंगे। आप संकट कालीन स्थिति में, आन्तरिक सुरक्षा के लिये जो भी वृद्धि करेंगे, हम उसके लिये तैयार हैं क्योंकि जहां भी देश का सवाल है हम उसके साथ हैं, अगर उनको आप अधिक साधन देना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपके साथ हैं। लेकिन जहां आप यह सहायता दे रहे हैं, वहा आप उन पर कड़ी नजर भी रखें और अगर कड़ी नजर नहीं रखेंगे तो यह सारे साधन बेकार चले जायेंगे।

मैं जो नया नक्शा देख रहा हूं आज वह यह है कि कांग्रेस के द्वारा उन तत्वों को बराबर बढ़ावा दिया जा रहा है जो कम्युनिस्ट चीन के समर्थक हैं। उन तत्वों को बढ़ावा देकर इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि प्रदेश के जो कम्युनिस्ट हैं वे यह कह सकें कि कांग्रेस और हमारी नीति एक ही है। आज यह कुप्रचार पैदा हो रहा है। मैंने यह बात सुनी है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुक रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनता के मनोबल को बढ़ाना होगा और कम्युनिस्ट चीन तथा उनके सहयोगियों से यह कहना होगा कि

हम उनकी नीति के हर कदम पर विरोधी हैं। आपके कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं, जो एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक सी भाषा बोल रहे हैं और एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और इसको कड़ाई के साथ खत्म करना होगा। प्रदेश की सुरक्षा का कार्य माननीय मुख्य मन्त्री के हाथ में जब आया है तो उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इस ओर जागरूक रहें और जो आज नया खतरा पैदा हो रहा है, कम्युनिस्टों को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका मार्ग दर्शन किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शारदा भक्त सिंह का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपने दूसरे साथियों का साथ न देकर गलत परम्परा का अनुकरण नहीं किया और वह सदन में बने रहे और सदन में रह कर उन्होंने अपने विचारों को सदन में रखने की चेष्टा की। मैं उनके प्रति इस कार्य के लिये अभार प्रकट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं दो शब्द कहने के लिये खड़ा होऊं तो विरोध के साथी मेरी बातों को भी सुनने की कृपा करें। खैर, वे चले गये, यह दुर्भाग्य की बात है।

कई प्रश्न उठाये गये थे। उनका उत्तर तो उपमन्त्री जी ने दे दिया। मैं उन सुझावों के लिये अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं जो कि कई दिशाओं से इस सदन में आये। कुछ आलोचनायें हुईं। जिन्हे करने का उन्हे अधिकार था परन्तु जो आलोचनायें व्यक्तियों के विषय में हुईं और जिनकी जानकारी मुझे तो अभी उपलब्ध नहीं है, तो जब तक मैं उन जानकारी को प्राप्त न कर लूं तब तक कोई उत्तर नहीं दे सकता। इसलिये यह गलत परम्परा है कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित न हो, जवाब न दे सके, जिसके विषय में जानकारी नहीं है, उसके कांडक्ट को हम इस सदन में अपने भाषणों द्वारा प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। खैर, वह हुआ। मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो ऐसा मानते है कि पुलिस में सारा सुधार हो गया है, पुलिस में जो थाड़े-बहुत अवांछनीय तत्व हैं वे साले निकल गये। प्रारम्भ में ही मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया था और इस अवसर पर भी इसे स्वीकार करने के लिये उद्यत हूं, परन्तु जो उत्तरदायित्व पुलिस ढो रही है वह दिक्कत में डालने वाला है और मेरा ऐसा अनुभव है और वह एक ऐसे व्यक्ति के नाते है जो सार्वजनिक जीवन में जब रहा पुलिस का आलोचक रहा और जब उसके कंधों पर उत्तरदायित्व सरकार को चलाने का आया उसने पुलिस की कार्यवाहियों को जागृत होकर देखा, सोते हुये नहीं देखा। जहां जहां उन कर्मचारियों के बारे में जो उचित कार्यवाही होनी चाहिये उसके करने की चेष्टा की। कहीं-कहीं उसमें भल हो सकती हैं और जैसा मैंने कहा था, कभी-कभी ऐसे अवसर आते है जब रूल आफ ला हमारे सामने रहता है गौर उसके अन्तर्गत ही हम कार्य करते हैं।

दो बातों की ओर जिनका उत्तर उपमन्त्री जी ने नहीं दिया, मेरा ध्यान आमन्त्रित किया गया; एक तो लखनऊ में हो रही नुमाइश की तरफ और एक भाई जलील ने देवबन्द की दारुलउलूम की ओर। दारूलउलम अवश्य ऐसी संस्था है जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और जिसने विचारों की दुनियां में ऐसे नेताओं को दिया है जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना हमारे मुल्क में पैदा की और इस देश में काफी लोगों का नेतृत्व भी करते रहे। परन्तु जब से पाकिस्तान बना है और जबसे हमारे और उसके बीच में तफर्का शुरू हुआ है, तब से समय-समय पर प्रदेश की सरकार के पास और केन्द्र की सरकार के पास भी ऐसी सूचनायें रहती हैं कि उसमें दाखले के लिये पाकिस्तानी नेशनल आते हैं और अपना आसाम और बंगाल का गलत पता देकर वहां शामिल हो जाते हैं। कई बार इस विषय में इन्क्वायरी इत्यादि हुई है और इसलिये वहां लोकल इंटेलीजेंन्स के आदमी भी समय-समय पर जाते रहते हैं और उनके द्वारा खबर उपलब्ध करने की चेष्टा रहती है। पाकिस्तान की नीतियों के तहत में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सजग रहें और इसलिये हमें और केन्द्रीय सरकार को वहां की खबरें जानने का प्रयत्न करना पड़ता है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस समय जो घटना हुई उसका संबंध कोई प्रदेश की सरकार से नहीं है । उसका संबंध एन्फोर्समेंट ब्रांच, जो फायनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उससे है । अब उनके पास कुछ सूचनायें उन्हें मिली होंगी और वहां जो फारेन रेगुलेशंस एक्सचेंज के हैं कि उनके खिलाफ वहां रुपया लिया जाता है; तो अब उसकी जांच हुई और अभी तो इस जांच की रिपोर्ट पूरी पूरी नहीं आयी है परन्तु केन्द्रीय सरकार और उसके एन्फोर्समेंट ब्रांच ने अपनी इन्फार्मेशन के आधार पर वहां तलाशी ली, तो यह दुर्भाग्य की बात है परन्तु मैं अपने साथियों से, जिन्होंने इस विषय को सदन में छेड़ा, पूछना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान ने जो रुख इस देश के प्रति अख्तियार किया है तब पाकिस्तान के नेशनल धोखा देकर विद्यार्थी के नाते अपना नाम वहां लिखावें और उसकी जानकारी केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार को हो तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि चाहे वह कितनी बड़ी महत्व की संस्था क्यों न हो जो सुरक्षा के लिये जानकारियां प्राप्त करना जरूरी है वह प्राप्त की जावें ? जो कोई संस्था या कोई व्यक्ति, यदि देश की सुरक्षा उसके जरिये से खतरे में पड़ती है तो चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह कितना ही बड़ा विचारक क्यों न हो और चाहे उसने देश की आजादी की लड़ाई में कितना ही बड़ा हिस्सा क्यों न लिया हो, हमें उस पर कड़ी निगाह रखनी पड़ती है, हमें उसकी जांच करानी पड़ती है । यहां भी सदन में कई साथी हैं वह सब जानते हैं कि वे हमारी उस कड़ी दृष्टि से बचे हुये नहीं हैं लेकिन उसके यह माने नहीं हैं कि जब तक हमें किसी के बारे में यह जानकारी प्राप्त है कि वह हमारे उद्देश्यों में सहायक बननेवाला है, हमें सहायता देने वाला है, हमारी नीतियों का समर्थन करनेवाला है तो हम इतने अबुद्धिमान नहीं हैं कि हम ख्वाहमख्वाह उसको अपना विरोधी बनावें ।

जनसंघ बराबर इस बात की चर्चा करता है कि यह जो कम्यूनिस्ट हैं वे राष्ट्रद्रोही हैं और उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है । आज यदि जनसंघ के साथी जो कुछ तवारीख में गुजर रहा है उसका अध्ययन अच्छी तरह कर रहे होंगे तो फिर क्या वे इस बात का अनुभव नहीं कर सकते है कि यहां का कम्यूनिस्ट यदि आज अपने दिमाग के कुलाबों को खोलकर, सब जगह से प्रस्ताव लाकर इस बात को कहने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करने लगा है कि वह पड़ोसी चीन की नीतियों का विरोध करे और जो नीति वह आज बरत रहा है उसके विरुद्ध आवाज लगावे तो फिर ख्वाहमख्वाह ही यह क्या दूरदर्शिता या बुद्धिमानी है कि उसको उस चीन के कैम्प में फेंक दिया जाय ? यह बड़ा भारी प्रश्न है । मैं न तो कम्यूनिस्ट और न उसकी नीतियों का समर्थक हूं । मैं उनकी नीतियों का कट्टर विरोधी हूं क्योंकि उनके तौर तरीकों में मुझे यकीन नहीं है । मैं उनका विरोधी हूं लेकिन आज जब सारी कम्यूनिस्ट दुनिया का गुरु रूस चीन के विरुद्ध बातें करने लगा, उसकी आइडियालाजी के विरुद्ध बातें करने लगा तो बुद्धिमानी इसमें है कि चीन और रूस मिलने न पावें और इनमें हमेशा खाई पड़ी रहे । मिसाल के तौर पर मेरे कम्यूनिस्ट मित्र मुझे मुआफ करेंगे कि अगर २ मूजियों में लड़ाई हो तो कोशिश तो इस बात की होनी चाहिये कि वह लड़ाई जारी रहे क्योंकि यह दोनों ऐसे ताकतवर मुल्क दुनिया में न बन जाय जो दुनिया के ऊपर हावी होने की चेष्टा करें । आज हम गणतंत्र में विश्वास करने वाले यह चाहते हैं कि आज यह कम्यूनिस्ट अधिनायकवादी मुल्कों का प्रभुत्व दुनिया के अन्दर न फैले, तब जब वह आज दिमाग बदल रहा है और यह भी कहने लगा है कि वह कैपिटलिस्टों की भी अच्छी बातों को लेने के लिये तैयार है और यह समझता है कि सहअस्तित्व होना चाहिये और पंचशील भी होना चाहिये, तो क्या यह बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है कि रोजमर्रा यहां यह चिल्लाहट मचावें कि ये कम्यूनिस्ट तो देशद्रोही है, यह तो ऐसे हैं कि इनकी बात का यकीन न किया जाय ? तो हम ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं हैं । हमने भी राजनीति का अध्ययन किया है और हमारे जिन साथियों ने गीता का अध्ययन किया है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति में राजनीतिक ढंग से किसी विषय को करने का जब समय आता है तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिये । यह हमने सीख रखा है कि राजनीति को अपने सामने रख कर ही कोई काम राजनीतिक ढंग से करना चाहिये । हमारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कम्यूनिस्ट नहीं हैं, वे कम्यूनिस्ट तौर तरीकों को मानने वाले नहीं हैं, परन्तु आज वे इसमें बुद्धिमत्ता

समझते हैं कि जब दुनिया के दो बड़े-बड़े राष्ट्र सामने आकर खड़े हैं तो आज संसार को लड़ाई से बचाया जाय। आज की लड़ाई में मानवता का विध्वंस हो सकता है, और जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो जो रोज आलोचना करते हैं और समझते हैं कि वे बड़े देश प्रेमी हैं, वे अपने दिमाग के कुलाबे को क्यों नहीं खोलने की चेष्टा करते हैं ? आखिर यह कौन सा तौर तरीका है कि नये नये नवयुवक जो सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं उनको किन बातों के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको किन बातों को सिखा रहे हैं ? मुझे बहुत दुख है कि आपने अपने भाषण में कहा कि पंडित केशव देव मालवीय के कहने से मैंने अपनी नीति बदली । यह नितांत झूठ और गलत बात है । इस संबंध में पंडित केशव देव मालवीय से मेरी कोई चर्चा नहीं हुई । मैं इस प्रदेश का गृह मंत्री हूं, इस प्रदेश में ला ऐंड आर्डर कायम रखने का उत्तरदायित्व मेरा है और इस संबंध में जो कुछ फैसला है वह मेरा है ।

जहां तक एक्जीबीशन की बात है, दुर्भाग्य से जिस दिन यह बात मेरे सामने पेश की गयी, उस समय कुछ कानूनी अड़चनें मेरे सामने पेश कर दी गयीं, वरना मैं इसकी कभी इजाजत नहीं देता । मैं ऐसा मानता हूं कि जिन लोगों ने यह औद्योगिक नुमायश रची है उन्होंने इस देश और प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को धक्का पहुंचाया है । साथ ही उस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को भी धक्का पहुंचाया है जिनका नाम लेकर वह नुमायश रची गयी है । राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और जनसंघ वालों का क्या संबंध ? टंडन जी ने सारा जीवन साम्प्रदायिकता के विरोध में व्यतीत किया और उन आदर्शों के लिये व्यतीत किया जिसकी बुनियाद पर एक नया राष्ट्र हमारे बीच में चमका, उठा और आज जिन लोगों ने यह पुरुषोत्तम दास टंडन सोसाइटी बनायी है, वे कौन लोग हैं ? १०–११ आदमी जो सोसाइटी बना कर और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को अपना नेता मान कर उनका स्मारक बनाने की बात करते हैं, आखिर उनके भी तो अपने बहुत से नेता हैं जो मर गये हैं, उनकी यादगार वे क्यों नहीं बनवाते ? टंडन जी का नाम लेकर वे जनता को धोखा दे रहे हैं, और उनकी स्मृति को धोखा दे रहे हैं। ११ व्यक्तियों की जो एक्जीक्यूटिव समिति बनी है उसमें वे ही व्यवसायी लोग हैं जिन्होंने जनता के खून को चूसा है, और वे आज त्यागमूर्ति टंडन जी का नाम लेकर जनता को बहकाने की चेष्टा कर रहे हैं । मुझे तो बाद में अधिकारियों से पता लगा कि किस तरह की नुमायश यहां रची जा रही है। यदि मुझे पहले पता होता कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम से इस तरह की नुमायश होने जा रही है, तो मैं इसकी कभी इजाजत नहीं देता कि इस तरह की धोखेबाजी की जाय । यह तो एक तरह से गलत तरीके से जनता को बहकाने की बात हुई । राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से उन व्यक्तियों का कोई संबंध नहीं है जो इसके संचालक बने हुए हैं जो कि औद्योगिक प्रदर्शनी रच रहे हैं या 'मां की पुकार' की प्रदर्शनी रच रहे हैं। यदि वह सही औद्योगिक प्रदर्शनी रचें तो मैं इस का भी विरोधी हूं । जो भी ऐसे लोग हैं जो जनता को धोखा देकर ऐसे काम करना चाहते हैं वह सार्वजनिक जीवन के आदर्शों, परम्पराओं, और मान्यताओं को खत्म करना चाहते हैं । उन्होंने सार्वजनिक जीवन के आदर्शों को अभी सीखा नहीं है ।मैंने उन लोगों को बता दिया है कि आपने बहुत बड़ी गलत बात की है, अनुचित बात की है और वह बात की है कि जिसको मैं निन्दनीय तक कह सकता हूं । मैंने वह प्रदर्शनी नहीं देखी । मैंने अभी परसों ही पहली बार प्रदर्शनी देखी। उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि जिस मनोबल को वह बढ़ाने की बात करते हैं उसको वह गिराने वाली हैं । जनता से आप चाहते हैं कि उसका मनोबल बढ़े तो क्या यही उनका तरीका उसको बढ़ाने का है ? आप यह मानकर चलते हैं कि कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट है और उसके नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। वह सारे देश का नेतृत्व सचमुच में कर रहे हैं और आज जब वह इस देश के जन विचार का नेतृत्व कर रहे हैं तो वह इस देश के ही नहीं वरन अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया की नेशन्स का और सारी दुनिया के राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे हैं । ऐसी दशा में क्या आपका कर्तव्य है कि आप जनता के मनोबल को गिरायें और ऐसी चेष्टा करें ? यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया, हमने भूल भी की, हम तैयार भी नहीं हुये लेकिन मैं कहता हूं कि हम चीनियों को भगाना चाहते हैं और लड़ते हैं, तो क्या यही ढंग है आप के व्यवहार का ? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जो प्रदर्शनी यह रची

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गई, जिन्होंने उसको नाम दिया, जिस संस्था को जनसंघियों ने कायम किया है, यदि हमें कानून इजाजत देता तो हम अवश्य ही उसके खिलाफ कोर्ट में जाते और कहते कि यह व्यक्ति उस महापुरुष की स्मृति को धक्का पहुंचा रहे हैं और उसको गिराने की चेष्टा कर रहे हैं और उन्हें ऐसे काम में घसीटने की चेष्टा कर रहे हैं जिनको जिन्दगीभर उन्होंने कभी मान्यता नहीं दी, जो सदा ही ऊंचे आदर्श की ओर गये। मैंने इस विषय में कम्युनिस्ट नेता डाक्टर अहमद साहब से भी कहा है कि वह नेहरू जी की चर्चा ज्यादा न किया करें, वह खुद ही संभल सकते हैं, औरों को भी सम्भाल सकते हैं। आप जब उन की अधिक बात करते हैं तो लोगों में शक पैदा हो जाता है। आखिर आप की बातों से ऐसा ही असर होता तो उन्हीं के आदेशों से क्यों हमने उनके साथियों को यहां और दूसरे प्रदेशों में बन्द कर रखा है ? इसीलिये कि आप के कुछ साथियों पर उनका पूरा विश्वास नहीं है। तो आप जो 'अल्लाह' पुकारते हैं या और जो एक दो साथी उनका ही नाम अधिक लेते हैं, वे नेहरू जी की क्या बात कहते हैं, उनमें ताकत है, उनमें शक्ति है, वह इस सारी चुनी हुई मंडली को बल देते हैं, उन्हीं के बल पर यह सब चुन कर आते हैं, उनकी चर्चा बार बार किया करते हैं, उनकी चर्चा बहुत न की जाय तो अच्छा है, उनका जो संबंध है उसे बहुत कड़वा न बनाये। बार-बार नेहरू जी का नाम लेकर उसकी आड़ में बहुत-सी अपनी बातें करना चाहते हैं। यह सही नहीं है कि इस सदन के सदस्य नेहरू जी का नाम लेकर जो बातें रोज करते हैं वह नेहरू जी के साथ अन्याय करते हैं। सारे राष्ट्र का बल उसके साथ है। सारे राष्ट्र की शक्ति उनके साथ है। वह किसी के मोहताज नहीं हैं। यह जो दो विषय उठाये गये थे उनका तो यह उत्तर हुआ।

अब पुलिस के विषय में, जैसा कि मैंने कल भी अपने साथियों के बीच में कहा था, शिकायत है कि वह सम्पर्क जनता और पुलिस के बीच में नहीं है जो होना चाहिये। इस विषय में मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आदेश जारी किये जायेंगे क्योंकि सदन में हमारे साथियों ने इस विषय में काफी चर्चा की है। मैं तो ऐसे लोगों को जो गांव में पैदा हो गये हैं बैरिस्टर ही कहता था लेकिन उनको यहां गुन्डा तक कहा गया है जो आज हमारे सार्वजनिक जीवन में घुस गये हैं। गांव में शहर में हर जगह वह एक नयी कौम कायम हो गयी है जो पुलिस से मिलकर अपना उल्लू सीधा करती है और पुलिस वाले जो बेईमान हैं उनको उल्लू सीधा कराते हैं। इस विषय पर हम चिन्तन करें जिससे बैरिस्टर या दलाल हमारे जन जीवन से खत्म हो। उसमें प्रत्येक के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। मैं पुलिस अधिकारियों की ओर से भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे इन सुझावों के अन्तर्गत कार्य वे कर सकेंगे और उन सुझावों को पूरा करने के सिलसिले में वे आगे बढ़ेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान के लिये प्रार्थना करता हूं कि सदन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--पुलिस के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १४--पुलिस के अन्तर्गत १२,९१,३५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२० मार्च, १९६३ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ७९४ पर]

सूची

जिला खीरी के मोहमदी तथा पसगवां ब्लाकों में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में हरिजनों को (विमुक्त जाति सहित) विविध मदों में स्वीकृत किये गये अनुदानों का विवरण।

नाम मद	स्वीकृत किये गये अनुदानों की धनराशियां			
	मोहमदी ब्लाक		पसगवां ब्लाक	
	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६१-६२	१९६२-६३
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
१—गृह निर्माण ..	..	३,७५०	३,७५०	..
२—कूप निर्माण ..	..	२,०००	१,०००	१,०००
३—कुटीर उद्योग ..	..	४,२००	६००	९००
४—कृषि उत्थान ..	..	१,४४०	१,०८०	..
५—लघु सिंचाई योजना ..	१,०००	१,५००	१,०००	१,०००
६—कार्य स्थल हेतु भूमि क्रय ..	..	१,५००	..	१,०००
७—छात्रावास के भवन निर्माण ..	..	..	१०,०००	..
८—हरिजन बस्तियों में सफाई की योजनायें ..	.	१,०००	..	..

इस अवधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के धन से भी इन ब्लाकों को निम्न योजनाओं के लिये सहायता स्वीकृत की गई।

	मोहमदी ब्लाक	पसगवां ब्लाक
	रु०	रु०
कूप निर्माण	७२६	१,४५०
गृह निर्माण	३,७५०	७५०

नोट :—विमुक्त जातियों की कतिपय जातियां अनुसूचित जातियों में भी आती हैं।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ७९५ पर]

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	एलोपैथिक अस्पताल	होम्योपैथिक अस्पताल	आयुर्वेदिक औषधालय	यूनानी औषधालय	विशेष टिप्पणी
१	विजयपुर	विजयपुर	..	..	..	..
२	ऐरांवां	..	..	..	..	जिला परिषद् का एलोपैथिक औषधालय खागा में चल रहा है।
३	हाथगांव	हाथगांव ..	..	..	..	
४	बहुआ	१—बहुआ .. २—गाजीपुर	..	शाह	..	
५	असोथर	असोथर ..	..	..	..	
६	भटौरा	भिटौरा ..	..	..	..	
७	हसवा	हसवा ..	..	हसवा	..	
८	तैलियानी	तैलियानी	..	कांधी	..	
९	मलवां	गोपालगंज	..	मलवां	..	
१०	थाता	थाता	..	..	खखरेरू	
११	मरवान देवामाई		..	बरगवां	..	जिला परिषद् का एलोपैथिक चिकित्सालय कोरा जहानाबाद में चल रहा है।
१२	अमौली	१—चांदपुर २—जयमाया	..	..	..	
१३	खजुहा	बिन्दकी ..	..	नरेचा	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ७९९ पर)

त्रिदलीय सम्मेलन के फैसले

(१) सम्मेलन ने औद्योगिक विराम संधि संकल्प में प्रतिपादित नीतियों में अपने विश्वास की अभिपुष्टि की और उनका पूर्णरूप से अनुसमर्थन किया।

(२) अधिक उत्पादन के नाम पर सेवायोजक कर्मचारियों के सेवायोजन की दशाओं में एकतरफा रद्दोबदल नहीं करेंगे।

(३) प्रतिष्ठान के स्तर पर प्रयत्न यही हो कि सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के मध्य विवादों को पारस्परिक बातचीत द्वारा सुलझाया जाये, जिसकी असफलता पर मध्यस्थता की प्रक्रिया, मुख्यतः वियुक्ति, प्रभुवित्त, अनुचित दबाव तथा व्यक्तिगत कर्मचारियों की छटनी से सम्बन्धित विवादों में, अपनाई जाये।

(४) सरकारी व गैरसरकारी प्रतिष्ठानों में मालिक तथा मजदूर दोनों पक्ष अनुशासन संहिता का पूर्णतया पालन करेंगे तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाये रखने का भरसक प्रयास करेंगे।

(५) दोनों ही पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए अनिर्णीत वादों का पुनर्विलोकन करेंगे और जहां तक हो सके उनमें से ज्यादा से ज्यादा वादों को पारस्परिक समझौते हेतु तुरन्त वापिस लें लेंगे।

(६) उद्योगपति बेकार पड़ी हुई मशीनों को चालू करके अधिक से अधिक उत्पादन हेतु उनको प्रयोग में लायेंगे।

(७) आपसी छोटे-मोटे और प्रासंगिक कारण उत्पादन की कार्यक्षमता में बाधक न होने दिये जायेंगे।

(८) सेवायोजक श्रम से सम्बन्धित कानूनों का पूरा पालन करेंगे और सभी समझौतों तथा पंच निर्णयों को शीघ्र कार्यान्वित करेंगे।

(९) डिफेन्स बान्ड्स की खरीदारी में श्रमिक अपने बोनस का कम से कम २५ प्रतिशत लगायेंगे। जहां बोनस की धनराशि २० रु० से कम है इस शर्त से छूट रहेगी।

(१०) सम्मेलन के फैसलों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य स्तर (State level) पर एक उपसमिति (Sub-Committee) बनाई जायेगी जिसका यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को समय-समय पर इस बात में परामर्श दे कि राष्ट्रीय संकट से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये वह क्या कार्यवाही करे। ऐसी त्रिदलीय समितियां प्रादेशिक स्तर पर भी बनाई जायं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

ग्राम कोटवाधाम जिला, बाराबंकी में नियोजन विभाग के रुपये से दिये अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	अनुदान गृहिता का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की प्रगति	विवरण
१	सहकारी सुपरवाइजर ..	कूप जीर्णोधार ..	पूर्ण	
२	सहकारी सुपरवाइजर ..	खड़ंजा निर्माण ..	पूर्ण	
३	सहकारी सुपरवाइजर ..	नाली निर्माण ..	पूर्ण	
४	प्रबन्धक सत्यनाम विद्यापीठ	विद्यालय का एक कमरा के निर्माण हेतु।	अपूर्ण	आशा है कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा।
५	प्रबन्धक सत्यनाम विद्यापीठ	विद्यापीठ भवन ..	अपूर्ण	,,
६	श्रीराम दास लोनिया ..	कूप जीर्णोधार ..	पूर्ण	
७	प्रधान ग्राम पंचायत ..	पंचायतघर ..	अपूर्ण	रुपये की वापसी की कार्यवाही की जा रही है।
८	श्री श्यामसुन्दर तिवारी कोटवाधाम।	नलकूप निर्माण ..	पूर्ण	
९	सरपंच को० सी० कोटवाधाम पशुपालन।	पशुपालन उद्योग ..	केवल सुअर मंगाने का मांग-पत्र भेजा है।	धन डाकखाने में प्लेज (Pledge) है।
१०	श्री दुक्खा पुत्र मैकू ..	गृह-निर्माण ..	..	धन दिया नहीं गया।
११	श्री उमाशंकर पुत्र श्री श्यामसुन्दर तिवारी।	चरही ..	पूर्ण	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२–३३ के उत्तर, पीछे पृष्ठ ८०४–८०५ पर।)

सूची 'क'

विकास क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत भ्रमण के किये गये गांवों के नाम तथा उनकी दूरी की सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम	अनुमानित दूरी (मीलों में)	क्रम-संख्या	गांव का नाम	अनुमानित दूरी (मीलों में)
१	अटरिया	७	२६	सिंहपुर	१
२	हीरपुर	६	२७	कुंवरपुर	१०
३	मऊ	५	२८	दुन्दपुर	११
४	टिकौली	४	२९	रियान कलां	९
५	मुजफ्फरपुर	३	३०	अलामपुर	७
६	मनकापुर	३	३१	दीखनावां	१०
७	महाड़ापुर	११	३२	खिरिया	१०
८	नीलगांव	१०	३३	बहादुरपुर	
९	बांस खेड़ा	९	३४	हीरपुर	७
१०	जगराजपुर	७	३५	धरावन	७
११	छावन	९	३६	नयागांव	१६
१२	छोहरीवान	११	३७	कुंवरपुर	१०
१३	कटसरैया	४	३८	जैपालपुर	१०
१४	कुदरिया	७	३९	अटरिया	७
१५	कुंवरपुर	१०	४०	बहादुरपुर	७
१६	जलपदा	८	४१	नयागांव	११
१७	खलबलवा	४	४२	कल्यानपुर	६
१८	उनई	८	४३	रिवान कलां	९
१९	रामनगर	८	४४	बल्देवनगर	११
२०	हुसेनगंज	१	४५	दुन्दपुर	११
२१	कुंवरपुर	१०	४६	नीलगांव	१०
२२	दुन्दपुर	११	४७	टिकौली	४
२३	अटरिया	७	४८	उमरा	७
२४	गोपालपुर	१	४८	मनकापुर	३
२५	बहादुरपुर	१	५०	गन्धौली	३

क्रम-संख्या	गांव का नाम	अनुमानित दूरी (मिलों में)
५१	अकरैहजा	३
५२	मुकीमपुर	३
५३	पच्छिमगांव	८
५४	सरौरा	५
५५	रामपुर टड़वा	५
५६	आलाजादपुर	१
५७	चन्देरवा	१०
५८	रिवान कलां	९
५९	हीरपुर	६
६०	मऊ	५
६१	मनकापुर	३
६२	सिंहपुर	१
६३	रिवान कलां	९
६४	बांस खेड़ा	९
६५	कुंवरपुर	१०
६६	अकबरपुर रिवान	९
६७	बाड़ी	२
६८	काजी टोला	३
६९	गोपालपुर	१
७०	आलाजादपुर	१
७१	खलबलिया	४
७२	जैपालपुर	१०
७३	कुंवरपुर	१०
७४	बीताभारी	८
७५	अलबदा	८

बुन्देलखण्ड पुरातत्व संग्रहालय

सूची 'ख'

विकास क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख की जीप पर दौरा किये जाने वाले गांवों के नाम एवं दूरी।

क्रम-संख्या	नाम गांव	अनुमानित दूरी विवरण
१	नील गांव	१०
२	छावन	९
३	अलबदा	८
४	कुंवरपुर	१०
५	कुड़िरिया	७
६	मुकीमपुर	३
७	पहाड़ापुर	११
८	हुसैनगंज	१
९	लोहरीवान	११
१०	अकबरपुर	१०
११	अलाईपुर	७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ८०७ पर ।)

OPERATION RECORD

Name..... Ward : VII Bed no. 8-B *Dated* 10-8-1962.

Surgeon : Tara Chandr *Anaesthetist* : Dr. R. P. Badola.

Operation : LAPRATOMY, AND REPAIR OF INCISIONAL HERNIA

Abdomen was opened by a mid line incision (Lower Abd) Moderately adherent omentum.

On exploration it was found that there was an artery forceps imbeded in the pelvis. Handles were buried in the mesentry of the small intestines, and the point was entering the ovary (left). The left ovary was a bag of necrotic material. The shaft was covered with a false sac. There was an abscess round about the handles Artery forceps was dissected free. Oopherectomy done on the left side. Hernia was repaired in layers. Ant. reetus sheath was incised longitudinally. Peritoneum was sutured. The inner run of ant. rectus sheeth sutured. Finally the muscles and ant. Rectus sheaths sutured over it. No Drainage.

Sd. TARA CHAND.

POST OPERATIVE COURSE : Uneventful.

अदुर्ग दुर्गा दिल्ली

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ८१६ पर)

विवरण

१—मुख्य मन्त्री			सभापति
२—श्री गिरधारी लाल ..	..	सार्वजनिक निर्माण मन्त्री	उप-सभापति (१)
३—डा० सीताराम ..	..	आबकारी मन्त्री ..	सदस्य
४—श्री चतुर्भुज शर्मा ..	..	स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री	,,
५—डा० जवाहरलाल रोहतगी	..	मन्त्री समाज कल्याण ..	उप-सभापति (२)
६—श्री रऊफ जाफरी ..	..	सूचना मन्त्री ..	सदस्य
७—श्री रामस्वरूप यादव ..	..	उपमन्त्री ..	,,
८—श्री धर्म सिंह ..	..	उपमन्त्री ..	,,
८अ—श्रीमती प्रकाशवती सूद	..	उपमन्त्री ..	,,
९—श्री गनेशीलाल चौधरी	..	सभा सचिव ..	,,
१०—विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..		,,
११—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	..		,,
१२—उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..		,,
१३—निदेशक, पंचायत राज्य, उत्तर प्रदेश	..		,,
१४—कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..		,,
१५—पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	..		,,
१६—रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग	..		,,
१७—श्री नरदेव स्नातक ..	..	संसद् सदस्य	,,
१८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि	..	,,	,,
१९—स्वामी रामानन्द शास्त्री	..	,,	,,
२०—श्री नरायन दीन ..	..	,,	,,
२१—श्री सुन्दरलाल ..	..	,,	,,
२२—श्री शंकर सरन ..	..	,,	,,
२३—श्री गोकुल प्रसाद ..	..	सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद	,,
२४—श्री मुरलीधर कुरील ..	..	,, कानपुर	,,
२५—श्री नारयन दास ..	..	,, फैजाबाद	,,
२६—श्री रामेश्वर प्रसाद ..	..	,, रायबरेली	,,
२७—श्री वीरसेन ..	..	,, मेरठ	,,
२८—श्री रामसूरत प्रसाद ..	..	,, गोरखपुर	,,
२९—श्री छत्रपति अम्बेश ..	..	,, आगरा	,,

३०--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि	..	सद० वि० सभा	हरदोई	सदस्य
३१--श्री राम प्रसाद देशमुख	..	,,	अलीगढ़	,,
३२--श्री हरी सिंह	..	,,	मेरठ	,,
३३--श्री सुक्खन लाल	..	,,	मुरादाबाद	,,
३४--श्री बाबूलाल कुशमेश	..	,,	बाराबंकी	,,
३५--श्रीमती सिया दुलारी	..	,,	बांदा	,,
३६--सैयद अहमद अन्सारी	..	,,	सहारनपुर	,,
३७--डा० विश्म्भर सिंह	..	,,	मेरठ	,,
३८--श्री विशाल सिंह	..	,,	बाराबंकी	,,
३८अ--श्री निजामुद्दीन	..	एम०एल०सी०	इलाहाबाद	,,
३९--श्री हमीर सिंह	..	,,	मैनपुरी	,,
४०--श्री राम किशन,	..	एम० एल० ए०	मिर्जापुर	,,
४१--श्री बसन्त लाल चौधरी	..	,,	कानपुर	,,
४२--श्री किन्दर लाल	..	भूतपूर्वएम०एल०ए०	हरदोई	,,
४३--श्री पन्नालाल सोनकार	..	,,	जौनपुर	,,
४४--श्री बदलू सिंह	..	,,	बुलन्दशहर	,,
४५--श्री शिवराज सिंह	..	,,	बिजनौर	,,
४६--श्री गोविन्द प्रसाद नौटियाल	..	,,	गढ़वाल	,,
४७--प्रोफेसर राम सरन	..	संसद् सदस्य	मुरादाबाद	,,
४८--डा० प्रभाकर मिश्र	..	,,	हापुड़ (मेरठ)	,,
४९--श्री रामलाल भाई	..	,,	फैजाबाद	,,
५०--श्री प्रकाश चन्द्र आर्य	..	सदस्य कैन्टूनमेंट बोर्ड	रानीखेत	,,
५१--श्री प्यारे लाल गुप्ता	..	,,	इलाहाबाद	,,
५२--श्री शंकर राव	..	एम०एल०सी०	मुरादाबाद	,,
५३--श्री बदलूराम रसिक	..	,,	लखनऊ	,,
५४--श्री तुलसी प्रसाद सहयोगी	..	,,	हाथरस (अलीगढ़)	,,
५५--श्री मसूरियादीन	..	संसद् सदस्य	इलाहाबाद	,,
५६--श्री दयानन्द व्यास	..	,,	मैनपुरी	,,
५७--अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सहायक आयुक्त, उत्तर प्रदेश खण्ड, लखनऊ।				,,
५८--निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	..			सचिव

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३४ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ८१८ पर)

कानपुर जिला के अन्तर्गत समस्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की सूची मय योग्यता डाक्टर, वैद्य तथा हकीम :

एलोपैथिक चिकित्सालय

१--सिविल चिकित्सालय बिल्हौर
२-- ,, देरापुर
३-- ,, अकबरपुर
४-- ,, घाटमपुर
५-- ,, पुखरायां
६-- ,, कांहिजरी
७-- ,, मैथा
८-- ,, शिवराजपुर
९-- ,, नर्वल
१०-- ,, बिठूर
११-- ,, सिकन्द्रा } सरकारी अनुदान प्राप्त
१२-- ,, खानपुर }

योग्यता डाक्टर एल० एस०, एम० एफ० अथवा मेडिकल ग्रेजुएट (एम० बी० बी० एस०)

आयुर्वेदिक औषधालय

१--आयुर्वेदिक औषधालय, मन्धाना
२-- ,, सचेंडी
३-- ,, महोली
४-- ,, हाथी गांव
५-- ,, पतारा
६-- ,, पड़रीलालपुर
७-- ,, बरईगढ़
८-- ,, दौलतपुर
९-- ,, गहलों
१०-- ,, दवरहट
११-- ,, शाहजहांपुर
१२-- ,, नहौली
१३-- ,, असालतगंज

१४—— आयुर्वेदिक औषधालय नुनारी
१५—— ,, सन्दलपुर
१६—— ,, रौतापुर
१७—— ,, बछना
१८—— ,, बीरामऊ
१९—— ,, बिरहुन
२०—— ,, बिसथन
२१—— ,, करवाहार

योग्यता वैद्य

बी० आई० एम० एस०, डी० आई० एम० एस० और ए० एम० एस० नये वैद्यों के वास्ते आयुर्वेद शिरोमन, आयुर्वेदाचार्य, वैद्य कविराज, वैद्य शास्त्री और आचार्य मेडिसिन, सर्जरी इन आयुर्वेद। पुराने वैद्यों के वास्ते जो ८ सितम्बर, सन् १९५१ के पूर्व के हैं।

यूनानी मतब

१——यूनानी मतब अमरोहा
२—— ,, वेदहा

बी० आई० एम० एस०, डी० आई० एम० एस० या बी० यू० टी० एस०, नये हकीमों के वास्ते कामिल-उत्त-तिब वा जराहत फाजिल-उत-तिब का जराहत पुराने हकीम ८ सितम्बर, १९५१ के पूर्व के।

तथा उक्त चिकित्सालयों के निरीक्षण करने का अधिकार निम्न अधिकारियों को प्राप्त है।

एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये

१——डाइरेक्टर आफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज,
२——सिविल सर्जन,
३——जिलाधीश,
४——जिला स्वास्थ्य अधिकारी,
५——अध्यक्ष, जिला परिषद्,
६——मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्,
७——मन्त्री, जिला परिषद्,
८——इंजीनियर, जिला परिषद्,
९——असेसिंग आफिसर, जिला परिषद्,
१०——समस्त एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, एवं एम० पी० इत्यादि,
११——समस्त परिषद् सदस्य,

आयुर्वेद औषधालयों तथा यूनानी मतबों का निरीक्षण उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त

अध्यक्ष, रसायनशाला। इनके अतिरिक्त सुपरवाइजर, जिलेदार तथा रेवेन्यू इंस्पेक्टर औषधालय तथा मतबों में नये रोगियों से प्राप्त रोगी शुल्क तीन पैसा प्रति रोगी के हिसाब की जांच करने के लिये जाते हैं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३ एल० ए०—८५० (प्रोसीडिंग)